खण्ड-268, अंक-6
मंगलवार, 11 श्रावण, शक संवत् 1888
(2 अगस्त, 1966 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 268 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६८

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, २ अगस्त, १९६६

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३५५

अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अजमद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवैद्यनाथ, श्री
अहमद बख्श, श्री
आनन्दसिंह, कुंवर
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
ईश्वर शरण, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
कंघईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनार्थासिंह, श्री
कल्यानचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा बेगम, श्रीमती
कुमार करुणाकृष्ण नायर, श्री
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)

गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गँदादेवी, श्रीमती
गेंद सिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चेतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्बैश, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश रप्रसाद, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजभानसिंह, कुंवर
दयाराम शाक्य, श्री

बलजीतसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पाण्डेय, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री

बलदेवसिंह, सरदार
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भोखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामआधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री

रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरण शाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय "प्रणव", श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफतहुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री

सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल घुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट--माल मंत्री, श्री हुकुमसिंह विसेन तथा शिक्षा उपमंत्री, डाक्टर रामनारायण पांडेय भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, २ अगस्त, १९६६

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

मंहगाई

*१—श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर) तथा श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि घोर महंगाई तथा बढ़ते हुये मूल्यों को रोकने के लिये क्या उपाय वह कर रही है और उन उपायों स कहां तक सफलता प्राप्त हुई है तथा उनके अतिरिक्त और कौन से उपाय इस सम्बन्ध में विचाराधान ह?

खाद्य मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त काण्डपाल)—

१—राज्य सरकार द्वारा मंहगाई रोकने के लिये निम्नलिखित उपाय किये गये हैं:—

(१) जिलों में सहकारी उपभोक्ता भंडार खोले जा रहे हैं।

(२) जिला मैजिस्ट्रेटों को आदेश दे दिये गये हैं कि जिला नागरिक समितियों एवं व्यापार संघों की मीटिंग बुलाकर उनको अवगत करादें कि अवमूल्यन का दनिक जीवन व उपयोगी वस्तुओं की कीमतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, अतः मूल्य वृद्धि अनुचित है।

(३) राज्य सरकार भिन्न भिन्न वस्तुओं के दैनिक प्रचलित भावों से अवगत होने के लिये विवरण मंगाती है।

(४) कीमतों को रोकने के लिये अधिकारियों की एक उप समिति का गठन किया गया है।

(५) मूल्यों की वृद्धि रोकन के लिये शीघ्र ही उचित आदेश जारी करने पर सरकार विचार कर रही है।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह देखते हुए कि कीमतें रोज बरोज खतरनाक तरीके से बढ़ती चली जा रही हैं और उनके रोकने के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गयी तो यह जो हाफ -हार्टेड उपाय हैं हाफ हार्टेड मेजर्स हैं इनसे क्या लाभ हो सकता है जबकि जखीरेबाज और मुनाफाखोरों की सरकोबी न की जाय?

खाद्य मन्त्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—

गवर्नमेन्ट आफ इंडिया ने इस विषय पर विचार-विमर्श किया था और उन्होंने इस बात का निर्णय किया कि पूर्व इसके कि कोई आगे कार्यवाही की जाय पहले उपभोक्ता भंडार ५० हजार से ऊपर की आबादी के सभी शहरों में खोले जायं और इसी आधार पर अपने प्रदेश में ३३ शहरों में से २९ शहरों में खोल दिये गये हैं। अब इरादा यह है कि यह तो होल-सेलर हैं इनसे अटैच करने के लिये ४२६ प्रायमरी स्टोर भी खोले जायं और इसके अतिरिक्त १८० और होल सेल स्टोर का प्रावीजन है। इस वर्ष इनके खोलने का विचार है जिसमें लगभग १८ उपभोक्ताओं के भंडार और खोले जायेंगे और इनके द्वारा २० प्रतिशत शहरी जनसंख्या की आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति करानी है। इस प्रकार इन से बाजार में जबकि सही मूल्य पर फेयरप्राइस शाप्स हो जायंगी तो काफी लाभ होगा।

मैंने कल भी कहा था कि डी० आई० आर० से मूल्यों का मसला एसेंशियल कमोडिटीज ऐक्ट में परिवर्तित हो रहा है और इस किस्म के केसेज एसेंशियल कमोडिटीज ऐक्ट के अन्तर्गत डील होंगे चूंकि स्टेट गवर्नमेन्ट डेलीगेटेड पावर्स का इस्तेमाल करती है तो मूल्य का निर्धारण केन्द्रीय सरकार के हाथ में है चाहे वह मैनुफैक्चरर के स्टेज पर हो या गल्ले का मूल्य हो। उसके बाद वह लिस्ट लगायें और कीमतों को प्रदर्शित करें। उनके यहां की जांच-पड़ताल करने का अधिकार हमें प्राप्त हो गया है मगर कीमतों का फिक्सेशन गवर्नमेन्ट आफ इंडिया को करना बाकी है उसके करने पर और सख्त कार्यवाही की जा सकती है जिसको अब कर रहे हैं।

श्री मुमताज मुहम्मद खां —

क्या माननीय मंत्री जी पंजाब सरकार से यह मालूम करने का प्रयास करेंगे कि वहां सरकार किस प्रकार से होर्डर्स और प्रोफिटियर्स के खिलाफ कार्यवाही कर रही है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

मैंने कल भी स्पष्ट किया था। अखबारों में जो छपा है वह गलत है। मैंने तो कीमतों की वृद्धि के यह कहा था कि उस पर प्रभावी फोर्समेन्ट कराना मुश्किल है। इसलिये मैंने कहा था कि इस की चर्चा ज्यादा यहां पर न हो क्योंकि उसका प्रभाव प्राइसेज पर पड़ सकता है आपने कहा कि पंजाब जैसी कार्यवाही क्यों नहीं करते, तो उसका जवाब यह है कि गर्म कपड़ा आजकल नैनीताल में लोग पहनते हैं मगर यहां नहीं पहन सकते। हमें पहले अपने यहां की स्टाक पोजीशन को भी देखना है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

माननीय मंत्री जी ने कहा कि २६ शहरों में उपभोक्ता भंडार खोले गये हैं और खोले जा रहे हैं, और यह भी कहा कि इन उपभोक्ता भंडारों द्वारा २० प्रतिशत जनता की मांगों की पूर्ति की जायेगी। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इन भंडारों से २० प्रतिशत पूर्ति हुई है? यदि नहीं हुई है, तो क्यों?

श्री जगमोहनसिंह नेगी —

मेरी बात को माननीय सदस्य जरा समझे। मैंने कहा था कि २० प्रतिशत शहरी जन संख्या को सामान्य जनता की बात मैंने नहीं कही थी, और यह कहा था कि यह हमारा लक्ष्य है। और मैंने २९ दूकानों के खोले जाने की बात कही थी।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

इस संबंध में जो योजनायें माननीय मंत्री जी ने पेश की वे सब लम्बी चौड़ी हैं और दीर्घ-कालिक हैं लेकिन उससे कुछ नहीं हो सकता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह स्पष्ट पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार जिलाधीशों को ऐसे आदेश देगी कि जहां उनको सूचना

मिले कि अमुक जगह जखीरेबाजों ने जखीरा कर रखा है वहां वह उनकी तलाशी लेकर तुरन्त कार्यवाही करें ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

मैंने कल भी अर्ज किया था कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स को पहले ही आदेश जा चुके हैं और कई डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स ऐसे व्यक्तियों को बुलाकर समझा रहे हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

क्या खाद्य मंत्री जी को ज्ञात है कि मंहगाई के कारण और रुपये के अवमूल्यन के कारण प्रदेश का चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का जो बजट है, उसमें दस करोड़ रुपये की कमी हो गई है। यदि हां, तो प्रदेश स्तर पर वे विचार करने को क्यों तैयार नहीं हैं और जो जखीरेबाज सामान की मंहगाई कर रहे हैं उनके विरुद्ध का कार्यवाही की जाय ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

मैंने कभी नहीं कहा कि उन के विरुद्ध कार्यवाही न की जाय। समय आवेगा तो कार्यवाही की जावेगी। अवमूल्यन की वजह से हमारे स्टाफ पर भी तो कटौती होगी तो देखने वाला कौन होगा। सब चीजों को सोचना चाहिये। तब भी मैं कहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स को कहा गया है कि वे सख्त कार्यवाही करें। पहले ऐसे व्यक्तियों को कानूनी कार्यवाहियों से अवगत करायें और उसके बाद फिर कानूनी कार्यवाही प्रयोग करें। जहां तक खाद्यान्नों का सम्बन्ध है हमारे प्रदेश में इस वक्त ये खाद्यान्न सब प्रदेशों की अपेक्षाकृत मूल्य में कम है और हम अब यह चाहते है कि पहिले माल आ जाय तब हम उसे जैसा चाहें प्रयोग करें। बिना सामान के कार्यवाही करना ठीक नहीं होगा।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

अध्यक्ष महोदय, हमको भी मौका दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

इस सदन में सिर्फ आप अकेले ही नहीं हैं। मैं सबको यथाशक्ति मौका दूंगा।

श्री द्वारकाप्रसाद पांडेय (जिला गोरखपुर)

अभी अध्यक्ष महोदय, माननीय महोदय ने यह बताया कि इस तरह के आदेश जिलाधीशों को पहिले ही दिये जा चुके है। मैं माननीय मंत्री जी से यह बताना चाहता हूं कि क्या वह बतलाने की कृपा करेंगे कि इन आदेशों का पालन किन किन जिलों में किन किन जिलाधीशों ने किया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

आज ही अखबार मैंने पढ़ा उसमे नैनीताल का समाचार छपा है। ऐसी ही कार्यवाही और जिलों में भी हो रही होगी।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

श्रीमन्, मंहगाई को यह सरकार रोकने में असफल रही है। रिजर्व बैंक के गवर्नर महोदय ने भी यह कहा है कि मुद्रा स्फीति होती जा रही है। और अब यह सैद्धान्तिक बात हो गई है कि स्टेट गवर्नमेंट इसे नहीं रोक पायेगी। तो क्या मंत्री जी यहां के अर्थशास्त्रियों को बुलाकर इस तरह के सुझाव सैन्ट्रल गवर्नमेंट को भेजेंगी कि मुद्रा स्फीति रोकी जा सके।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

गवर्नमेंट आफ इन्डिया को हमने बार बार सुझाव दिये है। डी० आई आर० के अधीन वह वस्तुऐं (सैन्ट्रन्शियल कामोडिटीज) में नहीं भी थी उनको भी उनमें जोड़ा जा रहा है। जहां तक खाद्यान्न का सम्बन्ध है, हमारा प्रदेश उनकी कीमतों को रोकने में सफल हुआ है।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

श्रीमन्, जैसा कि मंत्री जी ने सूचना दी कि उपभोक्ता भंडारों के माध्यम से प्राईज को कन्ट्रोल करने का प्रयास करेंगे। क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि अधिकांश कामोडिटीज साईकिल टायर ट्यूब, डालडा, कैरोसीन आईल, सीमेंट, चीनी के प्राईवेट प्रोड्यूसर्स प्राईवेट एजेन्ट्स ही बनाकर रखते है और कोआपरेटिव केज्यूनर्स को एजेन्ट बनाने को वे तैयार नहीं होते। क्या आप ऐसे शासकीय आदेश निकालेंगे कि यह सारे उपभोक्ता भंडार जो चल रहे है इनको ही वे एजेन्ट बनाये ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

यह तो हमने सुझाव दिये थे कि जहां चीजें मैन्युफैक्चर होती है वहां पर कीमतें कन्ट्रोल नहीं की जायेंगी। रिटेल में करना कठिन होगा। जहां तक खाद्यान्न का सवाल है वहां हमारा कन्ट्रोल हो जाता है और चीजें जो बाहर बन रही है उन पर हमारा कन्ट्रोल नहीं है। वह गवर्नमेंट आफ इन्डिया का है। उनका अपना ही तरीका है और वे सभी स्टेट्स की राय लेकर चलते है और इसको शायद उन्होंने अभी स्वीकार नहीं किया है।

श्री रघुनाथ सिंह (जिला वाराणसी)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उन उपायों को कार्यरूप में परिणत करने से मूल्यों में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हो पायी है ? लेकिन यदि हुई है, तो क्या मंत्री जी उन उपायों में सुधार करने की कृपा करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जैसे डालडा की कीमत थी, वह ऊंची हुई फिर मैन्युफैक्चरर ने वही कीमत कर दी तो ब्लैक मार्केट समाप्त हो गया। लेकिन मैन्युफैक्चरर को हम कन्ट्रोल नहीं कर सकते। हमने इस बारे में गवर्नमेन्ट आफ इंडिया को लिखा है और यह भी लिखा है कि कम से कम १ प्रतिशत प्रोडक्शन फेयर प्राइस शाप और उपभोक्ता भंडार की मार्फत चीजें बेची जायं, ताकि कीमतें बराबर रहें।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

इस साल सरकार ने मक्का, ज्वार, बाजरा और धान पर कम्पलसरी लेवी लगा कर उनकी कीमतों को उसी लेविल पर निर्धारित कर दिया है जो पिछले साल थीं। इस चीज को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार कोई ऐसा उपाय करने जा रही है कि एग्रीकल्चर इम्पलीमेन्ट्स जो साधारण किसान इस्तेमाल में लाता है, उनकी कीमतें पिछले साल की कीमतों से न बढ़ने पायें ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

सिवाय चावल के आज तक किसी पर भी लेवी नहीं है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

अवमूल्यन के बाद जो कीमतें बढ़ी हैं वे पहले से कितनी अधिक हुई हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

लगभग १५ प्रतिशत बढ़ी बताया जाता है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

जितने उपभोक्ता भंडार शहर में हैं वह उन्हीं लोगों के हाथों में हैं जो दूसरा व्यापार या ठेकेदारी करते हैं और इनकी वजह से उपभोक्ता भंडारों में काफी भ्रष्टाचार फैला हुआ है और उनमें बाजार से कहीं भी कीमतें कम नहीं हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

यह तो शहरी दूकानों की बात की। १६ दूकानें गवर्नमेन्ट की तरफ से भी खोली गयी हैं।

श्री जे० पी० मिश्र —

क्या मंत्री जी मेरा यह सुझाव मानेंगे कि लो इनकम ग्रुपकी २० प्रतिशत शहरी जनताके लिये जो उन्होंने दूकानें खोली हैं, उनकी हर १५ दिन पीछे जांच करा लिया करें कि उनके आदेशों का पालन हो रहा है या नहीं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

हम आपके हर सुझाव को मानने के लिये तैयार हैं ?

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या मंत्री जी इसको साफ और पूरे तरीके पर बतायेंगे कि पंजाब सरकार के पास अख्तियारात कहां से आ गये और क्यों वे उन अख्तियारात का प्रयोग नहीं कर रहे हैं और ब्लैक मार्केटियर्स के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं कर रहे हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

उत्तर प्रदेश खाद्यान्न के मामले में डेफीसिट स्टेट है। जहां तक गेहूं का संबंध है उसको पंजाब से मिलाकर बड़ा जोन बना दिया गया है। अब वहां से माल मंगाया जा सकता है। लेकिन यहां आर्डर यह था कि कोई भी व्यापारी २५० क्विन्टल से ज्यादा नहीं रख सकता है और वहां से एक वैगन से कम माल आता नहीं है। अब उसकी मात्रा को बढ़ा दिया गया है। जब वहां से माल आ जायगा तब एन्टी होर्डिंग आर्डर को काम में लेंगे।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

मेरा तो व्यवस्था का प्रश्न है कि जो प्रश्न मैंने किया था मंत्री जी ने उसका उत्तर नहीं दिया। तो मैं आशा करता हूं कि आप मेरे प्रश्न का उत्तर सदन में दिलवायेंगे।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

मैं जानना चाहता हूं कि.....

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

इसकी व्यवस्था आप दें कि क्यों वह उत्तर नहीं देते, मेरा उत्तर नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष—

अगर कोई मंत्री प्रश्न का उत्तर न दे तो सारी दुनिया यह समझ लेगी कि उनके पास उत्तर नहीं है।

श्री लखपतराम शर्मा—

यह ठीक है कि आप ने प्राइस लिस्ट के आदेश दे रखे हैं लेकिन दूकानदार कहते हैं कि हमारे पास माल नहीं है और माल उनके पास स्टाक में रहता है। इतने से ही कोई लाभ नहीं होता अगर वह स्टाक पोजीशन भी साथ में वहां नहीं टांगते। तो क्या उनको मजबूर किया जायगा कि वह रेट लिस्ट और स्टाक पोजीशन भी बाहर बोर्ड पर लिखकर टांगे ताकि खरीदार को मालूम हो सके कि क्या चीज दूकानदार के पास है और उसकी क्या-क्या कीमत है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

यह सुझाव ठीक है कि कीमत लिखी जाय। हम मानते हैं कि सुझाव ठीक है और हम देखेंगे लेकिन यह जो कहा कि हमारे पास उत्तर नहीं है तो हमारे पास हर बात का उत्तर है। मैंने अर्ज किया कि आप जो कह रहे हैं कि पंजाब में किस कानून से कर रहे हैं और आप क्यों नहीं कर रहे हैं लेकिन मैं भी बता दूं कि हम क्यों नहीं कर रहे हैं तो वहां की बात दूसरी है वहां गवर्नर को पावर है वह डी० आई० आर० का प्रयोग कर रहे हैं और हमारे लिये आदेश हैं कि डी० आई० आर० का प्रयोग न किया जाय।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

आजमगढ़ जिले में नदियों पर बंडालों का निर्माण

*१---श्री मंगलदेव (जिला आजमगढ़)---

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के घाघरा नदी पर रामपुर, धनौली तथा गांगेपुर और हाहा नाला पर वित्तीय वर्ष सन् १९६४-६५ तथा १ ९६५-६६ में अलग-अलग बंडाल निर्मित करने में सरकार को कितना धन खर्च करना पड़ा है?

शिक्षा उपमंत्री (डाक्टर रामनारायण पांडेय)---

इसका ब्यौरा संलग्न तालिका में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४८९ पर)

*२---श्री मंगलदेव---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त निर्माण कार्य को राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद् ने किस-किस दिनांक को स्वीकृत किया ? और स्वीकृत नक्शे की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

वित्तीय वर्ष १९६४-६५ तथा १९६५-६६ में बंडाल निर्माण संबंधी गांगेपुर व रामपुर धनौली पर जो कार्य किये गये उनकी स्वीकृति राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद से नहीं ली गई। हाहा नाला बांध से संबंधित कार्य की स्वीकृति राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद् की ११ मार्च, १९६६ की बैठक में ली गई। इसके प्राक्कलनों की अतिरिक्त प्रतियां उपलब्ध नहीं है।

*३---श्री मंगलदेव---

क्या लेखा परीक्षक ने इस खर्च पर गम्भीर आपत्ति उठाई हैं ? यदि हां, तो वह आपत्तियां क्या हैं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

जी हां, लेखा परीक्षक ने आपत्तियां उठाई हैं। नलकूप खंड आजमगढ़ की १९६४-६५ की लेखा परीक्षा निरीक्षण रिपोर्ट में यह आपत्ति उठाई गई है कि स्परों को जो क्षति पहुंची उसकी अनुमानित लागत २५,२३८ रु० है और इसकी सूचना नियमानुसार महालेखाकार को नहीं दी गई और सिंचाई प्रखंड बलिया की १९६५-६६ की लेखा परीक्षा निरीक्षक रिपोर्ट में यह आपत्ति उठाई गई है कि यदि स्परों का निर्माण कार्य वर्षा के पूर्व समय से कराया गया होता तो उसके बह जाने की संभावना काफी कम हो जाती। इन रिपोर्टों पर अभी को कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

श्री मंगलदेव—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे बाढ़ नियंत्रण परिषद् से स्वीकृति लेना आवश्यक था या नहीं और यदि था तो क्यों नहीं ली गई ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

इस संबंध में मैं निवेदन करूंगा कि यह कार्य पूरा हो चुका है और सदन में सन् ६२ में दिये गये आश्वासन के अन्तर्गत यह कार्यवाही की गई है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या माननीय सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन बंडालों को निर्मित करने में (रामपुर, धनौली तथा गांगेपुर) राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद् द्वारा कितने रुपया खर्च करने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

४.३४, ३.५ बराबर ७.०३९ लाख रुपये की थी।

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—

प्रश्न २ में जो स्वीकृत नक्शा मांगा गया था, वह किन कारणों से मेज पर नहीं रखा गया है ?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने कहा कि वे इसे मेज पर रखते हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो रुपया खर्च हुआ है वह किस महीने से आरम्भ होकर किस महीने तक खर्च हुआ है ? जितना रुपया व्यय हुआ है, वह बरसात आने के पहले नहीं हुआ है। तो क्या सरकार सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या सरकार के आदेश जिलाधीश और संबंधित अधिकारियों को देर से पहुंचे ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

इंजीनियर महोदय ने इसे फरवरी में देख लिया था और फिर काम चालू हुआ। बरसात के पहले ही हुआ, बाद में नहीं ।

श्री बृजबिहारी (जिला आजमगढ़)—

अब भी हाहा नाला और गांगेपुर धनौली पर कटाव जारी है। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उनकी रक्षा के लिये सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

आज की जो कटाव की स्थिति है, उसका ज्ञान नहीं है।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि गांगेपुर, रामपुर तथा धनौजी में जो काम आरम्भ हुआ, उसके पूर्व प्रारम्भिक स्वीकृत एस्टीमेट कितने का था और अन्त में कुल कितना रुपया खर्च किया गया ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

पहले इसमें रिटार्ड बांध के लिए था लेकिन इसकी स्थिति इस प्रकार से है। गांगेपुर के पास तो बांध बन गया है लेकिन रामपुर, धनौली वालों ने नहीं बनने दिया । इसलिये वहां पर नहीं बनाया गया ।

श्री नरसिंह नारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

हर साल जो भी प्रोजेक्ट बनते हैं उनके लिए एक एस्टीमेट सेंक्शन होता है। जो खर्चा होता है उसकी फाइनेंशियल हैंड बुक के अनुसार स्वीकृति ली जाती है तो मैं जानना चाहता हूं कि जो अनियमिततायें पी०ए० सी० ने प्वाइंट आउट की हैं उनको दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है कि आगे वहां पर बिना स्वीकृति के रुपया खर्च न किया जाय ?

डाक्टर राम नारायण पांडेय—

एस्टीमेट जरूर सेंक्शन होता है। यह ठीक है कि वह बह गया। ये बंडाल बल्लियों से बनते हैं। इतकी वेगशाली और शक्तिशाली नदियों के लिए यह आशा नहीं की जा सकती है कि ये बने ही रहेंगे। यदि नेचर अनुकूल होती है, या न्यूट्रल रहती है तो य टिके रहते हैं अन्यथा वे बह जाते हैं।

श्री कल्पनाथसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रारम्भ में जो प्राक्कलन स्वीकृत किया गया है उसके बाद किस तारीख को स्वीकार किया गया है और वह काम किस तारीख से आरम्भ हुआ है ? क्या यह सही है कि नदी में बाढ़ आने के बाद काम शुरू किया गया, जिसके कारण वह बह गया ?

डाक्टर राम नारायण पांडेय—

इस कार्य को पहले ही किया गया था।

श्री उमाशंकर —

जो लेखा परीक्षक द्वारा आपत्ति उठायी गयी है वह मार्च के महीने की है। आज तक उस पर कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

कार्यवाही हो रही है। यह पहले संबंधित अधिकारी के पास भेजा जाता है। उनका स्पष्टीकरण आने पर यदि उनका उत्तर असंतोषजनक होता है तो उसके बाद उस पर कार्यवाही की जाती है। अभी कार्यवाही हो रही है।

श्री भोखालाल (जिला उन्नाव)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या ये बांध इस बात को सोच कर नहीं बनाये जाते हैं कि यदि बाढ़ ज्यादा आयेगी तो ये बह जायेंगे ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

यह बांध नहीं है, बंडाल है।

वाराणसी क्षेत्र में नलकूप

*४—श्री ऋषिनारायण शास्त्री (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि फरवरी, मार्च, १९६५ में वाराणसी ट्यूबवेल डिवीजन में कितने ट्यूबवेल बोर किये गये ? किन-किन अफसरों द्वारा एक ट्यूबवेल कितने-कितने समय में बोर किया गया ? वाराणसी जिले में तृतीय पंचवर्षीय योजना के कितने ट्यूबवेल बाकी हैं और इस समय कहां बोरिंग हो रही है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

माह फरवरी, १९६५ में वाराणसी ट्यूबवेल डिवीजन में विभिन्न अफसरों द्वारा बोर कये गये नलकूपों की संख्या व प्रत्येक नलकूप में लगे समय का विवरण संलग्न तालिका में दिया आ[illegible]।

वाराणसी जिले में तृतीय पंचवर्षीय योजना के ३१ नलकूप बनने शेष रह गये हैं और १५ जुलाई, १९६६ की रिपोर्ट के अनुसार मुगलसराय क्षेत्र में एक रिग मशीन द्वारा कार्य हो रहा है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४९० पर)

श्री ऋषिनारायण शास्त्री--

क्या मंत्री जो यह बतायेंगे कि जो ३१ ट्यूबवेल बाकी रह गये हैं वे किस क्षेत्र में हैं और कौन कौन से हैं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

मेरे पास क्षेत्रवाइज सूचना नहीं है ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)--

क्या मंत्री जो इस बात को देखते हुए कि तीसरी योजना समाप्त हो चुकी है और ३१ ट्यूबवेल बोरिंग को बाकी हैं और जैसा बताया गया १ मशीन काम कर रही है तो क्या मंत्री जो एक से अधिक मशीन की व्यवस्था करेंगे ताकि ३१ ट्यूब वैल का काम पूरा किया जा सके ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

इसी बरसात के बाद दोनों मशीनें असल में मरम्मत में हैं उनकी ओवर हालिंग है रही है और जब मरम्मत हो जायेंगी तो काम पर वापस आ जायेंगीं।

*५-७--श्री रियासत हुसैन--

[२६ जुलाई, १९६६ को प्रश्न संख्या २८--३० के अन्तर्गत उत्तर दिया गया]

स्याना क्षेत्र में नलकूप

*८--श्री मुमताज मुहम्मद खां--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विधान सभा क्षेत्र स्याना, जिला बुलन्दशहर के ग्राम सोजना झांया में एक राजकीय नलकूप के निर्माण के सुझाव के संबंध में जो सरकार ने उक्त स्थान का समस्त सर्वेक्षण कराने के लिये हाल ही जो आदेश दिये थे तो क्या उक्त स्थान का समस्त सर्वेक्षण हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार समस्त सर्वेक्षण की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

शासन ने टेक्नीकल एक्जामिनर द्वारा क्षेत्र की जांच करवा ली है लेकिन अभी ट्यूबवेल लगाने के लिये विस्तृत सर्वेक्षण नहीं हुआ है। इसके लिये निदेशक नलकूप को आदेश दिये जा रहे हैं। उनकी रिपोर्ट आने पर सदन की मेज पर रखी जायगी ।

*९--श्री मुमताज मुहम्मद खां--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त ग्राम सोजना झांया में सरकार एक राजकीय नलकूप के निर्माण को उचित समझती है ? यदि हां, तो वहां राजकीय नलकूप का निर्माण कब तक करा दिया जायगा ? यदि नहीं, तो किन कारणों से ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

विस्तृत सर्वेक्षण के बाद ही ट्यूबवेल बनाने का निर्णय किया जा सकता है।

*१०—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विधान सभा क्षेत्र स्याना, जिला बुलन्दशहर में ग्राम लड़ाना में एक राजकीय नलकूप के निर्माण के लिये सर्वेक्षण कब तक करा दिया जायगा ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

ग्राम लड़ाना में एक राजकीय नलकूप निर्माण हेतु सर्वेक्षण के लिये अधिशासी ट्यूबवेल डिवीजन (पूर्व), बुलन्दशहर द्वारा आदेश दिये जा चुके हैं। सर्वेक्षण में लगभग तीन महीने लगेंगे ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

मेरा क्षेत्र मुझको कितना प्यारा है इसके लिये मेरे पास शब्द नहीं हैं। यदि मेरे क्षेत्र के किसी एक अंग के साथ अन्याय होता है तो मैं तिलमिला उठता हूं। तो क्या मंत्री जी से यह पूछ सकता हूं कि क्या वह बतायेंगे कि जो सर्वेक्षण असिस्टेंट इंजीनियर ने किया, क्या उसके ऊपर नाजायज तौर पर प्रभाव डाला गया कि वह सर्वेक्षण ऐसे स्थान का करे जिससे कि मालूम हो सके सरकार को कि वहां नलकूप नहीं लगना चाहिये ? क्या यह मंत्री जी को ज्ञात है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

जी नहीं ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

मंत्री जी बतायेंगे कि जो टैक्नीकल ऐग्जामिनर ने रिपोर्ट दी है वह क्या है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

वह तो काफी लम्बी रिपोर्ट है और उसमें तमाम आस्पेक्ट्स को, जितने पड़ोस में चलने वाले ट्यूबवेल्स हैं सभी पर गौर किया गया और उसके बाद उन की राय बनाने के पक्ष में नहीं हैं । इसीलिये डायरेक्टर को भेजा गया है कि वह फिर देखें ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या मंत्री जी जांच करेंगे कि जो वहां सर्वेक्षण करवाया गया कुछ महीने पूर्व उसमें जो वर्तमान एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं उन्होंने और जो वहां पहले एग्जीक्यूटिव इंजीनियर श्री बी० एन० सिंह थे और वहां के असिस्टेंट इंजीनियर, श्री जैन ने उस असिस्टेन्ट इंजीनियर पर जिसने सर्वेक्षण किया यह प्रभाव डाला कि वह इस प्रकार का सर्वेक्षण कर के भेजे जिससे कि वहां नलकूप न बन सके ? क्या मेरी सूचना को आधार मान कर सरकार इसकी फिर से जांच करायेगी ?

श्री अध्यक्ष—

सूचना के आधार पर यहां कई मर्तबा कहा जा चुका है कि इस तरह से ठीक नहीं है, अगर आप लिख कर दे दें तो कार्यवाही के बारे में सोचा जा सकता है ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

मेरी बिलकुल सही सूचना है कि इस किस्म का प्रभाव डाला गया ताकि मंत्री जी को सही सूचना प्राप्त न हो सके । तो क्या मंत्री जी इसका री-सर्वे करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

लिख कर दे दीजिये ।

उद्योगशाला, झांसी के कर्मचारियों को इतवार का वेतन न मिलना

*११—श्री लखपतराम शर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सत्य है कि झांसी उद्योगशाला में कोई सरकारी ऐसा आदेश सन् १९५७ में हुआ था कि रविवार का वेतन दैनिक वेतन भोगियों को मिलना चाहिये ? अगर ऐसा है, तो क्या वह आदेश राजकीय उद्योगशाला, झांसी में लागू है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

प्रथम भाग—जी नहीं ।

द्वितीय भाग—प्रश्न नहीं उठता ।

श्री लखपतराम शर्मा—

मैं यह निवेदन कर दूं कि पिछली बार यह प्रश्न एजेंडा पर आया था । उस समय स्ट्राइक के कारण उत्तर नहीं मिला । आज यह लिस्ट पर आ जायगा यह ज्ञात नहीं था इस-लिये मैं इस समय तयार नहीं हूं । फिर भी मैं जानना यह चाहता हूं क्या यह सही है कि झांसी की उद्योगशाला के अधिकारियों का इस तरह का सन् ५७ का आदेश है और उन्हीं के इंकार करने पर यह उत्तर दे दिया गया है कि यह आदेश नहीं है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

माननीय सदस्य से भी सम्पर्क स्थापित किया गया था और उन्होंने बलभद्र नामक व्यक्ति बतलाया था और उससे भी पूछताछ की गयी । जो लेटर कोट किया गया है उसके बारे में पूछा गया और जो क्लेरिफिकेशन लिया गया श्रम आयुक्त से उसके बाद "जी नहीं' उत्तर है ।

श्री लखपतराम शर्मा—

झांसी की उद्योगशाला में ५, ६ साल से मजदूर काम कर रहे हैं उनको महीने में पूरा काम करने के पश्चात् जो चार इतवार पड़ते हैं उनका वेतन नहीं दिया जाता है और वे स्थायी भी नहीं किये गये हैं तो क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि उन मजदूरों को चार इतवार का वेतन भी दिया जाया करे ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

झांसी की उद्योगशाला इस नियम के अन्तर्गत आती ही नहीं है ।

डांगरबाद ग्राम को बिजली न मिलना

*१२—श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

क्या सिंचाई मंत्री को पता है कि प्रश्न कर्ता के गांव डांगरबाद, जिला बलिया में बिजली लगाने का आदेश एक साल पहले हुआ था लेकिन अभी तक वहां बिजली क्यों नहीं लगी जबकि गांव डांगरबाद, रुद्रपुर (बलिया) बेलहरी ट्यूबवेल से एक फर्लांग से भी कम दूरी पर स्थित है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

ग्राम डांगरबाद, जिला बलिया के विद्युतीकरण का कार्य धन के अभाव के कारण नहीं किया जा सका ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मैंने माननीय शान्ति प्रपन्न शर्मा जी को दरख्वास्त दी और उस गांव में बिजली देने के लिये कई दफा मैं शर्मा जी से मिला और उन्होंने बराबर यह कहा कि लग जायगी लेकिन अब धनाभाव

की बात कही जाती हैं और मेरे गांव में अगर बिजली लग जायगी तो जितना खर्चा होगा उससे अधिक रेवेन्यू मिल जायगी तो माननीय मंत्री जी जबानी बात करते है वह सही है या जवाब दिया गया है वह सही है ?

विद्युत् उपमंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—

मैंने जवाब में यह नहीं कहा कि लगेगी नहीं । अभी नहीं लगी है, थोड़े दिन में लग जायगी ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

धनाभाव कब तक दूर होगा ? जो सरकार के दोस्त है वहां तो बिजली लग रही है लेकिन मैं विरोधी हूं इसलिये नहीं लग रही है मेरे गांव में ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं बुलाया गया ।)

श्री रामसुन्दर पांडेय—

ग्रामीण अंचलों में बिजली लगाने के लिये सरकार ने कितना रुपया दिया था और कारण क्या है कि एक हजार से ऊपर आबादी वाले गांवों में बिजली अब तक नहीं पहुंच सकी हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

गांवों में बिजली लगाने की हमारी स्कीम थी और ५ हजार गावों में बिजली लग भी चुकी है । रुपये की कमी है । थोड़े रुपये का इन्तजाम करा दें तो काफी गांवों में बिजली लग जायगी ।

श्री कृष्णानन्द राय—

बलिया के जो एक्जिक्यूटिव इंजीनियर हैं बिजली के वही गाजीपुर के एक्जिक्यूटिव इंजीनियर हैं वह इस बात के लिये प्रसिद्ध हैं जिलाधीश द्वारा सैंक्शन किये हुए पावर लोड और सरकार द्वारा भेजे गये सैंक्शंस को दो दो साल तक टाला करते हैं और वह बलिया का काम न करके बनारस घूमा करते हैं और माननीय मंत्री का यह कहना कि रुपया नहीं है गलत है, एक्जिक्यूटिव इंजीनियर बलिया के निकम्मे हैं इस बात की जांच कराने का सरकार प्रयास करेगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

यह शिकायत पहले तो थी नहीं । अगर मेम्बर साहबान का ऐसा कहना है तो जरूर हम जांच करेंगे ।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

माननीय मंत्रीजी ने कहा कि १,५०० गांवों में बिजली लगाने की योजना थी जिसके लिये रुपया स्वीकृत किया गया और ५,००० गावों में बिजली लगायी गयी । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पांच हजार गांवों में बिजली लगायी लेकिन बलिया जिले में, जो दुर्भाग्य से प्रदेश का पूर्वी जिला है और उसमें भी डांगरबाद जिसमें २० गावों में बिजली लगाने की स्वीकृति भी थी लेकिन एक गांव में भी बिजली नहीं लगी, तो गांवों में बिजली लगाने का आधार क्या है और जो यह पांच हजार गांवों में लगी यह कहां लगी, क्या यह सब पश्चिमी जिलों में हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जब हमने देखा कि कुछ इम्बैलन्स हो गया है, कुछ जिलों में बिजली ज्यादा लग गयी है और कुछ में कम, तो हमने एक नक्शा बनाया है। बलिया का भी नक्शा है और वहां बिजली लगी भी है । शायद आपके डांगरबाद में बिजली न लगी हो, पता नहीं क्यों घबरा गये। लेकिन हम जिन-जिन गांवों में बिजली लगा रहे हैं उसकी एक स्कीम बना ली है उसको जिले वालों से एप्रूव करायेंगे, उसकी एक कमटी बनायी है, उसक बाद देखेंग ।

सहसवान तहसील में बड़ी गंगा का बांध बढ़ाने का सुझाव

*१३—श्री उल्फतसिंह यादव (जिला बदायूं) (अनुपस्थित)—

बदायूं जिले की तहसील सहसवान में बड़ी गंगा पर जो बांध टांटेपुर से मालपुर तेतरा ग्राम तक है। क्या सरकार उसे कलकत्ता तक बढ़ाने की कृपा करेंगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई मंत्री (श्री गिरधारीलाल)—

प्रश्न में उल्लिखित बांध को बढ़ाने की योजना इस समय विचाराधीन नहीं है।

विद्युत् कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि

*१४—श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या यह बिजली विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों क वेतन तथा अन्य सुविधाओं में वृद्धि किये जाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो योजना की पूरी रूपरेखा क्या है तथा यह योजना कब से लागू की जायगी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

विद्युत् प्रतिष्ठानों में नियोजित मजदूरों के वेतन के संबंध में २० जून, १९६६ क असाधारण सरकारी गजट में आदेश जारी किया गया है, जिसकी †प्रतिलिपि संलग्न है।

श्री राजेन्द्रसिंह—

जिन संस्थानों को सरकार ने प्राइवेट कम्पनियों से लिया है तो क्या उनके मजदूरों को जो पहले वेतन मिलता था उनका वेतन इस विज्ञप्ति के द्वारा क्या उतना ही हो गया है या नहीं ? मुझे सूचना यह मिली है कि प्राइवेट कम्पनियों से उनको ज्यादा वेतन मिलता था।

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

श्रीमन्, मेरी सूचना तो यह है कि उन प्रतिष्ठानों में जो उस समय वेतन पा रहे थे अधिकांश लोग उन्हीं वेतनों पर आये हैं।

श्री राजेन्द्रसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी निश्चितरूप से यह बतायेंगे कि प्राइवेट कम्पनी के रूप में जो वेतन इन कर्मचारियों या मजदूरों को मिलता था उससे कम अब उनको नहीं मिल रहा है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

निश्चित रूप से नहीं कह सकता। इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या मंत्री जी इसको सूचना मानकर कि जो प्राइवेट कम्पनियों के लोग हैं उनका वेतन क्रमजो २० जून को गजट किया है उसमें बहुत-सी कैटेगरीज के लोगों को कम मिला है ? इसकी ममलजी जांच करायेंगे और उसके लिये आदेश देने की कृपा करेंगे ताकि लोगों को रिलीफ ञ सके ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

श्रीमन्, इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सेंट्रल वेज बोर्ड का जो फैसला होगा वही कार्यवाही करेंगे।

---

†छापी नहीं गयी।

श्री भीखालाल—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि विद्युत् विभाग के कर्मचारियों ने महंगाई भत्ता, वेतन और बोनस के लिये मांग की थी और वह पूरी न होने पर २६ जून से हड़ताल का नोटिस दिया था। लेकिन उससे पहले सरकार ने हड़ताल रुकवा दी और उनको कुछ आश्वासन दिये ? मैं जानना चाहता हूं कि जो आश्वासन वेतन, महंगाई भत्ता और बोनस के संबंध में दिये गये थे वे क्या क्या थे ? उनमें से कितने पूरे हो गये हैं और कितने बाकी हैं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

अब श्रीमन्, क्या आश्वासन दिये गये थे इसके लिये तो नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि १५ जून के पूर्व बिजली कर्मचारियों ने मांगपत्र प्रस्तुत किया था उसमें से सरकार ने कितना स्वीकार किया था ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

श्रीमन्, मैं निवेदन कर चुका हूं कि इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

सुनासर एग्रीकल्चर क्षेत्र के लिये बिजली की मांग

*१५—श्री मुहम्मद रफी खां—

क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि शाहजहांपुर जिले के सुनासर एग्रीकल्चरल एरिया के कितने काश्तकारों ने अप्रैल व मई, १९६६ में हाइडिल आफिस शाहजहांपुर में बिजली के कनेक्शन के लिये पच्चीस रुपये फी कनेक्शन के हिसाब से रुपये जमा किये ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

सूचना एकत्र की जा रही है।

*१६—श्री मुहम्मद रफी खां—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वह कब तक उन लोगों को पावर दे देगी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री मुहम्मद रफी खां—

अध्यक्ष महोदय, यदि आप आज्ञा दें तो मैं मंत्री जी को सूचना दे दूं।

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

जो सूचना मेरे पास आई है वह यह है कि केवल ११ आदमियों ने दो महीने में प्रार्थना-पत्र दिये। दो ने २०-५-६६ को, ८ ने २३-५-६६ को और एक ने १५-६-६६ को किया। अभी फारमेलिटीज पूरी नहीं हुई हैं, इसीलिये उनको कनेक्शन नहीं मिल सका। इतनी ही सूचना आई है।

श्री मुहम्मद रफी खां—

जब आप थोड़े से कनेक्शन के लिये कोशिश कर रहे हैं कि आसानी से लग जायं तो जहां १५० ट्यूबवेल हैं तो उनके लिये क्या सहूलियत दे सकते हैं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

श्रीमन्, केवल ११ प्रार्थना-पत्रों में २५ रुपये जमा किये जाने की सूचना है उनमें व्यक्ति कम हैं।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

क्या मंत्री जी इसको देखते हुये कि खेती के उत्पादन की ओर सरकार का ध्यान अधिक है और बिजली का ज्यादा उपयोग किया जा सके इसके लिये जो भी प्रार्थना पत्र आये हैं, पानी के अभाव को देखते हुये क्या सरकार उनको प्रार्थमिकतायें देगी, अधिकारियों को आदेश देगी कि उनकी दरख्वास्ते आयें तो उनकी अनियमितताओं को फौरन दूर कराके निश्चित समय में बिजली दे दी जाय ?

डाक्टर रामनारायण पांण्डेय---

श्रीमन्, यही प्रयत्न है कि फारमेंलिटीज पूरी करा के जल्दी से जल्दी बिजली नियमों के अन्तर्गत दे दी जाय।

श्री ब्रह्मदत्त मायर---

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने जो ४ फर्लांग का फर्क रखा है कि सरकारी ट्यूबवेल से ४ फर्लांग पर प्राइवेट ट्यूबवेल हो तब बिजली मिल सकती है। अब ३ फर्लांग का आदेश किया गया और ३ के बाद फिर ४ कर दिया है, इस प्रकार की असुविधाएं और अड़चनें सरकार की तरफ से बराबर डाली जा रही हैं। तो क्या इसके कारण ही अब तक बिजली नहीं मिल पायी है ?

श्री गिरधारीलाल---

४ फर्लांग से ३ फर्लांग पर भी विचार कर लिया जाता है आवश्यकता को देखते हुये। अभी तक ३ के आर्डर आम जिलों में नहीं गये हैं और अब ३ फर्लांग के हिदायत जाने वाले हैं। यह जो आपका कहना है कि बार-बार बदला जाता है तो अभी यह नौबत नहीं आई है।

गाजीपुर तथा वाराणसी जिलों में नहरों से पानी न मिलना

*१७---श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)---

क्या यह सही है कि चोलापुर ब्लाक, जिला वाराणसी में तथा सादात ब्लाक, जिला गाजीपुर में कौन-कौन नहरें हैं, उनमें पानी १९६५-६६ में कब दिया गया और कितना टैक्स वसूल हुआ ? यदि पानी नहीं दिया गया, तो क्यों ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

प्रथम भाग---सूचना संलग्न है ।

द्वितीय भाग---सूखा पड़ने से पानी की कमी तथा उसकी मांग अधिकतम होने के कारण किसानों की मांग के अनुसार सिंचाई नहीं हो सकी ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ४९१ पर)

श्री कमलासिंह यादव---

यह देखते हुए कि केराकत और धान माइनर जो कि चोलापुर ब्लाक वाराणसी में हैं उसमें जुलाई, ६५ से दिसम्बर, ६५ के मध्य केवल एक बार ही पानी दिया गया है, तो मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हू कि आपको नहरों की जो दशा है, जिन नहरों की यह दशा है उन्हें देखते हुए मंत्री जी यह उपाय करेंगे कि जो नहरों के टेल पर गांव हैं उनको पहले पानी देने की व्यवस्था की जाय ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

चाहते तो बहुत हैं कि टेल पर भी पानी पहुंचे, लेकिन जब पानी की मांग अधिक होती है और उसकी सप्लाई कम होती है तो मजबूत आदमी नियमित और अनियमित तरीके से अधिक पानी ले लेते हैं। जो यह कहा गया कि केवल एक दिन पानी मिला, उस बारे में मेरा कहना है कि १७-१८ दिन पानी पहुंचा है अप्रैल से दिसम्बर तक। फिर भी आवश्यकता को देखते हुये वह भी बहुत कम है, यह मैं मानता हूं।

श्री कमलासिंह यादव---

यह माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि पानी की आवश्यकता को देखते हुये नहरों से पानी कम पहुंच पाता है। मैं समझता हूं कि पानी की व्यवस्था एक फसल के लिये की गई है, किन्तु जब सरकार ने जो सघन खेती शुरू कर दी है, तो अधिक पानी की आवश्यकता होगी, इस बात को आधार मानकर मंत्री जी कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे कि नहरें अधिक से अधिक पानी दे सकें और किसानों की दिक्कतें दूर हो सकें ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

सघन खेती रेगुलर सब जगह चलने वाली नहीं है। यह कहीं कहीं हो है, जहां पर बड़े रजबहे हैं। सघन खेती को प्रोत्साहन वहीं दिया जाता है जहां पर लघु सिंचाई के साधन हैं।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)---

जहां पर नहरों से पानी सिंचाई के लिये केवल एक-दो बार दिया गया है पानी की जरूरत होते हुये, तो क्या वहां के किसानों को सिंचाई टैक्स में सरकार रियायत देगी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

यदि नियम के अन्तर्गत उनकी फसल ८ आना से कम पैदा हुई होगी तो उस पर विचार हो सकता है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

नहर के लिये जितना क्षेत्र निर्धारित है उस पूरे क्षेत्र पर नहर का पानी नहीं पहुंच पाता है। तो क्या इसे देखते हुये आप उस क्षेत्र को नहर एरिया से निकाल कर ट्यूब वेल लगाने की योजना स्वीकार करेंगे जहां पर नहर का पानी पर्याप्त नहीं पहुंच पाता है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

श्रीमन्, ऐसा जहां-जहां पर होता है, उस पर विचार भी करते हैं।

श्री ऊदल---

श्रीमन्, जिस नहर की यह बात है यह हमारे और डाक्टर रघुनाथ सिंह के क्षेत्र से होकर जाती है। यह जो नहर है यह शारदा सागर की है और इसका जल बाराबंकी आते आते बिलकुल सूख जाता है और स्थिति यहां तक पहुंच जाती है कि मुश्किल से एक बार भी नहीं पहुंच पाता है। तो क्या सरकार के सामने कोई इस तरह की स्कीम है कि गोमती नदी से पानी पम्प करके उठाया जाय ताकि पूर्वी इलाके की सिंचाई हो सके ?

श्री गिरधारीलाल---

यह सवाल बिलकुल अलग है, लेकिन फिर भी मैं बतलाना चाहता हूं कि इस किस्म की स्कीमों पर सरकार विचार कर रही है।

श्री रघुनाथसिंह---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने वर्तमान सिंचाई मंत्री को एक लम्बा चौड़ा पत्र पारसाल लिखा था और माननीय मंत्री जी ने नहर विभाग के सर्वोच्चाधिकारी को हमारा पत्र भेजा। बनारस में मुझे और ऊदल जी को भी बुलाया गया और लम्बी चौड़ी बातें वहां हुईं कि गंगा और गोमती से पंम्प करके पानी सिंचाई के लिये दिया जाय। तो सरकार ने कहा था कि हम इसकी अलग से व्यवस्था करेंगे। उसे साल भर हो गया इस सूचना को दिये हुये, तो मैं जानना चाहता हूं कि उस स्कीम के अनुसार क्या कुछ कार्य हुआ है या वह अभी तक कागज पर ही पड़ी हुई है ?

श्री गिरधारीलाल---

यह सवाल तो इससे बिलकुल अलग है, लेकिन यह मैं कहता हूं कि इस पर अभी विचार हो रहा है।

श्री ऊदल---

माननीय रघुनाथसिंह जी ने जिस मीटिंग का हवाला दिया, उसमें मैं भी था और सेन्ट्रल गवर्नमेंट के अधिकारी भी आये थे। उनके साथ हमारे प्रान्त के बड़े-बड़े इंजीनियर्स थे और उन्होंने जाकर हंडिया, भदोही और ज्ञानपुर में सिंचाई के लिये देखा और तय हुआ कि यहां पूर्वी इलाके के लिये गोमती से पानी दिया जाय। सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि पूरा-पूरा वह देने के लिये तैयार है, यह वहां के अधिकारी के बयान हैं। श्री रामधर मिश्र जो उस वक्त सेंट्रल डिप्टी सिंचाई मिनिस्टर थे वह भी साथ थे। तो क्या माननीय मंत्री जी, जब सेन्ट्रल गवर्नमेंट तैयार है तब सरकार को इसको करने में क्या आपत्ति है ?

श्री गिरधारीलाल---

मैं बगैर सब रिपोर्ट्स देखे कोई जवाब इस संबंध में तो नहीं दे सकूंगा, लेकिन फिर भी ये पंपिंग की स्कीमें सरकार के विचाराधीन हैं और साथ ही साथ केन्द्रीय सरकार से हमारी बातें हो रही हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

मंत्री जी ने कहा कि मांग ज्यादा होने के कारण और पानी न होने के कारण हमने पानी नहीं दिया। तो क्या सरकार जहां पानी नहीं दे पाती उनको नहरों के कमान्ड एरिया से निकाल कर दूसरी सिंचाई की योजनाएं जैसे नलकूप, सरकारी या गैर-सरकारी नलकूप, वगैरह से सिंचाई की व्यवस्था करायेंगे ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

इसको मैं पहले ही कह चुका हूं कि जहां पानी नहीं जा सकता वहां का मामला सरकार के विचाराधीन है और हम विचार करते रहते हैं।

श्री अध्यक्ष---

उनका प्रश्न यह है कि नहरें होते हुये भी टेल पर पानी नहीं पहुंच पाता और आपने बयान दिया है कि हम इस बात का अनुभव करते हैं कि पानी, यद्यपि दिया गया, लेकिन पर्याप्त नहीं था; तो वह कहते हैं कि ऐसी एरियाज को निकाल कर नहर में से आप कोई दूसरा प्रबन्ध करने के लिये तैयार हैं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

साधन होने पर यह प्रयत्न किया जा सकता है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या मंत्री जी इस पर विचार करेंगे कि बरसात के दिनों में नदियों और नहरों से जो भरी रहती है तालाब वगैरह में पानी भरने का प्रबन्ध करेंगे ताकि जरूरत के वक्त उनसे पानी लिया जा सके ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

तालाब तो पहले होने चाहिये। तालाब बरसात में अपने आप भर जाते हैं, इस वजह से विभाग की तरफ स उनको भरे जाने का प्रश्न नहीं पैदा होता।

[२ अगस्त, १९६६ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१-३—श्री रियासत हुसैन—

[५वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये।]

*४-६—श्री कल्पनार्थसिंह—

[५वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये।]

मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट के अन्तर्गत क्लेम ट्रिब्युनल

*७—श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)

क्या परिवहन मंत्री दिनांक १५ मार्च, १९६६ को अतारांकित प्रश्न संख्या १ में दिये गये उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि उक्त क्लेम ट्रिब्यूनल बनाया जाने का विचार सरकार के यहां कब से विचाराधीन है और उसके संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक दिया जा सकेगा और उसे कब तक लागू किया जा सकेगा ?

परिवहन मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)—

सन् १९६२ से तथा अन्तिम निर्णय लागू होने की शीघ्र ही आशा है।

*८—श्री नाथूराम शिक्षक—

[४ थे बुधवार के लिये प्रश्न संख्या १८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*९-११—श्री झारखण्डेराय—

[६ठे मंगलवार के लिये प्रश्न संख्या ७-९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*१२—श्री ऊदल—

[५वें मंगलवार के लिये प्रश्न संख्या २९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*१३-१४—श्री चन्द्रबलीसिंह—

[५वें मंगलवार के लिये प्रश्न संख्या ३०-३१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*१५—श्री होरीलाल यादव—

[५वें मंगलवार के लिये प्रश्न संख्या ३२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*१६—श्री ऊदल—

[४थे मंगलवार के लिये प्रश्न संख्या १८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*१७-१८—श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—

[५वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये।]

नोट—तारांकित प्रश्न १७ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

*१९—श्री नाथू राम शिक्षक—

[५वें मंगलवार के लिये प्रश्न संख्या ५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*२०—श्री रामसुन्दर पांडेय—

[५वें मंगलवार के लिये प्रश्न संख्या ३३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*२१-२२—श्री उग्रसेन, श्री रियासत हुसैन तथा श्री राम किशोर त्रिपाठी—

[५वें मंगलवार के लिये प्रश्न संख्या ३४-३५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*२३—श्री मुहम्मद रफी खां—

[५वें मंगलवार के लिये प्रश्न संख्या ३६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

अतारांकित प्रश्न

बुलन्दशहर क्षेत्र में नलकूप जे० बी० सं० ४२ की नाली का मामला

१—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बुलन्दशहर नलकूप डिवीजन के राजकीय नलकूप जे०बी० संख्या ४२ की जो नाली उत्तर से दक्षिण को जाती है उसके निकट क्या कोई निजी नलकूप लगा हुआ है और राजकीय नलकूप की उक्त नाली को उक्त निजी नलकूप के स्वामी ने नाजायज तौर से अपने अधिकार में लेकर अपने निजी नलकूप के पानी का प्रयोग करने लगा है और उसके अतिरिक्त उक्त नाली के बहाव में भी परिवर्तन करके दक्षिण से उत्तर कर दिया है जिसके परिणामस्वरूप ग्राम रोड की उस भूमि की जो कि उक्त राजकीय नलकूप के सिंचाई-क्षेत्र में है, एक वर्ष से सिंचाई नहीं हो रही है ?

श्री गिरधारीलाल—

(अ) जी हां, प्रश्न में जो कुछ भी कहा गया है वह सत्य है ।

(ब) किन्तु यह नाली सरकार की पहले नहीं थी । वरन निजी नलकूप के मालिक की थी ।

२—श्री मुमताज मुहम्मद खां —

क्या सरकार को ज्ञात है कि ग्राम रोड के इस संबंध में पीड़ित कृषकों ने नलकूप विभाग में कितने ही शिकायती पत्र गत साल में भेजे हैं और उन पर इस समय तक क्या कोई विशेष कार्यवाही नहीं की गई ?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां । और यह नाली अब सरकार द्वारा ली जा रही है ।

वाराणसी तहसील में नलकूप

३—श्री विजयपालसिंह (जिला मुजफ्फरनगर) तथा श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव बैकुंठपुर व करमी तथा रेलवे लाइन के पश्चिम का क्षेत्र गांव गंगापुर तथा मंगारी के लिये तथा ब्लाक हेडक्वार्टर पिंडारा (मंगारी) पर जिससे नेवादा मंगारी बाजार के उत्तर का क्षेत्र, गंगापुर का पूर्वी क्षेत्र के लिये परगना कोंक असला तहसील व जिला वाराणसी में सिंचाई हेतु ट्यूबवेल की व्यवस्था करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक और क्या बैकुंठपुर में ट्यूबवेल लगाने का सर्वे हुआ था और ट्यूबवेल लगाने लायक क्षेत्र भी है, तो फिर क्यों नहीं लगाया गया ?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां, सम्पूर्ण ग्राम बैकुंठपुर व ग्राम करमी तथा गंगापुर के कुछ भाग को सम्मिलित करते हुए सिंचाई हेतु एक नया नलकूप जगदीशपुर में बनाया गया है। प्रश्न में कथित क्षेत्रों के शेष में प्रारम्भिक सर्वेक्षण हुआ था। विस्तृत सर्वेक्षण के पश्चात् यदि मितव्ययिता व प्राविधिक दृष्टि से नलकूप लगाना उपयुक्त पाया गया और धन उपलब्ध हो सका तो नलकूप का निर्माण जिला स्तर पर बनाई गई नलकूप परामर्शदात्री समिति की स्वीकृति पर निर्भर होगा।

लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन तथा विनियोग लेखे १९६२–६३ तथा १९६३–६४ एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, १९६४ तथा १९६५

*श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, कल मुझे ये नम्बर ३,४ और ५ की मद को सदन के सामने प्रस्तुत करना था। कल मैं इनको प्रस्तुत नहीं कर सका क्योंकि मैं समय पर उपस्थित नहीं हो सका। इसका मुझे खेद है।

मैं आपकी आज्ञा से लोक लेखा समिति, कांस उत्पादन योजना, यंत्र सज्जित राजकीय कृषि क्षेत्र तथा राजकीय नलकूप योजना से संबंधित लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों में की गई संस्तुतियों पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही के संबंध में लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

मैं लोक लेखा समिति, विनियोग लेखे १९६२–६३ तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, १९६४ पर लोक लेखा समिति उत्तर प्रदेश के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

मैं लोक लेखा समिति, विनियोग लेखे १९६३–६४ तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, १९६५ पर लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

इस विषय में मुझे आपसे एक निवेदन करना है और वह यह है कि लोक लेखा समिति के सभापति को हर वर्ष आडिट रिपोर्ट मई या जून में मिल जाया करती है, लेकिन अब अगस्त का महीना आ गया है, अभी तक अगस्त के आरम्भ होने पर भी रिपोर्ट नहीं मिली है। मुझे सूचना मिली है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में पड़ी है। मुझे ए० जी० से सूचना मिली है कि सरकार के पास रिपोर्ट पहुंच गई है, लेकिन आज तक मुझे नहीं मालूम कि इसके पीछे सरकार का क्या मन्शा है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई कारण इसके पीछे है। इसकी वजह से आज तक हम अपना कार्य आरम्भ नहीं कर पाये हैं। २, ३ महीने बाद लोग अपने कार्य में व्यस्त हो जायेंगे, चुनाव के काम में लग जायेंगे। उस समय काम करना संभव नहीं रह जायगा और फिर अगले सेशन के पहले प्रस्तुत करना संभव नहीं होगा। मैं समझता हूं सरकार को चाहिये कि पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट पब्लिश होते ही मिल जाया करे। इस तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो आप उचित समझें इस संबंध में कार्यवाही करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—

यह आडिट रिपोर्ट अभी तक क्यों नहीं आई यद्यपि ४ महीने हो रहे हैं, यह विषय ऐसा है जिसपर मैं अन्वेषण करूंगा और जानकारी करूंगा कि क्यों यह विलम्ब हो रहा है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

गवर्नर के पास पहुंच गई है और नियम के अनुसार ७ दिन के अन्दर मुझे मिलनी चाहिये यह सरकार एक भी नियम का पालन नहीं करती।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

†छापे नहीं गये।

श्री अध्यक्ष—

मैं इसको देखूंगा । यह विषय जरूर ऐसा है कि यदि बिलम्ब से रिपोर्ट आयेगी तो लोक-लेखा समिति कैसे इस पर काम करेगी और कब वह अपना प्रतिवेदन देगी । यह सभी बातें पैदा होती हैं ।

विधान सभा सचिवालय के कर्मचारियों को पहली तारीख को वेतन न मिलने के संबंध में शिकायत

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकारी सचिवालय के जो कर्मचारी थे उनको कल तनख्वाह मिल गई जुलाई मास की, लेकिन हमारे विधान सभा के सचिवालय के कर्मचारियों को अभी तक उनकी तनख्वाह नहीं दी गई, तो कृपया इसकी जानकारी करने की आवश्यकता है कि इसका क्या कारण है ?

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

जिन लोगों ने विधान सभा के कर्मचारियों को तनख्वाह देने का प्रबन्ध नहीं किया या इसमें बाधा उपस्थित की है उनके खिलाफ विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न बन सकता है । आप कृपा कर के पता लगायें कि कौन अधिकारी ऐसा है जिसकी वजह से यह देर हुई है ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, सब को मिल गई और इनको नहीं मिली, तो इसका कारण मालूम होना चाहिये ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

श्रीमन्, हाउस आफ कामन्स में ऐसा हुआ है । हाउस आफ कामन्स के कर्मचारियों को तनख्वाह जिन लोगों की वजह से नहीं मिली या जिन लोगों ने इसमें बाधा डाली उनके ऊपर विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाया गया है ।

श्री अध्यक्ष—

विधान सभा सचिवालय के जो कर्मचारी हैं वह तो आपके सेवक हैं और सदन के सेवक हैं ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

क्या कारण है कि इन लोगों के लिये सरकार ने ऐसा दृष्टिकोण अपनाया है ?

श्री अध्यक्ष—

जब वे आपके सेवक हैं तो आपका कर्त्तव्य यह है कि आप स्वयं इस सम्बन्ध में अन्वेषण करें । मेरे पास आकर बात-चीत कर सकते थे या सचिव से बात-चीत कर सकते थे और अगर कोई गलती कर रहा है तो उस विषय में आप कार्यवाही कर सकते थे । इस प्रश्न को सदन के समक्ष लाने का सवाल नहीं है । आप मालिक हैं ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मालिक तो सबसे बड़े आप ही हैं ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया कि वह सदन के सेवक हैं। यह बात मैंने उनसे भी कही थी कि वह सब इस सदन के सेवक हैं और इस वजह से जो सरकारी सचिवालय में लोग काम करते हैं उनके अनुयायी न बनें और इस सदन के सेवक होने के नाते सदन की बात मानें। मैं आज भी इस बात को मानता हूं कि वह आपके सेवक हैं। तो आप सक्षम है, इस पर अन्वेषण कर सकते हैं या मेरे कक्ष में मुझसे बात कर सकते हैं। यहां पर इस प्रश्न को नहीं उठाना चाहिये ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, यही उचित स्थान है जहां पर हम इस प्रकार के प्रश्नों को उठा सकते हैं।

राजकीय मुद्रणालय द्वारा विधान सभा का साहित्य छापने में देरी की शिकायत

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, एक बात मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आपका यह जो ऐशबाग का मुद्रणालय है यह विधान सभा सचिवालय के काम को नहीं करता है। तीन-तीन प्रतियां अभी तक हम लोगों को सदन में वितरित नहीं की गईं। मैं आपके जरिये से यह कहना चाहता हूं कि विधान सभा सचिवालय का काम उस प्रेस में मुद्रित होने के लिये निश्चित किया गया था, किन्तु देर का कारण यह है कि सीधे आपका नियंत्रण उस प्रेस पर नहीं है। आप इस प्रेस को अपने नियंत्रण में लें। इसके लिये कई बार मैंने सदन में सवाल उठाया तो आपने कहा कि लिख कर भेजें। लिखकर भेजे हुये भी ५, ६ महीने हो गये अभी तक उसका उत्तर नहीं मिला कि क्या हो रहा है। हमको इस बात की तकलीफ है कि उधर के बैठने वाले हमारे पत्रों का उत्तर भी नहीं देते और उत्तर देने के लिये तैयार भी नहीं हैं, लेकिन जब आपको सचिवालय से भी उत्तर न आये तो हमको तकलीफ होती है। फिर आपसे आग्रह करते हैं कि आप इस ऐशबाग के प्रेस को अपने नियंत्रण में लें और नियंत्रण में लेने में कोई कठिनाई हो तो फिर हाउस में उस पर विचार किया जाय। इसका कारण क्या है कि वह मुद्रणालय आपकी आज्ञा से खोला गया है लेकिन फिर भी वह आपका काम नहीं करता ? आप इस पर ६ मास से विचार कर रहे हैं। तो अब इस अपने विचार पर अन्तिम निर्णय कीजिये। २, ४ दिन के अन्दर निर्णय लीजिये इस पर आपका पैसा खर्च हो रहा है।

श्री अध्यक्ष—

आपने मुझे जो पत्र लिखा था उसके ऊपर मैंने अपने खयाल से सविस्तार टीका लिखकर सरकार के पास भेजी है। हम चाहते हैं कि ऐशबाग प्रेस में प्राथमिकता हमारे कार्य को दी जाय न कि सरकारी कार्य को। अगर सरकारी कार्य में बाधा पड़ती है तो वह अपना कार्य अन्य मुद्रण स्थान पर करा लें। ऐशबाग प्रेस के पास हमारा बहुत काम है। यह मैंने लिख कर भेजा है। इसलिये मुझे आशा है एक आध सप्ताह में मुझे उसका उत्तर मिल जायगा।

हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा छात्रवृत्ति के प्रार्थना-पत्र फार्म को विद्यालयों को न भेजना तथा अंतिम तिथि बढ़ाने की घोषणा न करने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास नियम ५२ के अन्तर्गत कई सूचनायें आई हैं। उन में एक माननीय गिरधर प्रसाद की सूचना है जिसको स्वीकार किया गया है। वह इस प्रकार है कि "हरिजन एवं

समाज कल्याण विभाग द्वारा छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति के लिये आवेदन-पत्र देने की अन्तिम तिथि समाप्त हो गई है परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों के सैकड़ों विद्यालयों में प्रार्थना-पत्र देने के फार्म ही नहीं पहुंचे। शहरों में जहां फार्म पहुंचे भी हैं वहां इतनी कम मात्रा में पहुंचे हैं कि हजारों छात्र आवेदन-पत्र देने की सुविधा से वंचित हो गये हैं। इसके बाद भी अभी तक तिथि बढ़ाने की घोषणा न किये जाने से राज्य के छात्रों तथा अभिभावकों में सरकार के प्रति असन्तोष एवं उत्तेजना व्याप्त है।"

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

मैं आप की आज्ञा से निवेदन कर दूं। पिछली दफा मैंने पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट देखी और इस विभाग में ऐसा अवसर हुआ है। अगर उनके पास फार्म न हों तो सादे कागज पर दरख्वास्त देने की बात वह मंजूर कर लें।

श्री अध्यक्ष---

पहली बात तो यह है कि वह तिथि बढ़ायें। दूसरे, यथा शीघ्र जो फार्म हैं वह भेजे और अगर फार्म नहीं भेज रहे हैं तो उनको आदेश दिये जायं कि फार्म की हस्तलिखित प्रति भी वे मंजूर करें। इस पर ध्यान दिया जाय।

समाज कल्याण मंत्री (डाक्टर सीताराम)---

इस पर मैं ५ तारीख को वक्तव्य दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष---

ठीक है।

नियम ५२ के अन्तर्गत अन्य सूचनाएं

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)---

मेरी भी नियम ५२ की एक सूचना है उसे पुलिस मंत्री जी को भेज दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---

वह मैं देख रहा हूं।

अब माननीय रणबहादुर सिंह और माननीय बृजबिहारी मिश्र की एक सूचना है कि पानी के अभाव से फसल सूख रही है और स्थिति भयावह है और वहां पर लगान वसूल किया जा रहा है। यह बस्ती और आजमगढ़ की बात है। मैं माननीय राजस्व मंत्री के पास इनको भेज रहा हूं। मैंने स्वीकार नहीं किये हैं।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

मैंने एक नियम ३० के अन्तर्गत दिया है। वह बड़े महत्व का है।

श्री अध्यक्ष---

वह बाद में लिया जायगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---

मेरी एक नियम ५२ की सूचना थी जिसमें केन्द्र में दिल्ली में सेल्स टैक्स एक पैसा प्रति रुपया है जब कि यहां ३ पैसे रुपया है। नतीजा यह हो रहा है कि उत्तर प्रदेश के आस-पास के व्यापारी दिल्ली से माल खरीद रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप अगर नियम ५२ पर बोलने लगेंगे तो सभी बोलने लग जायेंगे ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

इसको आप सरकार को भेज दीजिये ।

श्री अध्यक्ष—

मैं एक ही सूचना स्वीकार कर सकता था, वह मैंने किया है ।

कानपुर में छात्रों पर पुलिस द्वारा कथित लाठी चार्ज के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री वंशीधर पांडेय)—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक २६-७-६६ को फूलबाग में संयुक्त वाम पंथी मोर्चा की ओर से आयोजित एक सभा में यह घोषणा की गई थी कि दिनांक २७-७-६६ को कानपुर के समस्त छात्र विद्यालयों में हड़ताल रखें व जुलूस निकाल कर व सभा कर के लखनऊ छात्र आन्दोलन के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करें। अतः दिनांक २७-७-६६ को कानपुर के कान्य कुब्ज कालेज के कुछ छात्र ११.३० बजे छुट्टी होने के पश्चात् मारवाड़ी कालेज पहुंचे जहां वहां के थोड़े से विद्यार्थी भी उनमें शामिल हो गये। वहां से इन छात्रों का जुलूस फूलबाग की ओर चला। रास्ते में इन लोगों ने दो भवन व स्थानों से लम्बे-लम्बे बांस व तख्तों से निकली हुई पट्टियां व छोटे डन्डे भी उठा लिये। फूलबाग चौराहे पर पहुंचने पर इन छात्रों की संख्या लगभग २५० थी। फूलबाग चौराहे से छात्रों का जुलूस क्राइस्ट चर्च इण्टर कालेज की ओर चला। उसके वहां पहुंचने से पहले ही नगर मैजिस्ट्रेट, उपपुलिस अधीक्षक (नगर) स्थल पर पहुंच गये। उनके समझाने पर समस्त छात्रों ने अपने अपने बांस और तख्तों की पट्टियां वहीं सड़क पर रख दीं और इस बात पर सहमत हो गये कि वे फूलबाग जाकर सभा करेंगे। इसके पश्चात् छात्र फूलबाग की ओर चले। परन्तु कुछ छात्र थोड़ी दूर चलकर अचानक ही एक दूसरे मार्ग की ओर मुड़ गये जो जी० एन० के० कालेज और कचहरी के सामने से होता हुआ डी० ए० वी० कालेज को जाता है। उपर्युक्त अधिकारियों ने जैसे ही यह देखा, वे तुरन्त ही छात्रों के पास पहुंचे और उनसे ऐसा न करके फूलबाग जाने को कहा। इस पर सभी छात्र तुरन्त ही वापस हो गये और फूलबाग पहुंचे। वहां पहुंचने पर छात्रों की अधिक से अधिक संख्या १०० थी। फूलबाग में लगभग १५-२० मिनट तक छात्र बातचीत करते रहे, तत्पश्चात् अपने अपने घरों को लौट गये।

यह कहना गलत है कि जुलूस में छात्रों की संख्या १००० थी। पुलिस की ओर से कोई लाठी चार्ज अथवा दुर्व्यवहार छात्रों के प्रति नहीं हुआ ।

उपर्युक्त घटना से संबंधित कोई भी छात्र गिरफ्तार नहीं किया गया और न कोई किसी प्रकार घायल हुआ।

उपर्युक्त जुलूस के कारण अथवा उस समय के पश्चात् कानपुर नगर में किसी भी प्रकार की सनसनी एवं रोष का वातावरण व्याप्त नहीं है और न ही स्थिति चिन्ताजनक एवं विस्फोटक है। इसके विपरीत सामान्य जीवन में किसी प्रकार की रुकावट न जुलूस के समय थी और न उसके पश्चात् ही हुई ।

श्री शिवनाथसिंह (जिला कानपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि २५ तारीख को डी० ए० वी० कालेज में और २६ तारीख को फूलबाग में विद्यार्थियों की सभा हुई जिसमें २७ तारीख को हड़ताल करने का निश्चय विद्यार्थी नेताओं ने लिया और उसी के आधार पर पुलिस ने २६ तारीख

की रात को ही विद्यार्थी नेताओं को गिरफ्तार करने की एक संगठित योजना बनायी और सारे शहर में कालेज के विद्यार्थी नेताओं को गिरफ्तार करने के लिये पुलिस लगा दी गयी, परन्तु छात्र नेता गिरफ्तार नहीं हो पाये और दूसरे दिन दोसर वैश्य विद्यालय, तोमर वैश्य विद्यालय, मारवाड़ी कालेज और कान्यकुब्ज कालेज के विद्यार्थी हजारों की संख्या में जुलूस बना कर चले, तो काफी संख्या में पुलिस वालों ने आकर वहां लाठी-चार्ज किया जिसमें काफी विद्यार्थियों को चोटें आयीं, क्या यह सही है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

मान्यवर, जैसा कि मैंने अपने वक्तव्य में कहा है उस बात को आप देख लें। माननीय शिवनाथ सिंह ने जो बातें कही हैं वे तथ्य से परे हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

क्या गृह मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि २५, २६ और २७ तारीख को कानपुर में दफा १४४ लागू थी या नहीं ?

श्री बंशीधर पांडेय—

लागू थी।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या गृह मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जब दफा १४४ लागू थी तो उनका स्वयं, श्रीमन्, कहना है कि २५० लड़कों ने जुलूस निकाला और वे लाठी और सरियां लेकर चले उनको तितर-बितर होने के लिये उनसे निवेदन किया गया। तो मैं जानना चाहता हूं कि जिस वक्त अधिकारियों ने उनसे कहा कि लाठियां और सरियां हटा दो तो उनके न हटाने पर उन पर लाठी-चार्ज हुआ या नहीं ?

श्री बंशीधर पांडेय—

नहीं। वे छोटे बच्चे थे। मान्यवर, उसमें १६ वर्ष से ऊपर के शायद एक-दो छात्र रहे हों। वे पहली पाली में पढ़ने वाले छात्र थे। जो ११ बजे पाली खत्म हुई उन छात्रों पर कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ। जिस वक्त लड़के क्राइस्ट चर्च कालेज की तरफ जा रहे थे उस वक्त सिटी मैजिस्ट्रेट और डी० आई० एस० पी० ने उनसे कहा कि दफा १४४ लगी है, इधर मत जाओ, तो उन सब ने कहा कि हम फूलबाग की ओर जा रहे हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या गृह मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि फूलबाग में १५–२० मिनट तक उन १०० छात्रों ने क्या बात की ?

श्री बंशीधर पांडेय—

मेरे पास तो जो रिपोर्ट है उसमें यह है कि वे छात्र काफी रोष में थे और वे इसीलिये डी० ए० वी० कालेज जाना चाहते थे कि जिन छात्र नेताओं ने उनको हड़ताल करने के लिये ललकारा है चूंकि वे छात्र नेता हमारे सामने नहीं दिखलायी देते, लिहाजा उनको छुड़ा देने के लिये हम जा रहे हैं।

श्री शिवनाथसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि रिजर्व बैंक के पास जब विद्यार्थियों का जुलूस पहुंचा तो पुलिस ने आकर उनको रोका और उनके न मानने पर जब पुलिस ने लाठी चार्ज किया उस समय विद्यार्थियों ने वहां बन रही एक इमारत से बांस और सरियां उठा लीं

[श्री शिवनाथसिंह]

जिसका इस्तेमाल वे न कर सके और पुलिस ने उनको लाठियों से मारा फिर वे डी० ए० वी० कालेज की साइड में जाने लगे ?

श्री बंशीधर पांडेय--

मान्यवर, वह बच्चे थे, उन पर लाठी चार्ज का प्रश्न नहीं था। वह ट्रस्ट घर्च कालेज से कचहरी रोड होते हुए डी० ए० वी० कालेज की तरफ जा रहे थे और जब सिटी मैजिस्ट्रेट और डी० वाई० एस० पी० ने कहा तो वह फूलबाग की तरफ चले गये।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)--

क्या गृह मंत्री बतायेंगे कि आपके वक्तव्य में था कि पुलिस ने लाठी नहीं चलाई तो राज नारायण और रामचन्द्र नाम के दो छात्रों को कैसे चोटें आ गयीं ? क्या उनका डाक्टरी मुआइना हुआ ? क्या आप इसकी जांच करके सदन को बतायेंगे ?

श्री बंशीधर पांडेय--

यह सही नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

माननीय राधेश्याम जी का स्पष्ट प्रश्न है, श्रीमन्। उन्होंने निश्चित कहा कि दो छात्रों के चोट लगी है, उनके नाम बताये हैं। तो आप जांच कराइये कि उनको चोट कैसे आयी ? इससे इन्कार कैसे करते हैं ? उस लड़के से पूछें।

श्री बंशीधर पांडेय--

मेरे पास जो सूचना है उसके अनुसार लाठी चार्ज हुआ ही नहीं तो मैं जांच क्या कराऊंगा ? अगर चोट लगी थी तो उसकी कम्पलेंट करनी चाहिये।

श्री राधेश्याम शर्मा--

इनको अधिकारियों ने जो बता दिया वही ये कह रहे हैं। अगर जांच करें तो सब पता हो जायगा।

श्री अध्यक्ष--

अब यह विषय समाप्त।

मुख्य मंत्री द्वारा राजकर्मचारियों की मांगों से संबन्धित दिये गये आश्वासनों को पूरा न करने से उत्पन्न परिस्थिति के विषय पर नियम ३०१ के अन्तर्गत सूचना

*श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

मैंने नियम ३०१ के अन्तर्गत एक प्रार्थना-पत्र दिया है। यह राजकर्मचारियों का आन्दोलन कितना भीषण था, वह मुख्य मंत्री के आश्वासन पर वापस हुआ। वापसी के समय उन्होंने सरकारी कर्मचारियों की मांगों को माना। वह अब समय-समय पर घोषणा कर रही हैं। एक वक्तव्य निकला था उससे ऐसा मालूम होता है कि जिन-जिन बातों को उन्होंने माना था, अपने आश्वासनों को वह पूरा नहीं करेंगी और उनसे मुकर रही हैं। एक तो वह कहती हैं कि छटनी करेंगी। उन्होंने पहले यह कहा था कि छटनी नहीं की जायगी, फिर दोबारा कहती

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं कि की जायगी। फिर उन्होंने कहा था कि ३१ जुलाई तक महंगाई भत्ते के बढ़ाने के संबंध में घोषणा कर देंगी, वह घोषणा नहीं हुई। इस प्रकार की अनेक बातें उन्होंने अपने वक्तव्य में ऐसी कहीं जिनसे पता चलता है कि उस समय तो उन्होंने मान लिया, लेकिन अब वह अपनी प्रतिष्ठा और सरकार की प्रतिष्ठा को इस प्रकार धूल में मिला रही हैं, इससे वातावरण बिलकुल उलट जायगा। वह नहीं हो जैसा कि जगदीशशरण जी ने कहा था कि आग में घी फेंक रहे हैं, मेरा मतलब तो यह है कि उस वातावरण की पुनरावृत्ति न हो। हम मुख्य मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहते हैं ताकि उन आश्वासनों के पूरा होने का वातावरण उत्पन्न हो। इसलिये इस पर विचार जरा हो सके उसके लिये आप समय मुकर्रर करें और हमें अनुमति दी जाय कि इस प्रश्न को सदन में उठावें।

श्री अध्यक्ष---

मैं निवेदन कर दूं कि नियम ३०१ इस प्रकार है---"जो सदस्य सदन की जानकारी में कोई ऐसा विषय लाना चाहे जो औचित्य प्रश्न न हो तो वह सचिव को लिखितरूप में सूचना देगा, जिसमें संक्षेप में उस विषय को बतायेगा जिसे वह सदन में उठाना चाहता हो तथा साथ में कारण भी बतायेगा कि वह उसे क्यों उठाना चाहता है और उसे ऐसा प्रश्न उठाने की अनुज्ञा अध्यक्ष द्वारा सम्मति दिये जाने के बाद ही तथा ऐसे समय और तिथि के लिये दी जायगी जो अध्यक्ष निश्चित करें।"

माननीय नेता विरोधी दल, जहां तक मैं नियम ३०१ का आशय समझा हूं, कानून की दृष्टि से अगर इसको देखा जाय तो यह है कि जो सदस्य सदन की जानकारी में कोई ऐसा विषय लाना चाहे जो "औचित्य प्रश्न" न हो...

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी---

जो प्वाइंट आफ आर्डर न हो।

श्री अध्यक्ष---

तो वह उसकी सूचना दें। इससे मैं यह परिणाम निकालता हूं कि ३०१ का मंतव्य यह है कि कोई ऐसा विषय हो जो प्रोसीजर, यानी कार्य-संचालन की प्रणालियों और पद्धतियों से संबंधित हो, या कोई ऐसा विषय हो जो सदन की कार्यवाही या कार्यक्रम से संबंधित हो, उस संबंध में उठा सकेंगे, लेकिन...

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी---

नहीं, आदेश न दें। मैं मान गया कि यह बात सही है। लेकिन पहले जरा मेरा विचार सुन लें कि वह "ऐडजर्नमेंट मोशन में न आता हो, प्वाइंट आफ आर्डर न हो मगर बड़े महत्व का प्रश्न हो"। तो उसके लिये भी श्रीमन्, कोई रास्ता चाहिये। यह बड़े ही महत्व का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष---

आप तो यह शब्द अपनी तरफ से जोड़ रहे हैं कि कार्य-स्थगन न हो, यह न हो, वह न हो आदि, उसमें केवल "औचित्य का प्रश्न न हो", यह शब्द लिखे हैं।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी---

मैंने बहुत सोच विचार कर यह ३०१ के अन्तर्गत रखा है श्रीमन्, आप कुछ अपने स्वविवेक को भी इस्तेमाल करें और इसे स्वीकार करने की कृपा करें। यह सदन के हित में है, जनता के हित में है, प्रान्त और प्रशासन के हित में है। आज इतने उच्च स्थान पर होते हुये माननीया मुख्य मंत्री ऐसे बयान दें, यह विचारणीय बात है।

श्री अध्यक्ष---

यह और तरह से आ सकता है, अल्पसूचित प्रश्न के रूप में आ सकता है, और भी तरीके हैं ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

अल्पसूचित में दो एक प्रश्न ही हो पाते हैं ।

श्री अध्यक्ष--

नियम ३०१ के अन्तर्गत यह नहीं आ सकता, यह मेरा मत है ।

स्टेट आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ में तालाबन्दी के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

*चिकित्सा मंत्री (श्री दाऊदयाल खन्ना)---

स्टेट आयुर्वेदिक कालिज के छात्रों की हड़ताल १० जनवरी, १९६६ से शुरू हुई थी । छात्रों को लगभग महीने भर तक समझाने बुझाने का प्रयास किया गया किन्तु उन पर उसका कोई प्रभाव नहीं दिखाई पड़ा । उनकी ओर से होने वाली अनुशासनहीनता की कुछ घटनायें भी हमारी नोटिस में आईं, अतः मजबूर हो कर ९ फरवरी, १९६६ से कालिज बन्द कर दिया गया ।

विभागीय अधिकारी छात्रों तथा उनके अभिभावकों के प्रतिनिधियों से इस बीच में बराबर बात करते रहे और उनसे बार-बार अपील की गई कि वे अपनी पढ़ाई आरम्भ करने के लिये राजी हो जायें, फिर भी विद्यार्थियों पर समझाने बुझाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है ।

कालिज के प्रिंसिपल की ओर से छात्रों के अभिभावकों को भी इस संबंध में कई बार लिखा गया । उन्होंने २२ फरवरी, १९६६ को एक पत्र अभिभावकों को भेजा था जिसमें उनसे कहा गया था कि यदि उनके छात्र अनुशासनपूर्वक अपनी पढ़ाई आगे चलाने को तैयार हों तो कालिज फिर से खोलने पर विचार किया जायेगा । इस सम्बन्ध में २३ अप्रैल, १९६६ तक ११४ अभिभावकों ने स्वीकारात्मक उत्तर भेजे थे । उनमें उन छात्रों के अभिभावक भी थे जो तृतीय से पंचम वर्ष तक की कक्षाओं में पढ़ते थे । इस आधार पर कालिज को खोलने की दिशा में पहला कदम यह उठाया गया कि तृतीय वर्ष से पंचम वर्ष तक के उन छात्रों को, जिनके अभिभावकों की स्वीकृति आ गई थी १८ मई, १९६६ से स्टेट आयुर्वेदिक कालिज ऐंड हास्पिटल, लखनऊ, बलरामपुर हास्पिटल, लखनऊ तथा मेंटल हास्पिटल आगरा में क्लिनीकल ट्रेनिंग के लिये नियुक्त किया गया । किन्तु अभिभावकों के पूर्व आश्वासन के बावजूद यह छात्र उपर्युक्त ट्रेनिंग के लिये नहीं गये । यही नहीं, कुछ अभिभावकों की ओर से प्रिंसिपल के पास इस आशय के पत्र भी आये कि गर्मियों में कालिज का खोलना वांछनीय न होगा । छात्रों और अभिभावकों के इस रवैये को देखते हुये उस समय कालिज का खोला जाना ठीक नहीं समझा गया । सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि यदि संभव हो सके तो इस नये सत्र में कालेज जल्दी खोल दिया जाय । जिन परिस्थितियों में सरकार को बाध्य होकर कालिज इतने दिन तक बन्द रखना पड़ा उसके उत्तरदायी छात्र ही हैं ।

यह आरोप किया गया है कि छात्रों को छात्रावास से जबरन निकाल दिया गया था । स्थिति ऐसी नहीं है । कालिज बन्द हो जाने के बाद सामान्यतया छात्रों को छात्रावास में रहने का कोई अधिकार नहीं था । अतः छात्रावासियों को १२ फरवरी, १९६६ को प्रिन्सिपल ने नोटिस भेजा था कि वे छात्रावास खाली कर दें, किन्तु विद्यार्थियों ने अभी तक छात्रावास खाली नहीं किया और कालिज बन्द होने के बावजूद अब तक २० छात्र वहीं रह रहे हैं । चूंकि हमारी चेष्टा थी कि कालिज जल्दी से जल्दी फिर से खोला जाय और छात्र फिर अनुशासित रह कर अपनी पढ़ाई जारी कर दें, इसलिये छात्रावास में जबरन रुके रहने वाले छात्रों के खिलाफ अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जहां तक छात्रों की मांगों का संबंध है, इस विषय में शासन द्वारा समय-समय पर कई बार स्पष्टीकरण किया जा चुका है और इस सदन में भी कुछ सदस्यों के प्रश्नों के उत्तर में २ मार्च और १३ अप्रैल, १९६६ को पूरी सूचना दी जा चुकी है। ऐसी दशा में छात्रों का हड़ताल जारी रखना उचित नहीं है। मुझे विश्वास है कि अभिभावकों और माननीय सदस्यों की प्रेरणा से कालिज खुलने पर अब छात्र अनुशासनपूर्वक अपनी पढ़ाई आरम्भ करेंगे।

जहां तक इस वर्ष नये दाखिले करने का संबंध है, पिछले वर्ष के छात्रों की अभी वार्षिक परीक्षा नहीं हुई है। यदि कालिज खुलने पर विद्यार्थी ठीक से पढ़ाई शुरू कर देते हैं तो कुछ समय बाद उनकी परीक्षा की व्यवस्था करने पर विचार किया जायगा, पर उस स्थिति में भी यह संभव नहीं होगा कि इस वर्ष नये दाखिले किये जायें, क्योंकि अभी प्रथम वर्ष से पंचम वर्ष तक के छात्र कालिज में पिछले वर्ष की भांति ही मौजूद हैं।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

श्रीमन्, मेरा व्वयस्था का प्रश्न है। आप प्रस्ताव देखें जिसको मैंने उठाया था। उसमें हमने सरकार का ध्यान इस ओर भी आकर्षित किया था कि कुछ बातें ऐसी हैं जिनको लेकर इस सरकार और छात्रों के बीच मतभेद हुआ। उसमें कोर्स, डिप्लोमा और वेतन-क्रम के संबंध में आप देखें कि पूरे वक्तव्य में इस बात का,कहीं भी जिक्र नहीं है कि उस संबंध में सरकार ने क्या व्यवस्था की है और उस आधार पर क्या कार्यवाही की। इसके साथ ही साथ यह भी देखा जाय कि यह कब तक खुल जायेगा। इस संबंध में भी सरकार ने कोई स्पष्ट बात नहीं की। मैं व्यवस्था चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस संबंध में घोषणा करें जिससे कि छः मास से बन्द कालेज शांतिपूर्ण तरीके से पुनः चल सके और स्थिति में सुधार हो सके।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, मैं भी यही कहना चाहता था कि कालेज खुलना चाहिये, विद्यार्थियों को जाना चाहिये। अभिभावकों का इतना पैसा बर्बाद हो रहा है, समय भी बर्बाद हो रहा है। इससे हमको बड़ा दुःख है। मुझे एक बात याद आती है कि एक मर्तबा मंत्री जी ने इस प्रश्न को सुना था और जहां तक मुझे स्मरण है उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिये भी कहा था। परन्तु मुझे ठीक स्मरण है कि इसके लिये कोई कमेटी नहीं बैठी थी। क्या मंत्री जी ऐसा कोई वातावरण पैदा करने के लिये और उन की मांगों का औचित्य जानने के लिये कोई आश्वासन देंगे ताकि वे लोग पुनः पढ़ने जांय और अभिभावकों का रुपया बर्बाद न हो ?

श्री अध्यक्ष—

वे इन सुझावों को ध्यान में रखेंगे।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि एक बार नहीं, अनेक बार सरकार से कहा कि जब सदन चलता हो तो सरकार की ओर से कोई घोषणा करनी हो तो वह सदनमें होनी चाहिये। आपको याद दिलाऊं कि अभी माननीया मुख्य मंत्री ने दिल्ली में राज्य कर्मचारियों के संबंध में अनेकानेक घोषणायें की हैं, तो इस प्रकार जो आपके आदेश हैं उनका उन्होंने उल्लंघन किया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपकी ओर से नहीं बल्कि हमारी ओर से जो नोटिस जाते हैं उसको तो आप स्वीकार करें और सरकार के मुंह में लगाम लगायें। उनकी जो इच्छा होती है वे बाहर कह देती हैं। सदन में कोई दूसरा ही भाषण होता है और बाहर दूसरा होता है। सदन में आपके आदेशानुसार यहां घोषणा करनी चाहिये। ये आपके स्पष्ट आदेश हैं और उनका पालन नहीं हो रहा है। इसलिये विशेषाधिकार का नोटिस आपके जरिये दे रहा हूं।

श्री खेमचन्द (जिला आगरा)—

अध्यक्ष महोदय, कल माननीय मुकुन्दीलाल जी ने भी यह एतराज किया था कि हिन्दी वरजन में गलतियां होती हैं। क्या हिन्दी का ट्रान्सलेशन ठीक माना जायगा या अंग्रेजी का वरजन? इसमें आप अपनी व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष—

हमें अंग्रेजी से कतई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ हिन्दी देखना है। अनुच्छेद ३४८ में यह लिखा हुआ है कि यह गवर्नर का कर्त्तव्य है कि जो विधेयक यहां स्वीकार हो, उनका अधिकृत अनुवाद अदालतों के लिये वे प्रकाशित करायें। हमारा संबंध केवल हिन्दी से है।

समाज कल्याण मंत्री (डाक्टर सीताराम)—

श्रीमन्, मुझे यह संशोधन स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (१) की दूसरी पंक्ति में शब्द 'उद्योग और विद्युत्' के स्थान पर शब्द' 'उद्योग और वित्त' रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ३ और खंड ४ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ५

धारा १३ का संशोधन

५—मूल अधिनियम की धारा १३ की उपधारा (२) में—

"(१) खण्ड (१) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात्—

"(१) किसी ऐसे अभ्यर्थी की परीक्षा को रद्द करना या उसके परीक्षा-फल को रोक लेना, या उसे किसी भावी परीक्षा में बैठने से वंजित कर देना, जिसे वह—

(क) परीक्षा में अनुचित उपायों का प्रयोग करने का; या

(ख) संस्था अथवा परीक्षा में प्रवेश पाने के लिये प्रार्थना-पत्र में कोई असत्य विवरण देने या महत्वपूर्ण सूचना अथवा तथ्य छिपाने का ; या

(ग) परीक्षा में कपट करने अथवा प्रतिरूपण करने का; या

(घ) उक्त परीक्षा में प्रवेश के नियमों का उल्लंघन करके परीक्षा में प्रवेश पाने का ; या

(ङ) परीक्षा के दौरान में किसी अनुशानहीनता का; दोषी पाये।"

(२) खण्ड (१) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्—

"(१-अ) किसी परीक्षा में ऐसे अभ्यर्थी के अंक काट लेना जिसे वह किसी परीक्षा के दौरान में किसी अनुशासन-हीनता का दोषी पाये ; और

(३) उपखण्ड (२) में, प्रथम पंक्ति में शब्द "जो" के स्थान पर शब्द "जिसे वह" रख दिया जाय और तृतीय पंक्ति में शब्द "पाया जाय" के स्थान पर शब्द "पाये" रख दिया जाय।

*श्री कमलासिंह यादव—

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ५ के उपखंड (२) के खंड १—अ के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड १—अ निम्नरूप में रख दिया जाय—

"(१—अ) किसी परीक्षा में ऐसे अभ्यर्थी के अंक काट लेने के लिये परिषद् संबंधित अधिकारी को निदेश दे सकती है जो वह परीक्षा के दौरान किसी अनुचित उपायों का प्रयोग किया हो।

श्रीमन्, जहां तक इस (१—अ) का संबंध है जो इस विधेयक में दिया गया है वह आप देखें। वह इस प्रकार है कि "किसी परीक्षा में ऐसे अभ्यर्थी के अंक काट लेना जिसे वह किसी परीक्षा के दौरान में किसी अनुशासनहीनता का दोषी पाये।" अनुशासनहीनता हम भी नहीं चाहते, लेकिन अगर नकल की हो या किसी अनुचित उपाय का प्रयोग किया हो तब भी परिषद् को तो नम्बर देने या नम्बर काटने का अधिकार नहीं है, यह अधिकार तो परीक्षक को है कि वह नंम्बर काटे या बढ़ाये या जितने चाहे दे। तो जब यह अधिकार परिषद् का नहीं है तो उस हालत में इस विधेयक के द्वारा उसे ऐसा अधिकार देना उचित नहीं है। दूसरी चीज यह है कि परीक्षा एक शिक्षार्थी ने दी और उसे नम्बर प्राप्त हो गये और उसके बाद यदि कोई अनुशासन की कार्यवाही उसके खिलाफ की जाती है या वह कोई गलत काम करता है तो उसे उसके आगे के गलत काम के लिये उसके पिछले अर्जित नम्बरों से उसे वंचित करना या काटना उचित न होगा क्योंकि जिस दिन उसको नम्बर दिये गये हैं वह उसकी उस दिन की हालत के अनुसार दिये गये हैं और उन नम्बरों में कमी करना उसकी बाद की अनुशासनहीनता के लिये उचित न होगा।

दूसरी बात यह है कि धारा १३ में जो नये खंड (२) का (१) है उसमें दिया गया है कि "किसी ऐसे अभ्यर्थी की परीक्षा का रद्द करना या उस के परीक्षा फल को रोक लेना या उसे किसी भावी परीक्षा में बैठने से वर्जित कर देना जिसके संबंध में यह पाया जाय।" यह जो ४—५ कारण इसमें दिये हैं अगर यह साबित हो जाय कि उसने ऐसा किया है, यानी कि यह बातें अनुचित मानी गई हैं। अगर इस तरह से वह अनुचित उपायों को जो कि मैंने अभी गिनाये उनका वह प्रयोग करें तो उचित न होगा। शिक्षा संबंधी अधिकारी को इस तरह का अधिकार हो सकता है कि वह नम्बर दे या न दे या काटे लेकिन परिषद् को खुद कोई नम्बर देने या काटने का अधिकार नहीं हो सकता। यह जो संशोधन है उसमें परिषद् को ऐसे अधिकार देने की बात कही गई है क्योंकि जो धारा १३ है वह इस प्रकार है कि.....

श्री अध्यक्ष—

उस का क्या काम है ?

श्री कमलासिंह यादव—

नम्बर देने के लिये परीक्षक तथा अन्य अधिकारी हैं लेकिन परिषद् का इस काम से कोई वास्ता नहीं है, वह नम्बर घटा बढ़ा नहीं सकती। परिषद् का काम केवल इतना है कि जब परिषद् बैठती है तो प्रोमोशन के लिये वह निश्चित करती है कितने नम्बर कम होने पर वह दिया जाय, एक विषय के फेल वालों को दिया जाय या २ वालों को भी दिया जाय लेकिन किसी भी कानून में यह नहीं है कि अनुशासनहीनता के लिये परिषद् नम्बर घटाये या बढ़ाये।

एक चीज और भी सामने आ सकती है। यदि कोई लड़का इम्तिहान दे रहा है तो उसको नम्बर मिल चुके हैं। मान लीजिये उसको ५० नम्बर एलोटेड है तो उसमें २० या ३० नम्बर मिल चुके हैं तो फिर इम्तिहान के बाद और नम्बर नहीं काटे जा सकते हैं। इसलिये मैंने यह संशोधन रखा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*डाक्टर सीताराम--

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय कमलासिंह जी ने जो अपना आर्गुमेंट रखा है, उसका में विरोध करता हूं। इसमें दो बातें स्पष्ट हैं। पहली बात तो यह है कि जो उन्होंने अपना आर्गुमेंट रखा कि ऐसे अभ्यर्थी की परीक्षा को रद्द करके उसके परीक्षा फल को रोक लिया जाय या उसे भावी परीक्षा में बैठने से रोक लिया जाय। खंड ५ क के अन्तर्गत है किसी परीक्षा में ऐसे अभ्यर्थी के अंक काट लेना जिसे वह किसी परीक्षा के दौरान में किसी अनुशासनहीनता का दोषी पाये।

इससे यह होगा कि हर एक पौलीटैक्नीक या टैक्नीकल इन्सटीट्यूट जो टैक्नीकल बोर्ड के परव्यू में आता है उसमें ५०-७५ नम्बर हैं जो उनको अनुशासन के अन्तर्गत रहने के लिये दिये जाते हैं। अगर कोई छात्र अनुशासनहीन है तो इन ५०-७५ के बीच में पाते हैं। तो जो अध्यापक या प्रिंसिपल उनके इंचार्ज होते हैं वे नम्बर काटने के पहले बोर्ड को रेफर करते हैं तो यहां से एप्रूवल होता है। सेक्शन १३ में बोर्ड का पूरा अधिकार है। बोर्ड नाना प्रकार की समितियां बना सकता है। इसलिये मैं माननीय कमला सिंह जी के संशोधन का विरोध करता हूं।

*श्री कमला सिंह यादव--

जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा धारा १३ में तो परिषद् को अधिकार दिया गया है। जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि जो प्रिंसिपल या अध्यापक होता है वह ही नम्बर काटता है तो यह तो परिषद् को काटने का अधिकार दिया गया है। धारा १९ के अधीन परिषद्, अपने अधिकारी के प्रयोग, कर्तव्यों के पालन या कृत्यों के निर्वाहन के दौरानमें उठने वाले किसी प्रश्न को उपयुक्त समिति को अभिदिष्ट कर सकती है और जब कभी इस प्रकार का अभिदेश किया जाय तो परिषद् उस पर निर्णय लेने के पूर्व समिति के प्रतिवेदन, सिफारिशों तथा सुझावों पर विचार करेगी।

यह तो दूसरी चीज है। समिति जो बनेगी उसके बारे में दिया गया है। जैसे पाठ्यक्रम या और समितियां हैं, उनको अधिकार देने के संबंध में है। समितियां जो रिपोर्ट देंगीं, उन पर परिषद् विचार करेगा। तो जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया, मैं नहीं समझता हूं कि वह धारा किसी भी रूप में उपयोग में लायीं जा सकती है।

दूसरी चीज यह है कि (क) से (घ) तक वह चीजें दी हुई हैं और अनुशासनहीनता भी दी गई है। सभी चीजों के लिये नम्बर काटे जा सकते हैं.....

श्री अध्यक्ष--

नहीं, उन का कहना यह है कि जब अनुशासनहीनता के लिये आप उस की परीक्षा को रद्द कर सकते हैं, परीक्षा फल को रोक सकते हैं,परीक्षा देनेसे रोक सकते हैं तो फिर अनुशासनहीनता की बजाय यह सजा देने के लिये अंक काट लें तो क्या हर्ज है ?

डाक्टर सीताराम--

अनुशासनहीनता के लिये ५० से ७५ नम्बर हर पोलीटेक्निक में अलाटेड होते हैं, उस संबंध में यह रखा गया है।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड ५ के उपखंड (२) के खंड १-अ के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड १-अ निम्न रूप में रख दिया जाय :

"(१-अ) किसी परीक्षा में ऐसे अभ्यर्थी के अंक काट लेने के लिये परिषद् संबंधित अधिकारी को निदेश दे सकती है जो वह परीक्षा के दौरान किसी अनुचित उपायों का प्रयोग किया हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड ५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ६

धारा १४ का संशोधन

६—मूल अधिनियम की धारा १४ की उपधारा (३) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"(३) उपधारा (१) और (२) में किसी बाद के होते हुये भी राज्य सरकार किसी भी आपाती दशा में जिसके कारण उसकी राय में तत्कालिक कार्यवाही करना आवश्यक हो, परिषद् को पहले अभिदिष्ट किये बिना इस अधिनियम के स्पष्ट उपबन्धों से संगत ऐसे कोई निदेश जारी कर सकती है या ऐसी अन्य कार्यवाही कर सकती है, जो वह उचित समझे।"

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६ के उपखंड (३) की द्वितीय पंक्ति में शब्द "आपाती दशा" और शब्द "में" के बीच "अथवा किसी विशेष परिस्थिति" रख दिया जाय।

मंत्री जी ने कल जब सदन में यह बात कही कि जब विदेश से कोई विद्यार्थी प्राविधिक शिक्षा हासिल करने के लिये यहां आता है और किसी वजह से उस दिन जिस दिन डेट आफ ऐडमिशन हो वह न पहुंच सके तो दिक्कत होती है.....

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

श्रीमन्, यह बिल १ बजे खत्म होने वाला था।

श्री अध्यक्ष—

१ बजकर १० मिनट पर कल ४० मिनट रह गये थे, ४ घंटे २० मिनट हो गये हैं।

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसी दास)—

लेकिन श्रीमन्, वोटिंग कैसे करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

उस को सदन मान लेगा।

मैं समझता हूं कि अब इस को समाप्त किया जाय।

श्री कमलासिंह यादव—

तो मैं कह रहा था कि यह नहीं कहा जा सकता कि इमरजेंसी हमेशा रहेगी। हो सकता है कि कोई विशेष परिस्थिति आ जावे। इसलिये मैं मंत्री जी से कह रहा था कि अपने अधिकारों को समाप्त मत कीजिये बल्कि व्यापक रखने की कोशिश कीजिये।

डाक्टर सीताराम—

माननीय कमला सिंह जी सरकार को ज्यादा पावर दे रहे हैं। मैंने "इमरजेंसी" शब्द रखा है, इमरजेंसी में ही इस बल का प्रयोग किया जायगा। अगर उनकी बात मान लें तो अभी कल ही सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे थे।

श्री अध्यक्ष—

माननीय कमला सिंह जी, आप खुद ही नाराज होंगे, गवर्नमेन्ट को अगर यह अधिकार दे दिया।

श्री कमलासिंह यादव—

मैं दूसरी बात कह रहा था। जब इमरजेंसी डिक्लेयर की गई तो जिस दिन खत्म हो जायगी सेन्ट्रल की ओर से तो इस विधेयक का मन्तव्य खत्म हो जायगा और अगर विशेष परिस्थिति भी इसमें है और अगर वह आपातिक काल खत्म हो जाय तो उसके बाद विशेष परिस्थिति जिसमें ऐसा संशोधन करने की जरूरत पड़ी, तो मंत्री जी इस धारा का प्रयोग कर सकेंगे। मान लीजिये अगर कल ही इमरजेन्सी खत्म हो गई तो क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड ६ के उपखण्ड (३) की द्वितीय पंक्ति में शब्द "आपाती दशा" और शब्द "में" के बीच "अथवा किसी विशेष परिस्थिति" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ७ तथा ८

धारा १८ का संशोधन

७—मूल अधिनियम की धारा १८ की उपधारा (१) में शब्द "एक पाठ्य पुस्तक तथा पाठ्यचर्या समिति" के स्थान पर शब्द "पाठ्यक्रम समितियों" रख दिये जायें।

धारा १९ के स्थान पर नयी धारा का रखा जाना

८—मूल अधिनियम की धारा १९ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

परिषद् द्वारा समितियों को प्रतिनिधान और अभिदेश

(१) परिषद् सामान्य या विशेष आदेश, या तो बिना शर्त के अथवा ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के, यदि कोई हों, जिनके अन्तर्गत उसके द्वारा स्वयं पुनर्विलोकन करने की शर्त भी है, अधीन रहते हुए, जो आदेश में निर्दिष्ट की जायें, इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी समिति को, इस अधिनियम के अधीन अपने उन अधिकारों तथा कर्तव्यों को प्रतिनिहित कर सकती है जिन्हें वह आवश्यक समझे।

(२) पूर्वोक्त अधिकार की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, परिषद् इस अधिनियम के अधीन अपने अधिकारों के प्रयोग, कर्तव्यों के पालन तथा कृत्यों के निर्वहन के दौरान में उठने वाले किसी प्रश्न को उपयुक्त समिति को अभिलिखित कर सकती है और, जब कभी इस प्रकार का अभिदेश किया जाय तो परिषद् उस पर निर्णय लेने के पूर्व, समिति के प्रतिवेदन, सिफारिशों तथा सुझावों पर विचार करेगी।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ७ और ८ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ९

९—मूल अधिनियम की वर्तमान धारा २१ की संख्या बदलकर उसे उसकी उपधारा (१) कर दिया जाय, और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्—

"(२) केन्द्र के किसी अभीक्षक या अभीक्षक या उपधारा (१) में उल्लिखित अवधि में, आक्रमण, या आपराधिक बल प्रयोग करने को लोक-सेवक के कृत्यों के निर्वहन में स्वेच्छया बाधा डालना समझा जायेगा। जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा १८६ के अधीन दण्डनीय होगा और वह कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, १८९८ में किसी बात के होते हुए भी, संज्ञेय अपराध होगा।"

धारा २१ का संशोधन अधिनियम संख्या ४५, १८६० ऐक्ट संख्या ५ १८९८

*श्री कमलासिंह यादव—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ९ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:

"मूल अधिनियम की धारा २१ के अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं और प्रस्तावित उपधारा (२) निकाल दी जाय :

प्रतिबन्ध यह है कि प्रत्येक आक्रमण, आपराधिक बल प्रयोग सम्बन्धी कार्य संज्ञेय अपराध समझे जायेंगे।"

जहां तक इस धारा का सवाल है अगर धारा १८६ पेनल कोड की ओर ध्यान दिया जाय तो 'आब्स्ट्रक्शन' शब्द दिया हुआ है और इस सेक्शन के अन्दर कोई संशोधन नहीं दिया हुआ है और जब कोई संशोधन नहीं किया गया है तो आब्स्ट्रक्शन का इंटरप्रिटेशन क्या होगा यह कोर्ट्स पर आधारित है। संविधान में दिया हुआ है कि लॉ के इंटरप्रिटेशन का अधिकार कोर्ट्स को ही है और सदन इंटरप्रेटेशन दे तो अनुचित होगा। सदन को पावर है कि वह सेंट्रल ऐक्ट्स में संशोधन कर सकता है उत्तर प्रदेश के लिए और अगर १८६ में कोई संशोधन लाये होते तो वह बात मानने को थी लेकिन जब संशोधन नहीं है तो फिर यह कहना कि आब्स्ट्रक्शन के यह मानी होंगे गलत है। कोर्ट्स को कोई बाध्य नहीं कर सकता, यह उनका मूल अधिकार है। माननीय मंत्री जी की अगर यह मंशा है कि इम्तिहान सम्बन्धी जितन दोष होंगे वे सब कागनिजेबिल आफेन्सेज होंगे तो इस संशोधन के जरिये से कोर्ट्स के अधिकार पर आक्षेप किया गया है। जो संशोधन मैंने रखा है उसे स्वीकार किया जाय तो यह मंशा पूरी हो सकती है वर्ना इंटरमीडियेट एजूकेशन एग्जामिनेशन में जो बात रखी गयी है, उसके आधार पर यह अगर रखा गया है तो यह सही नहीं है, जो आप के एडवोकेट जनरल हैं उनसे राय ले लें ताकि ऐसी गलती भविष्य में न हो।

डाक्टर सीताराम—

जो संशोधन किया गया है वह ला डिपार्टमेंट से पूछ कर ही किया गया है और इंटरमीडिएट एजूकेशन ऐक्ट से यह धारा ली गयी है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ९ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"मूल अधिनियम की धारा २१ के अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं और प्रस्तावित उपधारा (२) निकाल दी जाय :

प्रतिबन्ध यह है कि प्रत्येक आक्रमण, आपराधिक बल प्रयोग सम्बन्धी कार्य संज्ञेय अपराध समझे जायंगे।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ९ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १०, खण्ड १, प्रस्तावना और शीर्षक

१०—मूल अधिनियम की धारा २२ की उपधारा (२) में, खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात्

धारा २२ का संशोधन

"(क) धारा (४) के खण्ड (७), (१४) और (१५) में उल्लिखित सदस्यों के आवर्तन की रीति और उनकी पदावधि"

उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, १९६६

उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अधिनियम, १९६२ में आगे दिये हुए प्रयोजनों के निमित्त संशोधन करन के लिए

विधेयक

भारतीय गणतन्त्र के सत्रहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, १९६६ कहलायेगा।

संक्षिप्त नाम।

*श्री कमलासिंह यादव—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १० के प्रस्तावित उपखंड (क) में खंड "(७)" के पहले "(४) (५)" और "(७)" के बाद "(११)" जोड़ दिया जाय।

जो (४) (५) है वह राज्य विधान परिषद् द्वारा अपने सदस्यों में से निर्वाचन के बारे में है। तो (५) में तो नहीं होगा लेकिन (४) में यह जरूर होगा कि निर्वाचन किस प्रकार हो, इसके लिये नियम बनाना चाहिये। वैसे ही (११) में हम इंस्टीट्यूशन आफ इंजीनियर्स इंडिया का एक प्रतिनिधि। इसके बारे में भी एक रूल बनाना पड़ेगा कि कौन आदमी उसका प्रतिनिधि होगा। इसलिये नियम बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसके साथ अगर यह भी जोड़ दिया जाता है तो मैं समझता हूं कि ज्यादा सुन्दर होगा।

*डाक्टर सीताराम—

अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय कमलासिंह ने पेश किया है उसका मैं विरोध करता हूं क्योंकि उनका कहना है कि विधान परिषद् के जो मेम्बर हैं उनका भी किस तरह से सेलेक्शन हो उसको भी रूल में लाया जाय। इसके अलावा (५) में वे कहते हैं कि फाइनेन्स और इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स के आफिसर्स किस तरह से रखे जायंगे। तो जिस तरह से उनको नामिनेट किया जाता है और जितने ड्यूरेशन के लिये होते हैं उस पीरियड तक रखते हैं। यह ७, १४ और १५ में उनका टर्म बाई रोटेशन डिफाइन किया गया है। इसलिये प्रस्ताव यहां पर रखा गया है उसका मैं विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १० के प्रस्तावित उपखंड (क) में खंड "(७)" के पहले "(४) (५)" और "(७)" के बाद "(११)" जोड़ दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १०, खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

डाक्टर सीताराम—

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, १९६६ पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, १९६६ पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

†उत्तर प्रदेश औद्योगिक उपक्रम (बेरोजगारी रोकने के लिये विशेष उपबन्ध) विधेयक, १९६६

*सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)—

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक उपक्रम (बेरोजगारी रोकने के लिये विशेष उपबन्ध) विधेयक, १९६६ पर विचार किया जाय।

(इस समय १ बजकर ६ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री कृष्णानन्द राय पीठासीन हुए।)

श्रीमन्, यह एमर्जेंसी का एक विधेयक है,। हमारे प्रदेश में इस वर्ष संकटकालीन स्थिति उत्पन्न हो जाने की वजह से बहुत सी कपड़े की मिलों पर प्रभाव पड़ा है जिसकी वजह से हजारों की तादाद में श्रमिक बेरोजगार हो गये हैं। हाथरस में दो टेक्सटाइल मिलें बन्द हो गयी हैं जिनकी वजह से करीब दो हजार श्रमिक बेरोजगार हो गये हैं। आगरे की तीन जोन मिल बन्द पड़ी हैं जिसकी वजह से लगभग दो हजार श्रमिक बेकार हो गये हैं। बनारस की काटन ऐंड सिल्क मिल बन्द हो गयी है। इसी तरह से लखनऊ की जनरल फाइबर्स भी बन्द पड़ी है। साथ ही इस सदन को स्मरण होगा कि एथर्टन वेस्ट मिल, १ अप्रैल, १९५८ से जुलाई, १९५९ तक बन्द रही और तीन हजार श्रमिक बेकार रहे और १२ लाख श्रम के घंटे बेकार हुये और करीब करीब ३१ लाख रुपये इस अर्से के अन्दर ले आफ और कम्पेन्सेशन आदि पर खर्च करने पड़े। सरकार ने ८० लाख रुपये की गारंटी दे कर उसे चलाया। म्योर मिल के सम्बन्ध में इस सदन में काफी चर्चा हुई। यह मिल भी नौ महीने बन्द रही। ६ हजार वर्कर्स प्रभावित हुये जिसका नतीजा हुआ कि १३ लाख श्रमिक घंटे बेकार हुये और श्रमिक दावा कर रहे हैं कि ४० लाख रुपया कम्पेंसेशन का अदा किया जाय। सरकार ने ८० लाख रुपये की गारंटी देकर इस मिल को फिर से श्रमिकों के हित में जारी कर दिया है। लेकिन कानपुर की एंटी जूट मिल ५ महीने से बन्द पड़ी हुई है और एक हजार श्रमिक बेकार हैं और सवा लाख श्रमिक नष्ट हो चुके हैं। इसके ऊपर प्रावीडेंट फंड का ५ लाख रुपया बाकी है। न्यू विक्टोरिया मिल, कानपुर की भी हालत अच्छी नहीं है। १९६४ में इस फैक्टरी ने ६४ लाख रुपये का नुकसान दिखाया है, ६५ में ४४ लाख रुपये का नुकसान है। इसमें ५ हजार श्रमिक काम करते हैं और सरकार का २६ लाख रुपया प्रावीडेंट फंड का बाकी है। प्रदेश की सुखेता टांडा, राम कोला, खेतान और भटनी आदि मिलों में भी एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया

---

†२९ जुलाई, १९६६ की कार्यवाही में छपा है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बनारसीदास]

है। ऐसी स्थिति में हजारों श्रमिक बेकार हो गये हैं। हमारा प्रदेश उद्योग के मामले में वैसे ही पिछड़ा हुआ है इसलिये कुछ ऐसे कदम उठाये जाने चाहिये जिससे श्रमिकों को राहत मिल सके।

यह फैक्टरीज जो कुप्रबन्ध के कारण या आर्थिक कठिनाइयों की वजह से बंद होती हैं उनको श्रमिकों के हित के लिये चलाया जा सके, इसका कुछ प्रबन्ध होना चाहिये। कठिनाई यह आती है कि जैसे ही गवर्नमेन्ट किसी फैक्टरी में प्रशासक नियुक्त करती है तो जितना भी उसके ऊपर ऋण होता है, जो गवर्नमेन्ट देती है उसकी अदायगी करनी होती है। म्योर मिल में ९ महीने का समय लगा जब कि वह मिल ३-४ महीने पहले चल सकती थी और दूसरे क्रेडिटर्स का रुपया बाद को दिया जाता। फिर भी म्योर मिल चली तो श्रमिकों का ४० लाख रुपया उसके ऊपर बाकी था। उन्होंने फैसला किया कि यह मिल चले और उसके लाभ से कम्पेन्सेशन का पैसा या दूसरे ड्यूज अदा कर दिये जायं। लेकिन जो दूसरे क्रेडीटर्स हैं उनका रुपया जब तक अदा नहीं कर दिया जाता तब तक मिल के चलाने में कठिनाई होती है इसलिये सरकार यह प्राविधान करना चाहती है कि अगर अंडर दि रेगुलेशन एन्ड डेवलपमेंट आफ इंडस्ट्रीज ऐक्ट के मातहत सरकार कोई फैक्टरी ले या एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करे जिसमें सरकार का फाइनेन्स हो तो सरकार को स्वयं ऐसी व्यवस्था करने का अधिकार हो कि क्रेडीटर्स के रुपये की अदायगी स्थगित रखे और साथ ही साथ जो लेबर के कानून हैं जैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट वगैरह और कुछ अधिनियम हैं उनकी कुछ धारायें जो फैक्टरी को चालू करने के लिये जरूरी हैं उनको जब तक सरकार जरूरी समझे उनके एनफोर्समेंट को स्थगित रखे ताकि इमर्जेन्सी पीरियड में कारखाने चल सकें।

*श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है। मंत्री जी जो विधेयक पेश कर रहे हैं वह कानूनी और वैधानिक दृष्टि से आ नहीं सकता है। यह बिल नहीं आ सकता है, यह मेरा एतराज है। अभी आपने भाषण में कहा और नोट में भी है। तो आप जो यह बिल पेश कर रहे हैं, इसमें यह होगा कि यह ऐक्ट बन जाएगा तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट, १९४७, इंडस्ट्रियल इम्प्लायमेन्ट (स्टैंडिंग) आर्डर्स ऐक्ट, १९४६, संयुक्त प्रान्तीय औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट, १९४७, उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, १९६२—यह जो ३–४ कानून हैं और इनके अन्तर्गत जो धारायें हैं, इन धाराओं से विधेयक का अगर मेल नहीं खायगा तो वह स्थगित रहेंगे। अभी मंत्री जी ने भी कहा और इस कानून की मंशा भी यही है। इसलिये इस सदन में इस प्रकार का कोई भी कानून नहीं आ सकता है जो कि इस सदन से पास किये हुये पहले के कानून या उनकी धाराओं को स्थगित कर दे और उनकी स्मूथली रनिंग में किसी भी प्रकार की रुकावट पैदा करे। संविधान की धारा १३ ऐसी है, उसके अनुसार उसके खिलाफ अगर कोई कानून बनेगा तो वह अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन कोई ऐक्ट कमान्ड नहीं दे सकता कि पहले से जो कानून लगा है उसकी किसी धारा को निलम्बित कर दे।

(व्यवधान)

मेरी कानूनी आपत्ति यह है। कोई भी अधिनियम पहले पास किये गये किसी कानून की किसी धारा को स्थगित नहीं कर सकता। यह फोर्स केवल संविधान को मिला है। संविधान की धारा १३ को ही अधिकार है कि वह लागू किसी कानून को स्थगित कर सकता है, यदि वह संविधान की मंशा के खिलाफ हो। किसी ऐक्ट को यह अधिकार नहीं मिलना चाहिये। इसलिये यह कानून गैर-कानूनी ढंग से बना है, इस कारण यह सदन में पेश नहीं हो सकता इस पर आप अपनी व्यवस्था दें।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता—

मंत्री जी आप कुछ कहना चाहते हैं, कह लें, तो मैं अपनी व्यवस्था दूं।

श्री बनारसीदास—

अधिष्ठाता महोदय, जो आपत्ति इस पर की गई है, मैं समझता हूं हम पर आधारित है। सन् १९२८ में इस प्रकार का बम्बई की विधान सभा में बिल पेश हुआ और अब वह वहां का एक अधिनियम है। दूसरी बात यह है कि जो बाद में कोई कानून बनता है वह पहले कानून पर अपना प्रभाव रखता है। रोज आप देखते हैं कि बाद में जो कानून बनता है वह पहले के कानून की किसी धारा को डिलीट कर सकता है। कोआपरेटिव अधिनियम जो पेश हुआ, उसमें जो जमींदारी एबालिशन और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स की धारा थी उसमें साफ तौर से यह प्राविधान किया गया था कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट कोआपरेटिव के अन्दर प्रभावी नहीं होगा। इसलिये यह संविधान की किसी धारा के विरुद्ध नहीं है। यह सदन सक्षम है। यह सदन बाद में अपने पुनः विचार के बाद में यदि चाहे तो किसी भी चालू विधेयक की धारा को उसकी परिधि के बाहर कर सकता है। इसलिये काशीनाथ जी की आपत्ति कोई वजन नहीं रखती।

श्री अधिष्ठाता—

मैं भी आपको स्मरण दिला दूं, ठीक इसके पूर्व आपने टेक्निकल एजूकेशन बिल पास किया। उसमें यदि आप खण्ड ९ को देखें तो लिखा है—"केन्द्र के किसी अभीक्षक या अभीक्षक पर उपधारा (१) में उल्लिखित अवधि में, आक्रमण, या आपराधिक बल प्रयोग करने को लोक सेवक के कृत्यों के निवर्हन में स्वेच्छया बाधा डालना समझा जायगा, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा १८६ के अधीन दण्डनीय होगा और वह कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, १८९८ में किसी बात के होते हुये भी, संज्ञेय अपराध होगा।" तो उसमें भी कुछ उपबन्धों को दूर कर दिया है। तो अभी आपने इसी असेम्बली में एक उदाहरण देखा तो आप इस प्रकार के विधेयक स्वीकार कर सकते हैं। यानी जो दूसरे विधेयक में प्रतिबन्ध होता है वह हटाया जा सकता है। इसमें कोई भी संवैधानिक बात नहीं है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

सी० आर० पी० सी० और आई० पी० सी० के कानूनों के संबंध में तो ऐसा हो सकता है, लेकिन इसके सम्बन्ध में नहीं। वहां पर स्थिति दूसरी है। यह अधिकार तो केवल संविधान को मिला है। इस विधान सभा के द्वारा जो कानून बना है, उसको सुप्रीम कोर्ट ही नल एण्ड वायड कर सकता है। हम यदि कोई कानून बनाएं और उससे पहले के कानून को समाप्त कर दीजिए तो पहले के कानूनों का कोई महत्व नहीं रह जाता है यदि पहले के कानून की धाराओं को निलम्बित कर दिया जाए। इसलिये आप अलग से कोई कानून का यदि विधेयक लायें तो वह सुस्पष्ट हो और वह पहले के कानून से विरोधाभास न खाता हो, रगड़ न खाता हो। इससे साफ मालूम पड़ता है कि मंत्री जी का दिमाग साफ नहीं है। पहिले से इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट है, इंडस्ट्रियल एम्प्लायमेंट ऐक्ट है उनको निरस्त करना एक विधेयक के द्वारा ठीक नहीं है। यों तो आपका बहुमत है उसके बल पर आप चाहें जो पास करा लें लेकिन यह पास कराकर जल्दी में अल्ट्रा वायरस आप करवा देंगे। प्रोफेशन टैक्स आपने पास किया, वह चैलेंज हो गया और वह अल्ट्रा वायरिस हो जायगा। इसको भी पास करा लीजिये हम १० दिन के अन्दर हाई कोर्ट में ले जायेंगे और वहां से यह अल्ट्रा वायरस हो जायगा।

श्री बनारसीदास—

यह तो सही है कि अल्पमत के विचारों को बहुमत के विचारों पर लादा नहीं जा सकता और अल्पमत का बहुमत के विचारों को समझने का प्रयास करना चाहिये वरना यह प्रजातंत्र

[श्री बनारसीदास]

की परम्परायें व्यर्थ हो जायेंगी। मुझे बड़ा खेद है कि माननीय काशीनाथ जी जो बात कर रहे हैं वह केवल यह है कि इस ऐक्ट के द्वारा दूसरे ऐक्ट्स निरस्त हो जायेंगे....

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)---

मैं एक इन्फार्मेशन चाहता हूं कि इस विधेयक को प्रस्तुत करने के लिये राष्ट्रपति की सैंक्शन मिली है या नहीं ?

श्री अधिष्ठाता---

एक प्वाइंट आफ आर्डर के बीच दूसरा प्वाइंट नहीं उठाया जा सकता। पहले काशीनाथ जी का व्यवस्था का प्रश्न हो लेने दीजिये।

श्री बनारसीदास---

मैं कमला सिंह जी की सूचना के लिये बता रहा हूं कि राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गयी है। श्रीमन्, मैं यह अर्ज कर रहा था कि हम इसके द्वारा किसी ऐक्ट को निरस्त नहीं कर रहे हैं बल्कि यह कर रहे हैं कि जहां प्रदेशीय सरकार को यह मालूम होगा कि इस ऐक्ट का कोई अंश किसी कर्मचारी के सम्बन्ध में प्रभावकारी नहीं होने दे रहा है तो उसे यह सरकार कुछ समय के लिए रोक सकती है। और हर एक ऐक्ट के अन्दर यह प्राविधान होता है कि वह तमाम धाराओं को या कुछ को इन्फोर्स करता है या नहीं। इस तरह से बहुत से हमारे अधिनियम हैं। दूकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम सारे शहरों में लागू नहीं है। स्टेट गवर्नमेन्ट को पावर्स हैं कि जहां चाहे लागू करे। यह कहीं चैलेंज हुआ भी नहीं है। महाराष्ट्र में सन् १९५८ से चालू है और उसी के आधार पर हमने यह ऐक्ट बनाया है। इसलिये माननीय काशीनाथ जी की आपत्ति को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

श्री काशीनाथ मिश्र---

माननीय बनारसी दास जी ने जो कहा है उस पर मेरा एतराज नहीं है। उत्तर प्रदेश वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, १९६२ में छपा है कि संविधान के अनुच्छेद २०१ के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने अपनी स्वीकृति १८ दिसम्बर, १९६२ को दी है कि उसे उपस्थित किया जाय और सरकार ने इसे साधारण गजट में १६ दिसम्बर, १९६२ को प्रकाशित किया था। और यह अधिनियम उसी पर आधारित है। तो जहां इस पर राष्ट्रपति का सैंक्शन है तो बगैर उनकी अनुमति के आप इसमें किसी भी तरह की तब्दीली नहीं कर सकते हैं। बगैर उनको रेफर किये हुए नहीं हो सकता। यह संवैधानिक अड़चन है।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)---

मैं श्रीमन्, यह कहता हूं कि श्री काशीनाथ जी बड़ी खूबसूरती के साथ हाउस के ऊपर यह इम्प्रेशन डालना चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी किन्हीं पुराने बने हुये कानूनों को निरस्त करने के लिये या उनको समाप्त करने के लिये लाना चाहते हैं। यह बिल विशेष परिस्थितियों के लिये क्या-क्या अनिवार्य परिस्थितियां होंगी और उन परिस्थितियों की जो आवश्यकताएं होंगी उनको दृष्टिगत रखते हुए जो कारखाने बंद हो जांय और मिल न चलने पावें तो उनके श्रमिकों को कैसे सुविधाएं प्रदान की जावें।

श्री काशीनाथ मिश्र---

मैं बिल की संवैधानिकता के लिये कह रहा हूं।

श्री रामायण राय--

तो फिर आप इसमें देर करके श्रमिकों के हित में क्यों देर लगाना चाहते हैं। आप क्यों उसमें बाधा डालना चाहते हैं, मजदूरों के हित का कानून है।

श्री काशीनाथ मिश्र--

हम तो इसमें जल्दी करना चाहते हैं जिससे आगे चल कर यह कानून अल्ट्रा वायरस न हो जाये ।

श्री रामायण राय--

मैं तो वही कह रहा हूं कि आपका यह भ्रम है । यह कोई संशोधन विधेयक नहीं है, बल्कि एक नया कानून है जो विशेष परिस्थितियों को दृष्टि में रख कर बनाया जा रहा है और उन विशेष परिस्थितियों को जो जो आवश्यकतायें हैं जैसे एम्प्लायमेंट के कुछ रूल्स हैं, दायित्वों के संबंध में कुछ नियम हैं उनको दृष्टिगत रखते हुए हम मजदूरों के संबंध में क्या तरीके अख्तियार करेंगे, इसके संबंध में यह कानून बनाया जा रहा है।

*श्री बनारसीदास--

मैं पहले ही सूचित कर चुका हूं कि इस बिल को राष्ट्रपति की सैंक्शन मिल चुकी है। चूंकि यह कानकरेंट लिस्ट का सबजेक्ट है इसलिये बिना राष्ट्रपति की अनुमति के इस सदन में पेश नहीं किया जा सकता था इसलिये वह ले लिया गया है । इससे किसी भी ऐक्ट को निरस्त नहीं किया जा रहा है बल्कि जब सरकार श्रमिकों के हित में उनको रिलीफ पहुंचाने की दृष्टि से आवश्यक समझेंगी तो इस ऐक्ट को पूर्णरूप से या आंशिक रूप से उस मामले में नहीं लगायेगी, यही इसमें कहा गया है ।

श्री काशीनाथ मिश्र--

अधिष्ठाता महोदय.....

श्री अधिष्ठाता--

अब आप बैठिये, मिश्र जी। माननीय मिश्र जी ने जो बात उठायी है वह देखने में संवैधानिक है लेकिन अगर वे उसको ठंडे रूप से सुनेंगे तो वह महत्व का नहीं है। ६२ वाले ऐक्ट पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हैं। आज जानते हैं कि जितने भी विधेयक यहां पर बनते हैं उनमें से कुछ पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करते हैं। अतः राष्ट्रपति के हस्ताक्षर का विशेष महत्व नहीं है वह तो प्रोसीजरल बात है। आप तो स्वयं इस विधान सभा के अधिकारों के हामी हैं और यदि विधान सभा ऐसे विधेयक को स्वीकार करती है जो पहले विधेयक को निरस्त कर सकता हो, अमेंड कर सकता हो, या उनके प्रतिबन्धों को दूर कर सकता हो तो उसके लिये कहीं पर कोई रोक नहीं है । इसके लिये एक इंडिपेंडेंट ऐक्ट भी आ सकता है और विधेयक के किसी क्लाज द्वारा भी हो सकता है । अतः आपकी बात में कोई संवैधानिक तथ्य नहीं मालूम होता । यह विधेयक पूर्ण रूप से वैधानिक है ।

श्री बनारसीदास--

तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह विधेयक बेरोजगारी को रोकने के लिये आवश्यक समझा गया और वह इसीलिये ताकि पैसे के अभाव में किसी फैक्टरी का चलना रुक न सके और किसी फैक्टरी की जो लाएबिलिटीज हैं उनको चलाने से पूर्व अदा करने की जिम्मेदारी प्रशासन के ऊपर न हो क्योंकि इसका नतीजा यह हो सकता है कि श्रमिकों को काफी समय तक बाहर रहना पड़ता है और काम से बाहर रहने के कारण उसके परिवार को कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं और बाहर रहने पर जो उसको मिलता है वह ५० प्रतिशत होता है और यह भी विवादग्रस्त हो जाता है तो कई महीनों के बाद यदि आधा उसको मिलता है तो फैक्टरी के ऊपर भी उसका भार हो जाता है और इससे प्रदेश का उत्पादन गिरता है, साथ ही साथ राष्ट्रीय

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री बनारसीदास]

आय में कमी होती है। इसलिये ऐसी संकटकालीन स्थिति में इस बात की आवश्यकता है कि किसी फैक्टरी पर जो लाएबिलिटीज हैं वह चलाने से पूर्व अदा हो जाय इसका भार ऐडमिनिस्ट्रेशन पर न हो। इस विधेयक के जरिये से फैक्टरीज को लेने की शक्ति सरकार पर नहीं होगी और न वह ऐक्ट उस काम के लिये है। उसके लिये डेवलपमेंट आफ इंडस्ट्रीज ऐक्ट है उसके मातहत ले सकते हैं लेकिन जब फैक्टरीज नहीं चल पातीं और उसको लेने का फैसला हो जाय उसके बाद अगर गवर्नमेंट यह समझती है कि फाइनेंसेज की कठिनाई है और लाएबिलिटीज को अदा करने में कठिनाई होगी तब इस ऐक्ट के मातहत जो लाइबिलिटीज हैं उनकी अदायगी कुछ समय के लिये रोकी जा सकती है और अदायगी रोकने की वजह से फैक्टरी का चलना जल्दी संभव हो सकता है और इसके जरिये से श्रमिकों को रोजगार देने में सहायता की जा सकती है।

यह एक सीमित विधेयक है और ऐसा विधेयक है जिस पर किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। जैसा मैंने निवेदन किया महाराष्ट्र में यह सन् १९५८ में चालू हुआ और कई फैक्टरियों के जल्दी से चलने में इस विधेयक से उनको मदद मिली है। जब यह विधेयक पास हो जायगा तो हमारे प्रदेश में भी कई कारखाने बन्द पड़े हैं उनका चलना संभव होगा। गवर्नमेंट वहां पर शासक नियुक्त करेगीं। उस पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी होगी। उसकी अदायगी के अदा करने की जिमेदारी सरकार पर न पड़े इस वजह से यह लाया गया है। हमारे यहां जैसे विक्टोरिया मिल की लायबिलिटी २ करोड़ रुपये के करीब है। मिल पर गवर्नमेंट का और प्राविडेंड फंड के ड्यूज ही ३० लाख के हो जाते हैं और बहुत से डयूज हैं। अगर हम विक्टोरिया मिल को चलाना चाहें तो नहीं चला सकते हैं जब तक कि २ करोड़ रुपये पास न हो। अगर यह विधेयक पास हो जायगा तो इसकी मदद से न्यू विक्टोरिया मिल या जूट मिल को चला सकेगी और इस ऐक्ट की मदद से श्रमिकों को भी काम पर रख सकते हैं। यह प्रदेश के हित के लिये यहां पर रखा जा रहा है। मुझे आशा है यह सदन इसका स्वागत करेगा ताकि श्रमिकों को जल्दी काम मिलने में यह सहायता दे सके। इसलिये सदन के समक्ष यह विधेयक पेश किया जा रहा है और मुझे आशा है बिना किसी मतभेद के यह स्वीकार किया जायगा।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

अभी मंत्री जी ने कहा कि लायबिलिटीज कुछ दिनों के लिये रोक दी जायगी तो यह लायबिलिटीज किस तरह की होंगी? प्राविडेंड फंड या कर्जा या मजदूरों की तनख्वाह या सरकारी कर्जा किस तरह की चीजों को आप सस्पेंड करना चाहते हैं?

श्री बनारसीदास—

लायबिलिटीज में आप जानते हैं स्टोर परचेज का, प्राविडेंड फंड का और वर्कर्स के ड्यूज होते हैं। म्योर मिल में यह कानून नहीं था तो श्रमिकों ने खुद फैसला किया कि २,२॥ साल बाद या जितना जल्दी हो एक कम्पन्सेशन अदा किया जायगा। इसलिय जो भी चीज होगी वह परिस्थिति देखकर तय होगी कि क्या लायबिलिटीज हैं। उसको ससपेंड करना चाहते हैं। इसको पूर्ण भी और आंशिक भी कर सकते हैं। जैसा कर्जा होगा उसको फैक्टरी के हित में रखा जा सकता है जब तक उसकी स्थिति अच्छी न हो।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक उपक्रम (बरोजगारी रोकने क लिये विशेष उपबन्ध) विधेयक, १९६६ को जनमत संग्रह के लिये ३ माह तक परिचालित किया जाय।

अधिष्ठाता महोदय, आज हमारे सामने बेरोजगारी को रोकने के संबंध में एक बहुत ही छोटा विधेयक माननीय मंत्री जी ने पेश किया है। उन्होंने अभी

जो इसके उद्देश्यों पर प्रकाश डाला है उससे ऐसा ज्ञात हुआ कि इसके अभाव में कई मिलें बन्द हैं। बहुत से मजदूर बेकार हैं जिससे प्रदेश के श्रमिकों का काफी नुकसान हो रहा है। यह विधेयक बहुत पहले आना चाहिये था। जो अधिकार सरकार आज ले रही है काफी नुकसान उठाने के बाद ले रही है। यदि पहले यह अधिकार लिये होते तो श्रमिक और उत्पादन का नुकसान रोका जा सकता था। जब मैंने इस विधेयक को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि प्रदेश में जो बेरोजगार की स्थिति है उसको सरकार दूर करने के लिये कुछ कदम उठाने जा रही है। किन्तु जब मैंने इस के उद्देश्य और कारण को देखा और उसकी दो ३, ४ धाराओं को देखा तो मुझे बड़ी निराशा हुई। यह इंडस्ट्रियल यूनिट्स तक ही सीमित रखा गया है जो आज प्रदेश में चल रहे हैं। यदि इसका स्वरूप बढ़ाया जाता और जो बेरोजगार हैं, साधनहीन हैं उन के संबंध में भी अगर विस्तार से विधेयक लाया गया होता तो अच्छी बात होती।

श्रीमन्, मैं मंत्री जी का ध्यान केंद्रीय स्तर पर जो एक शाही आयोग नियुक्त हुआ था उस की ओर दिलाना चाहता हूं। उस को लगभग ३६ वर्ष हो चुके हैं। उस के अनुसार कुछ कार्य भी हो रहा है और उस से लाभ भी हुआ होगा, किन्तु मैं कहना चाहता हूं कि इस ३६ वर्ष में परिस्थितियां बदल गयीं। आज तक अनेक डेवलपमेंट के काम हुए हैं और अनेक प्रकार के श्रमिकों के कार्य के रूप सामने आये हैं और आये दिन आप देखते हैं कि उन समस्याओं को लेकर असाधारण परिस्थितियां उत्पन्न हो जाया करती हैं, हड़तालें हो जाया करती हैं जिस से श्रमिकों का व्यक्तिगत भी नुकसान हो जाया करता है। साथ ही साथ जो हमारा औद्योगिक उत्पादन है वह बढ़ना चाहिये, वह नहीं बढ़ पाता। तो श्रीमन्, जिस प्रकार से हमारे प्रदेश में औद्योगिक कार्यों का प्रसार हो रहा है और इतनी बड़ी संख्या में श्रमिक उस में इंवाल्व हो रहे हैं उनका प्रबन्ध भी ठीक होना चाहिये और सरकार के डेवलपमेंट और श्रमिकों की कठिनाइयों को देखते हुए इस प्रकार की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिये कि जिस से परिस्थिति में सामंजस्य हो सके और उन पर विस्तार से विचार किया जा सके। श्रीमन्, मैं तो इस पक्ष में भी हूं कि यदि सरकार मुनासिब समझे तो इस संबंध में किसी आयोग की भी घोषणा करे। यदि सरकार इस सदन के द्वारा उस को नहीं करना चाहती हैं जो कि तमाम पहलुओं पर विचार करने के बाद एक रूप रेखा सरकार के सामने उपस्थित करे तो वह किसी अन्य प्रकार का आयोग बना सकती है जो सरकार के सामने इन तमाम समस्याओं का हल प्रस्तुत कर सके। हम को चाहिये कि यह परिस्थिति केवल उद्योग तक ही सीमित न रहे। आज श्रमिकों के सामने मंहगाई को ले कर अनेक कठिनाइयां हैं। उन की दैनिक कठिनाइयों पर भी सरकार को विचार करना चाहिये और ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि जिस के द्वारा वह दूर हो सकें और श्रमिकों में जो एक अविश्वास का वातावरण व्याप्त हो रहा है, उसे दूर किया जा सके। श्रमिकों और उद्योगों के बीच में जो खायी है उस पर विचार किया जा सके और जो असंतोष व्याप्त है उसे दूर कर के औद्योगिक कार्यों में आगे बढ़ा जा सके।

इस के अलावा जो लोग उद्योग धंधों में नहीं हैं, बेरोजगार हैं उनके संबंध में भी विचार किया जाय, उन्हें भी अगर कार्य में लगाने के संबंध में एक रास्ता निकाला जाय तो अच्छा है। श्रीमन्, आप देखें कि तमाम जिलों में जो इम्पलायमेन्ट कार्यालय हैं उनमें हजारों की संख्या में लोग सूचीबद्ध हैं लेकिन उनमें से १०-१५ प्रतिशत लोग ही काम पर पहुंच पाते हैं। जिस प्रकार से काम देने के सम्बन्ध में वहां व्यवस्था होती है वह भी कोई अच्छी नहीं है। मनमाने ढंग से अपनी रुचि के अनुसार जिनसे लगाव होता है उन्हें भेज दिया जाता है और योग्यता तथा रुचि के अनुसार उनको काम नहीं मिलता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आज हमें एक ऐसी व्यवस्था करनी होगी जिसके द्वारा तमाम समस्यायें जो हमारे प्रदेश के अन्दर हैं उनको हल किया जा सकता है। आज हमारा प्रदेश कृषि प्रधान होते हुये भी हम यहां उतना अन्न पदा कर पाते हैं कि हम अपना जीवन निर्वाह कर सकें। करोड़ों टन गल्ला हमें बाहर से मंगाना पड़ता है। इसका मूल

[श्री रामकिशोर त्रिपाठी]

कारण यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को हम काम पर नहीं लगा सके। व्यक्तियों को जो श्रम शक्ति है हमें कोई अन्दाजा नहीं है कि हमारे प्रदेश में कितनी श्रम शक्ति है और उस श्रम शक्ति का उपयोग हम कहां और किस-किस रूप में कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में पहले न तो कभी सरकार ने ध्यान दिया और न मैं समझता हूं कि इस स्टेज पर ही जब हमारे सामने एक नया विधेयक है सरकार ने ध्यान दिया है और न कोई विचार किया है। तो मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिये जिसके द्वारा प्रदेश की जो जनशक्ति है उसका उपयोग कितना इंडिस्ट्रियल कार्य में कर सकते हैं, कितना एग्रीकल्चरल कार्य में कर सकते हैं, कितना सड़क, पुल या अनेक कार्य जो डेवलपमेन्ट के होते हैं उनमें कर सकते हैं, इन सब बातों की ओर भी सरकार का ध्यान जाना चाहिये।

एक बात की ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि आज जो श्रमिक उद्योग काम करते हैं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करते हैं उनके प्रोविडेंट फंड की जो कटौती होती है और जो उनके द्वारा रुपया दिया जाता है उसकी एक बड़ी ही दयनीय स्थिति है। इस सम्बध में भी सरकार का ध्यान जाना चाहिये और इस प्रकार की कानून में व्यवस्था होनी चाहिये कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट श्रमिकों प्रोविडेंट फंड में नियमित रूप से रुपया नहीं जमा करेंगे उनको कानून के द्वारा फोर्स किया जायगा और उसे समय के अन्दर जमा कराया जायगा। इसके अलावा जो हमारे इंडस्ट्रियल प्रोविडेंट फंड आफिसर मौजूद हैं ऐसा लगता है कि वे अपने कर्त्तव्य के प्रति जागरूक नहीं हैं। मैं इस आधार पर इस बात को कहता हूं कि मजदूरों का करोड़ों रुपया प्रोविडेंट फंड का इंडस्ट्रीज के ऊपर बकाया है और वह जमा नहीं हो पाता है। माननीय मंत्री जी का ध्यान इस तरफ जाना चाहिये और इसको इनफोर्स करने के लिये कानून में कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये जिसके द्वारा श्रमिकों के प्रोविडेंड फंड का रुपया समय से जमा हो सके।

मैं अधिक समय न लेकर माननीय मंत्री जी से अन्त में आशा करता हूं कि इस विधेयक के स्वरूप को विस्तृत करने के लिये, उन श्रमिकों के विचार जानने के लिये जो कि इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, जिनके समक्ष आये दिन कठिनाइयां आती हैं उन कठिनाइयों को कैसे दूर किया जाय इन सब बातों की जानकारी के लिये इसे प्रसारित किया जाये और तमाम कठिनाइयों को सामने रखते हुए एक ऐसा विस्तृत विधेयक इस सदन के सामने लाया जाय जिसमें प्रदेश की इंडस्ट्रीज में लगे हुए व्यक्तियों तथा बाहर लगे हुए व्यक्तियों की समस्यायों को दूर करने के लिये कोई ठोस कदम उठाया जाय।

*श्री कमलासिंह यादव—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक उपक्रम (बेरोजगारी रोकने के लिए विशेष उपबन्ध) विधेयक, १९६६ को सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय जिसे विधेयक की परिधि में भी परिवर्तन करने का अधिकार हो तथा वह अपना प्रतिवेदन १ माह में प्रस्तुत कर दे।

श्रीमन्, जहां तक इस विधेयक का सवाल है यह बहुत ही अच्छा है अगर मंत्री की जो भावना यह हो जाय कि नेशनलाइजेशन इसका किसी तरीके पर किया जाय। अभी मंत्री जी ने जो भाव व्यक्त किया है उससे मालूम होता है कि मिल मालिकों को सरकार रुपया देना चाहती है लेबरर्स के नाम पर जिनका कि लाखों रुपया इनके ऊपर बाकी है किसी रूप में, चाहे बोनस के रूप में, ड्यूज के रूप में या कम्पेंसेशन के रूप में। उसको यह चाहते हैं कि स्थगित कर दिया जाय और उनको रुपया देकर इस तरीके पर चलाया जाय मिलों को। अगर मंत्री जी का ध्यान लेबरर्स की ओर, जोकि भूखों मर रहे हैं, गया होता तो मैं उनकी तारीफ करता, मगर केवल इसलिए कि लेबरर्स का रोजगार चला जायगा इस वजह से उनके ड्यूज स्थगित कर दिये जायेंगे और मिल-मालिकों को रुपया दे दिया जायगा, तो यह अच्छी बात नहीं होगी। जो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लेबरर्स के ड्यूज न देना चाहे तो उसके खिलाफ तो सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिये, इस भावना से विधेयक लाते तो मैं तारीफ करता। क्योंकि हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या किसानों की है। जब हम किसानों की ओर देखते हैं और फिर मिल-मालिकों की ओर देखकर कम्पेयर, कंट्रास्ट करते हैं तो ताज्जुब होता है कि सरकार क्यों मिल मालिकों की तरफ जा रही है।

जहां तक किसानों का संबंध है, कोई भी रोजगार और मिल नहीं चल सकती जब तक रा-मेटीरियल पैदा न हो और उसके लिये किसानों को हम प्रोत्साहन दें ताकि रूई और केन वगैरह अधिक से अधिक मात्रा में इकट्ठा हो सके ताकि अधिक मात्रा में हम कपड़ा, शुगर और दूसरी चीजें पैदा कर सकें। लेकिन आज मंत्री जी का ध्यान किसानों की तरफ से विमुख होता जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक आज गेहूं की पैदावार उस गेहूं की जिसके लिये हम आज अमरीका की ओर मुंह बाये खड़े हैं, उसके आगे हाथ फैलाये हैं भिक्षा के लिये, आज वह किधर जा रही है। यह आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना के द्वितीय वर्ष की ६३–६४ की रिपोर्ट है, उसके पृष्ठ ४ की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। इसमें गेहूं का उत्पादन.....

श्री अधिष्ठाता—

कमलासिंह जी, यह तो औद्योगिक संस्थानों के उपक्रमों के लिये है।

श्री कमलासिंह यादव—

दोनों संबंधित हैं। केन किसान पैदा करता है, रुई पैदा करता है जिससे ये संस्थान चलते हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र—

ऐग्रिकल्चरल प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में बड़ा गहरा संबंध है, उनको जरा ध्यान से सुनें।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

कहां किसान कूद गया ? श्रीमन्, यह असंगत है।

श्री अधिष्ठाता—

कमला सिंह जी तो जानते हैं कि हम उनका कितना आदर करते हैं। लेकिन जो प्रस्तुत विधेयक है वह औद्योगिक उपक्रमों के बारे में व्यवस्था करता है। अब आप कहीं किसान की बाबत कह रहे हैं, कहीं किसी विषय पर कह रहे हैं। मैं आपसे यह प्रार्थना करूंगा कि जो विधेयक प्रस्तुत है उस पर आप कृपया बोलें।

श्री कमलासिंह यादव—

मैं दोनों का कम्पेटीशन श्रीमन्, कर रहा हूं। देखना यह है कि किसानों का कितना फायदा होता है और मिल मालिकों का कितना फायदा होता है। तो मैं यह कह रहा था कि १९६०–६१ में ३८.४२ लाख टन की पैदावार हुई, १९६१–६२ में ४० लाख टन की हुई, १९६२–६३ में ३१ लाख टन की हुई और १९६२–६४ में २६ लाख टन की हुई। यानी कृषि उत्पादन आपका बराबर गिरता गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना में ७५ हजार आदमी कृषि उत्पादन के कार्य में लगाये गये और साढ़े ९ हजार आदमी तीसरी योजना में और उस के बाद भी कृषि उत्पादन घटता गया। जहां तक मिले मालिकों का सवाल है, यह पुस्तक है विनियोग लेखे १९६१–६२ की, इस रिपोर्ट में लिखा है "समिति का अभी भी यही मत है कि विधान मंडल सरकारी ऋणों पर तथा उधार पर निकट की दृष्टि रखें और वर्ष प्रतिवर्ष अधिकतम सीमा नियत कर दें क्योंकि ऋण संग्रह से और अत्यन्त अधिक उधार लेने से राज्य सरकार के भावी

[श्री कमलासिंह यादव]

बिरवीं हों जाते हैं और ब्याज तथा परिशोध व्यय स्वतः बढ़ जाते हैं जिनका बहो राज्य की संचित निधि से करना पड़ता है।"

मेरे कहने का मतलब यह है कि एक तरफ हम कर्जा ले रहे हैं और उस पर सूद बढ़ता चला जा रहा है। तो हमारा यह ध्येय होना चाहिये कि हम उस रुपय को लाभप्रद योजनाओं पर ही लगावें, जहां घाटा हो वहां रुपया कौन लगावे। जब तक फैक्टरियों में लाभ होता है तब तक तो उसका मालिक मिल मालिक खुद होता है, जब घाटा होने लगता है तो सरकार बीच में आ जाती है। सरकार को ऐसा इन्तजाम करना चाहिये कि फैक्टरियों के देखभाल का काम सरकार के हाथों में रहे। इससे सरकार को उनकी आर्थिक हालत की पूरी जानकारी होती रहेगी। लेबरर्स के ड्यूज किस तरह दिये जाते हैं या उनकी क्या तकलीफें हैं यह भी सरकार की दृष्टि में रहेगा। जितने भी बड़े-बड़े उद्योग हैं उन सब पर सरकार को नियंत्रण रखना चाहिये। इससे सरकार को उनके नफे नुकसान का हर वक्त पता चलता रहेगा और जिस वक्त यह मालूम हो जायेगा कि घाटा हो रहा है या कोई भी मिल मालिक उस रुपये को अन्डर ग्राउन्ड एक्टिविटीज में छिपाकर अपने को दिवालिया डिक्लेयर करना चाहता हो तो उस वक्त उसकी जानकारी हो सकेगी। मैं देख रहा हूं कि तीन-तीन साल या दस-दस साल तक जो मिल बन्द रहे उनकी बातें मंत्री जी कर रहे हैं कि हमारा रुपया उनके ऊपर हो गया है और वे अदा नहीं कर रहे हैं या कर सकते। मैं कहना चाहता हूं हमारे उस रुपये की वसूली जो ऋण के रूप में है लैन्ड रेवेन्यू के रूप में होनी चाहिये इसके लिये चाहे वह मिल बिक भी जाय। अगर मंत्री जी चाहें तो उसको अपनी ओर से चलवायें वह ज्यादा अच्छा होगा और इस तरह से जितने मिल मालिक हैं जो फायदा भी उठा रहे हैं और गवर्नमेंट को यह भी दिखा रहे हैं कि वे घाटे में रन कर रहे हैं पर एक्च्चुली वे लाभान्वित हैं। इसलिये मैं चाहूंगा कि नेशनेलाईजेशन की ओर सरकार की प्रवृत्ति होनी चाहिये। एक धारणा हमारे अन्दर होनी चाहिये कि जितना रुपया हम दे रहे हैं वह हमारे संरक्षण में रहे और उसका लाभ अधिक से अधिक हमारे हाथ में आना चाहिये। होता क्या है कि जब सरकार रुपया देती है कि मिल चालू हो तो थोड़े दिनों बाद वही गड़बड़ी शुरू हो जाती है और मिलें बन्द हो हो जाती हैं। इसलिये मंत्री जी को व्यवस्था करनी चाहिये कि ऐसे डिफाल्टर्स की मिलों से अपना रुपया वसूल करने के लिये उनको नीलाम भी करवा देना चाहिये और अगर कोआपरेटिव वगैरह खरीद लें तो ज्यादा अच्छा हो।

इसके अतिरिक्त यह भी चीज है कि जो लेबरर्स हों उनका रुपया मारने के लिये जो चीज कही गई है और साथ ही यह भी प्राविधान किया गया है कि अगर लेबरर्स का रुपया होगा तो वह स्थगित कर देंगी। एक बात तो ठीक है कि पहिले लोगों को काम दें परन्तु साथ ही साथ यह भी विचार करना चाहिये कि जब मिल चालू हो जाय तो जितना मुनाफा हो वह इन प्रोपोर्शन देना शुरू कर दें तो भी उन को फायदा हो सकता है। लेबरर्स के नाम पर जो रुपया दे रही है सरकार उससे अगर उन को ही फायदा होता तो भी मैं ठीक समझता। इसके अतिरिक्त एक तरफ तो हम मिलों को चलाने की कोशिश कर रहे हैं पर दूसरी ओर किसानों पर हम सेल्स टैक्स इतना लाद देते हैं कि मिल मालिक तो फायदा उठाते हैं, जैसी चीनी मिल ही लीजिये, चीनी का अलग और सीरे का अलग। जिस किसान व्यक्ति के परिश्रम पर वह फायदा या मुनाफा होता है, या लेबरर्स द्वारा जो तैयार होता है उनको तो वह फायदा या मुनाफा नहीं मिलता है। इसीलिये मैं काश्तकारों की तरफ भी आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

किसान मेहनत करता है और जो गन्ना वह पैदा करता है उससे मिलों को मुनाफा होता उस मुनाफे का अगर एक अंश उसको भी दिलाया जाय, तो अच्छा होगा। अगर माननीय मंत्री जी का यह भाव हो तो बहुत अच्छा है।

इसके साथ ही साथ इस विधेयक में यह भी दिया हुआ है कि "मिलों को अपनी तरफ से चलाने के लिये या मालिकों की तरफ से चलाने के लिये," रुपया देने की बात है।

ऋण दिया जायगा उससे मिल चलाने की बात है। यह बहुत पुनीत विचार है क्योंकि यह नेशनेलाइजेशन की ओर एक कदम होगा जिसके बारे में हम रोज ही यहां कहते रहते हैं। उस ओर एक कदम और बढ़ा है यह बहुत सराहनीय बात है ? मैं उम्मीद करता हूं कि इस बिल में जो खराबियां हैं वह प्रवर समिति में जाने से ठीक हो जायंगी, इसलिये मंत्री जी मेरे उस सुझाव को मान लें ।

*श्री संतसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)--

अधिष्ठाता महोदय, मुझे अफसोस है कि मैं खाना खाने चला गया था इसलिये माननीय बनारसीदास जी की स्पीच न सुन सका। मुझे यह भी अफसोस है कि इस बिल के संबंध में माननीय बनारसीदास ने इधर वालों से कोई सलाह मशविरा या बातचीत नहीं की। मेरा अपना विश्वास है कि लेबर मिनिस्टर जब भी कोई नया कानून लाते हैं या किसी कानून में संशोधन करते हैं तो वह लेबर लीडर्स और एम्प्लायर से, खास तौर से लेबर लीडर्स से बातचीत करने के बाद ही सदन में लाते हैं। यही प्रणाली लेबर के बारे में रही है। लेबर कान्फ्रेन्स का परपज ही यही है कि एम्प्लायर, लेबर और गवर्नमेन्ट बैठकर किसी चीज को डिसकस कर लें। हमको ही नहीं बनारसीदास जी के दल के जो लेबर के नेता हैं उनको भी इसके बारे में कुछ नहीं मालूम, वे भी कल मुझसे पूछ रहे थे ।

जहां तक बंद हुए कारखानों को चलाने का ताल्लुक है, इसमें किसी की दो रायें नहीं हो सकतीं लेकिन जहां तक मैं समझ रहा हूं इस बिल के जरिये से लेबरर्स के ड्यूज को खत्म कर दिया जायगा। म्योर मिल को ही ले लीजिये। वह १० महीने से बंद है। उसके ऊपर प्लेआफ का मजदूरों का ५० लाख रुपया बाकी है उस का ५० प्रतिशत २५ लाख तो मजदूरों को मिल ही जाना चाहिये। लेकिन इस बिल के जरिये से मंत्री जी यह करने जा रहे हैं कि वह २५ लाख रुपया मजदूरों का न मिले। जब मिल चल जाय और जब कभी मुनाफा हो जाय, तब मिल जायगा। यह ठीक नहीं है। इससे मजदूरों का पैसा खटाई में पड़ जायगा। इस बात को मैं मजदूरों के लिये घातक मानता हूं। मैं माननीय बनारसीदास जी की बात को मान लेता अगर माननीय बनारसीदास जी उन कारखाने के मालिकों को, जेल में बंद करा देते जिन्होंने भ्रष्टाचार और करप्शन करके उन कारखानों को बंद कर किया। अगर वह करप्शन साबित हो जाने के बाद उन्होंने ऐसे मालिकों पर मुकदमे चलाये होते और प्राजिक्यूट कर के जेल भेजा होता तो मैं उन की बात मानता और उस पर विचार कर सकता था। म्योर मिल वालों ने ओवर ड्राफ्ट किया बैंक से। जो माल रखा था उसके अगेन्स्ट उन्होंने २०-२५ लाख रुपया इस तरह से ओवरड्राफ्ट किया। जो कमेटी सरकार ने बिठाई थी उसका फैसला है कि उन्होंने इस तरह का करप्शन किया, मेशीनरी लेकर बेच दिया और हर तरह का घुटाला उन्होंने किया। बनारसीदास जी और सरकार को मालूम है लेकिन उनकी हिम्मत इतनी नहीं हुई, मैं व्यक्तिगत बात नहीं करता वह माफ करें, कि वह उन को प्राजिक्यूट करते और अगर वह ऐसा करते तो हम उन की बातें मानते और किस्तों के लिये तैयार हो जाते, हम बकाया रखने पर विचार कर सकते थे जब मुनाफा होता तब वह दे सकते थे। ऐसा नहीं किया गया। और मिलों के मामलों में भी इस तरह के आपस के एडजस्टमेंट की बात को हमने हमेशा माना है और हमने यहां तक किया है कि अथर्टन वेस्ट मिल बन्द हुई, उस के प्लेआफ का पैसा आठ साल हो गये अभी तक चल रहा है, आज तक उन की किस्तें पूरी नहीं हुई हैं। उन की किस्तों को ८ साल में बांटा गया और हम ने उस को माना ।

म्योर मिल बन्द है २५ लाख रुपया मजदूरों का मिलना चाहिये, वह नहीं मिल रहा है। हम अब भी तैयार हैं कि किस्तें कर दें। हम किस्तें लेने के लिये तैयार हैं लेकिन वह

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री सन्तसिंह यूसुफ]

रुपया खत्म कर दिया इस को हम एक मिनट के लिये नहीं मान सकते। मैं समझता हूं माननीय बनारसीदास जी को ऐसा बिल नहीं लाना चाहिये था क्योंकि यह मजदूरों के लिये घातक है। मैं आप को बता दूं कि अभी एक विक्टोरिया मिल का झगड़ा और खड़ा होने वाला है। उन्होंने भी प्राविडेंट फंड का ५६ लाख रुपया जमा नहीं किया है और मजदूरों का काटा गया है, लाखों रुपया उनके पास कर्जा है। अगर कल को मिल बन्द हो गई तो बनारसीदास जी फिर कहेंगे कि मजदूरों का यह ५० लाख रुपया तो घुटाले में गया और जब रोजगार चलेगा तब दिया जायगा कोई भी भला आदमी नहीं सोच सकता कि मजदूर छोड़ कर जायगा। तो कायदे में उनको प्राविडेंट फंड और ग्रेचुटी मिलनी चाहिये लेकिन जहां जमा ही नहीं हुआ है वहां मिलेगा क्या? आज वहां झगड़ा है, यह कानून अगर पास हो जायगा तो हमेशा के लिये सब जगह दिक्कत बढ़ जायगी और मजदूरों के हितों के खिलाफ यह कानून जायगा। हजारों की तादाद में मजदूर बेकार पड़े रहते हैं, उनका फंड का पैसा नहीं मिलता। उनके लिये भी कोई सुविधापूर्ण ऐडस्टमेंट होना चाहिये। इसी तरह से जिस तरह से अथर्टन वेस्ट मिल में किस्तें हुई हैं उसी तरह से म्योर मिल वालों का भी बैठकी का पैसा दिलाया जाय, इसी तरह से माहेश्वरी देवी जूट मिल का झगड़ा पड़ा है, जो करप्ट मिलें हैं वह देश भर में बन्द होती हैं और वह सबको चोट करती हैं, यह इसका प्रमाण है कि अथर्टन मिल को सरकार ने लिया। सरकार ने वीविंग मिल को चलाया। पहले वह मिल घाटे में रन कर रहा था लेकिन उस मिल को प्रोफिट में करके फिर सरकार ने उसके मालिक को दे दिया। इसी प्रकार म्योर मिल में गड़बड़ थी वहां पर आपने कपूर साहब को बैठाया और जब वह प्रोफिट करने लगेगा ४–५ साल बाद तो फिर उसके मालिक को दे दिया जायगा। मैंने माननीय बनारसी दास और माननीय सुचेता जी से प्रार्थना की और कहा कि यह कौनसा कायदा है, कौनसा कानून है कि ये लोग गड़बड़ घोटाला करते हैं और आप एक फर्स्ट क्लास अधिकारी, सैक्रेटरी या डिप्टी सैक्रेटरी को यहां से एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में भेजते हैं और वह वहां ४–५ साल तक रह कर कर्जा आदि उतार देते हैं और मिल प्रोफिट में रन करने लगते हैं तो उसको जबरदस्ती मालिक को वापस कर देते हैं। तो यह कौनसा आपका समाजवाद है। मैं तो यह कहूंगा कि यह अच्छा पूंजीवाद भी नहीं है, समाजवाद की बात को तो छोड़िए। जो कारखाने बन्द हों, उनको सरकार चलाये वह तो ठीक है लेकिन वह सारे एरियर जितने हो जाते हैं, उनको भी तो समाप्त करे। यह कहना काफी नहीं है कि मुनाफा होगा तो मिलेगा और अगर मुनाफा नहीं होगा तो नहीं मिलेगा और गड़बड़ घोटाले में पड़ेगा। तो मैं समझता हूं कि सरकार का यह उद्देश्य ठीक नहीं है।

जहां तक इस बिल का संबंध है, जहां तक मेरी समझ में आया है, इसका उद्देश्य ठीक नहीं है और हमारी सरकार इसको जबरदस्ती लादना चाहती है। माननीय कमलासिंह जी ने जो कहा है कि इसको डिस्कस कीजिये और मैं तो समझता हूं कि इसे आप लेबर आर्गेनाइजेशन में भेजिए क्योंकि अभी भी २५ लाख रुपया म्योर मिल पर बाकी है। इसे कौन तय करेगा। इसे तो आई० एन० टी० यू० सी० भी तय नहीं कर सकेगा। सरकार का उद्देश्य तो यह रहता है कि मिल चलना चाहिये चाहे पैसे मिलें या न मिलें। इसलिये मैं समझता हूं कि इस बिल पर विचार करने के लिये माननीय बनारसीदास जी को एक सर्व दलीय समिति बुलानी चाहिये जिसमें इस बिल पर विचार किया जाय और इसको लाकर इस प्रकार का संकट पैदा न करें।

*श्री काशी नाथ मिश्र—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सबसे पहले मेरा ध्यान इस बिल की हैडिंग पर गया। इसको अगर आप पढ़ें तो आप देखेंगे कि इसमें लिखा है "बेरोजगारी रोकने के लिये विशेष उपबन्ध"। जब इस बिल के हैडिंग को मैंने देखा तो मैंने सोचा कि १८ वर्षों की इस हकूमत में अब ऐसा अवसर आया है कि बेरोजगार रोकने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं लेकिन जब मैंने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसको पढ़ा तो देखा कि जैसे १८ वर्ष में हर बिल में चकमा देते आये हैं, इस बिल में भी वही रखा" गया है। एक बिल पहले भी यहां पर पास किया था। श्रीमन्, आपको याद होगा इसी सदन में एक बिल सीलिंग वाला पास किया था। उससे भी स्पष्ट होता था कि अब किसानों के पास ४० एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं रहेगी लेकिन जब उसकी परिभाषा, और अन्य धाराओं को पढ़ा तो उनमें कुछ और ही था। वह बिल भी पास हो गया लेकिन सीलिंग २०० एकड़ के नीचे कम नहीं हुआ। ठीक वही हालत इस बिल की भी है। लेकिन इससे क्या बेरोजगारी रुकेगी? अच्छा होता इस बिल का हैडिंग बनाते कि बेरोजगारी न बढ़ने देने के लयें उपबन्ध है। आज जो स्थिति है उस स्थिति को ही आप कायम रखना चाहते हैं। और जहां तक इस बिल में है वह यह कि अगर कोई फैक्ट्री बन्द हो जाय तो मजदूर बेकार न होने पावें उसको सरकार चालू रखे।

श्री अधिष्ठाता—

दोनों में अन्तर क्या है ?

श्री काशीनाथ मिश्र—

बड़ा अन्तर है। बेरोजगारी न बढ़ने देने का अर्थ होता है कि इस समय जो बेरोजगारी बहुत फैली हुई है उसको हम रोक रहे हैं, और बेरोजगारी आज जो है इससे और स्थिति बढ़ने न पावे। बिल के पास हो जाने के बाद प्रदेश में बेरोजगारी नहीं रह जायेगी। लेकिन इस बिल का मंशा यह नहीं है। बिल का मंशा है कि अगर कहीं मिल बन्द हो रही है तो उस को बन्द न हो कर के उस मिल को चालू रखा जाय। इस बिल की धाराओं का जहां तक संबंध है, जैसा माननीय कमला सिंह ने और माननीय संत सिंह यूसुफ ने कहा बहुत ही सफाई से अगर आप मजदूरों के प्रति हमदर्दी दिखाते हैं और बेरोजगारी को दूर करना चाहते हैं तो सफाई के साथ केवल १,२ धारा का बिल बनाते कि जो मिल में तालाबन्द करते हैं या मैनेजमेंट के कुप्रबन्ध के कारण हड़तालें चला करती हैं उस मिल को आप फौरन ले लेंगे, उसका राष्ट्रीयकरण कर देंगे और सरकार खुद उस मिल को चलायेगी। लेकिन ऐसा न करके इसको कामप्लेक्स कर दिया है। इस बिल को दुधारी तलवार बना दिया है। इस बिल से आभास लगता है कि सरकार एक हाथ मजदूर पर रखे रहना चाहती है और दूसरा हाथ मिल मालिक पर, दोनों से सांठ गांठ रखना चाहती है।

आप ने कहा है कि १ साल से लेकर ४ साल तक सहायता को बढ़ाते रहेंगे। आप किस तरह से मिल मालिक को सहायता देंगे ? माननीय संत सिंह यूसुफ ने ठीक कहा कि मिल मालिक जो भ्रष्टाचार करते हैं, लाखों रु० गबन करते है उनको सहायत दे कर, अग्रिम देकर के उन मिलों को २,४ साल चला कर के आप क्या कर लेंगे ? बल्कि ऐसा होना चाहिये कि ऐसे मिल मालिक को प्रोसीक्यूट करेंगे और ऐसी मिलों के राष्ट्रीयकरण करें। यही एक समाधान है। अगर आप की मंशा जनहित वाली होती तो एक लाइन का यह बिल आप लाते। लेकिन ऐसा करके दुनिया भर का बखेड़ा कर दिया है। खंड २ और ३ में जो लिखा गया है, इतना न हो कर के केवल एक धारा होनी चाहिये थी। लेकिन ऐसा न करके आप ऐसी गुंजायश रखे हैं कि १,२ साल सहायत देकर मिल को चालू रखें और फिर मिल मालिक से कहें कि तुम अपनी मिल अब चलाओ। उधर मजदूर से कहेंगे कि तुम बेकार ही रहे थे तुमको ऐसी सुविधा प्रदान करके तुम्हें बरकरार रखा और मिल मालिक को खुश करके ६५ लाख की थैली बरकरार रखी। यह बड़ी घातक नीति होगी। इसमें बड़ी कुत्सित नीति छिपी हुई है और इस मिल मालिकों का होल्ड मजदूरों के शोंषण पर और सरकार पर प्रभुत्व बढ़ता जायगा। अगर सही मानी में आप मजदूरों के हिमायती है तो जैसा म्योर मिल में किया वैसे ही आगे भी आपको अपनी नीति घोषित करनी चाहिये कि जो मिलें बिना कारण के तालाबन्द कर दें या जिनके मैनेजमेंन्ट के खिलाफ घोर असंतोष है उनका आप राष्ट्रीयकरण करेंगे और यह भी प्राविजन बिल में

[श्री काशीनाथ मिश्र]

कर देंगे कि जो मजदर दो, चार साल से बेकार हैं और एम्पलायमेंट एक्सचेंज में अपना नाम दर्ज करा रखा है उनको ३० अथवा ४० रुपये माहवार बेरोजगारी का भत्ता दिया जायगा तभी बेरोजगारी दर हो सकेगी। लेकिन यह साराबिल विस्तृत सीमा के साथ न पेश करके एक खास मकसद के लिये पेश किया गया है लेकिन वह मकसद भी इससे पूरा नहीं हो सकता है। इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं और कमला सिंह जी के संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री जयगोपाल (जिला सहारनपुर)—

अधिष्टाता महोदय, जो विधेयक आज हमारे सामने पेश है वह बहुत जरूरी है और जिस रफ्तार के साथ मिलें बन्द होती जा रही हैं और उनके ऊपर काबू न पाया गया तो हमारे सूबे में बहुत बेरोजगारी बढ़ जायगी और खास तौर से उन अशखाश की जिनको टेक्निकल वर्कर कहा जाता है। इस बिल के जरिये से यह कोशिश की गयी है कि जिस मिल की स्थिति खराब हो उसको सरकार मदद दे दे। दूसरे यह कि उसको ठीक तौर से चलाने के लिये यह जरूरी हो कि कुछ कानून जो मजदूरों से संबंधित हैं जो शेडयूल में दिये हुए हैं अगर यह खयाल हो कि उनको या उनके किसी हिस्से को लागू न किया जाय तो सरकार वैसा आदेश दे दे और अगर उस मिल के जिम्मे पुराना कर्जा हो तो उसी वसूली को कुछ अर्से के लिये रोक दे। मैं इतना कह सकता हूं कि यह बिल बीमारी का इलाज है। लेकिन इसका एक पहलू और भी है और वह यह कि सके अन्दर कुछ ऐसे हिस्से होने चाहियें थे जो बीमारी को पैदा होने से रोक सकते। इस बिल में साफ यह नहीं हुआ है कि सरकर इस तरह कारखानों को नेशनलाइज करना चाहती है, या इनको कोआपरेटिव सेक्टर में देना चाहती है या उसी मिल के मजदरों को कोआपरेटिव बना कर उसको दे दिया जाय जैसे यूगोस्लाविया में होता है जहां कि लेबर कोआपरेटिव्स के जरिये से फैक्टरीज चलायी जाती हैं। लेकिन इसके अन्दर जो मकसद होना चाहिये था जिस नतीजे पर हम इसको ले जाना चाहते थे वह इसके अन्दर नहीं है। जब कभी ये कारखाने बन्द होते हैं तो आपको मालूम होगा कि बन्द होने की ज्यादातर वजह मिसमैनेजमेंट होता है, बदइन्तजामी होती है या दूसरी वजह यह होती है वहां जबरदस्त पार्टीबाजी रही, काम कम हुआ और माल ज्यादा जाय हुआ यह वजह मिलेगी कि मिल मालिक ने अपने रिश्तेदारों को लम्बी २ तनख्वाहें दे कर भरती कर ली और इस प्रकार एक लम्बी रकम खींचने की स्कीम बना ली। एक कारण कारखाने जो बन्द हुए हैं उनमें यह भी मिलेगा कि उनकी अपटडेट मशीनरी नहीं मिलेगी और जो घिस गयी हैं अथवा बेकार हो गयी हैं और आउट आफ डेट हैं। ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होने पर सरकार को बहुत सफाई के साथ यह कहना चाहिये था और यह क्लाज लाना चाहिये था कि वह इस पर कंट्रोलर बिठायेगी। इसमें कंट्रोल बिठाने की बात तो है मगर वह और कानूनों की सहायता ले कर करने की बात कही गयी है और वह भी चार साल तक महदूद कर दी गयी है। चार साल के बाद क्या करेंगे, यह पता नहीं लगत या वह दोहराया जायगा। तो चार साल की मुद्दत इस तरह के बीमारशुदा कारखानों को चलाने के लिये बहुत कम है। तो यह सब चीजें आप कीजिये।

यह विधेयक जो आया है यह अगर पूरी जरूरत नहीं पूरी करता है तो अधूरी जरूरत जरूर पूरी करता है। मजदूर बेकार हो जाने के बाद यह जरूर पसन्द करेगा कि उसको कुछ सहूलियतें कम मिलें, उसको प्राविडेन्ट फंड न मिले, आगे की तनख्वाह पूरी न मिल पर रोजगार मिला रहे। मगर उसे यह संतोष होना चाहिए कि इन सब परेशानियों के बाद आगे को जब उसमें लाभ होगा तो मजदूर को कोई फायदा पहुंचेगा या नहीं या मजदूर के अन्दर जो एक भावना है कि वह मिल को मिल मालिक से अच्छी चला सकता है उस भावना को दरसाने का उसको मौका मिलेगा। अगर यह बातें इसके अन्दर आ जांय तो मैं समझता हूं कि मजदूर इसके लिये तकलीफ उठाने में और कुरबानी करने में हुज्जत नहीं करेगा। अगर यह बात इसके अन्दर नहीं आती है तो यह कहना मुश्किल है कि यह बिल मजदूरों की सहायता के लिये बनाया गया है या मिल मालिकों की सहातया के लिये बनाया गया है या बेरोजगारी दूर करने के बजाय

एम्प्लायमेंट देने के लिये बनाया गया है। ये प्रश्न पैदा होते हैं जिनको साफ करना चाहिये। जिस ढंग से यह बिल मुरत्तब किया गया है वह इनको साफ नहीं करता है जिससे बड़ी दिक्कत पैदा होती है।

मैं सरकार की तवज्जह दिलाना चाहता हूं कि बहुत-सी फैक्टरियां ऐसी हैं जो प्राविडेन्ट फंड का रुपया नहीं दे रही हैं या देने में गड़बड़ करती हैं। जिन फैक्टरियों में यह बात होती है यह इस बात की निशानी है कि वे बीमार फैक्टरियां हैं जिनकी तरफ सरकार को तवज्जह देनी चाहिये। इस बिल में इस तरह का कोई क्लाज होना चाहिये जिसके जरिये सरकार जब किसी फैक्टरी की ऐसी हालत हो जाय तो उसके विरुद्ध कार्यवाही कर सके, उसको अपने कब्जे में ले सके और उसी दिन से इस बात को देख सके कि इसकी हालत न बिगड़े और मजदूरों को ऐसी परेशानी न हो तो यह बहुत अच्छा हो जाय और एक प्रिवेन्टिव मेजर हो जाय। एक बात आज भी हमारे श्रम कानून में मौजूद है और वह यह कि प्रोडक्शन पर यूनिट मुनासिब कीमत पर हो सके। इसके लिये हम फैक्टरियों में रैशनलाइजेशन कर सकें। पर क्या कभी सरकार ने इस बात पर सोचा कि इन मिलों को चलाने की कुल जिम्मेदारी मजदूरों की ही है? जितने कानून या सहूलियतें दी गयी हैं उसका नतीजा यह निकलता हैकि मजदूरों को कुरबानी करनी पड़ती है। रैशनलाइजेशन हो, मजदूर कुरबानी दे, मिल बन्द हो तो मजदूर कुरबानी दे, मिल के अन्दर बदइन्तजामी होती है तो मजदूर को कुरबानी करनी पड़ती है। क्या कभी यह नहीं सोचा गया कि गवर्नमेन्ट इस बात को भी देखा करेगी कि जहां पर टाप हैवी ऐडमिनिस्ट्रेशन है वह भी रेशनलाइजेशन किया जा सके। यह इसलिये कि जहां दस्तकारी को चलाने की जिम्मेदारी मजदूर की है वहां उतनी ही सरमायेदार की ही है। तो कानून की मंशा सिर्फ यह नहीं होनी चाहिये कि उससे सब सहूलियत सरमायेदार को मिले और मजदूर सिर्फ इसलिये हो कि वह उसकी गलतियों का खमियाजा भुगते। यह बात मुनासिब नहीं मालूम होती। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर इस बिल को मुकम्मिल बनाना है तो जो बीमारी का इलाज है उसके साथ-साथ बीमारी के रोकने का भी तरीका होना चाहिये। जो मालिक प्राविडेंट फंड का रुपया न दे सकें उनके कारखाने को टेक ओवर कर लेना चाहिये। एक यह होना चाहिये कि मिल को ले लेने के बाद क्या सरकार उनके मालिक को वापस दे देगी या नहीं? यदि मिल मालिकों को ही सरकार मिल का प्रबन्ध ठीक करके वापस कर देगी तो इसका मतलब यह है कि सरकार बुराई का इलाज नहीं करना चहती है बल्कि पैबंद लगा कर उसको जारी रखना चाहती है। मजदूर जो कुर्बानी करता है उसकी कोआपरेटिव सोसाइटी बनाकर उसको मिल दे दिया जाय। सरकार को चाहे कितना ही ज्यादा रुपया क्यों न लगाना पड़े लेकिन जो मशीनें पुरानी हो गई हैं उनको अब टू डेट करना चाहिये। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कभी भी मामला ठीक नहीं होगा और प्रोडक्शन की कास्ट ऊंची रहेगी और वह मारकेट में कम्पीट नहीं कर सकेगा जिससे सरकार का, मजदूर का और पब्लिक के टैक्स का रुपया खतरे में रहेगा। इन चीजों की तरफ अगर सरकार ध्यान देगी तो जिस उद्देश्य के लिये यह विधेयक पेश किया गया है वह पूरा होगा वरना अधूरा मकसद तो यह जरूर पूरा करता है।

*श्री रामअधार कनौजिया (जिला बहराइच)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, प्रस्तुत विधेयक के उद्देश्य और कारणों में स्पष्ट है कि जो फैक्टरियां बंद हो गई हैं और जिनकी बंद होने की सम्भावनायें हैं उनको कैसे सहायता देकर चलाया जाये। इसी के साथ-साथ जहां तक श्रमिकों को रोजगार देने का सवाल है उसका कोई संकेत नहीं है जिससे उनका भविष्य उज्जवल हो सके। हां, मिल मालिकों का भविष्य जरूर उज्जवल होगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामअधार कनौजिया]

मान्यवर, यह सरकार देश और प्रदेश में समाजवाद का नारा लगती है। समाजवाद में श्रमिक वर्ग के जीवन सुधारने का मुख्य उद्देश्य है और जिस कार्य से वह पूरा न हो, मैं समझता हूं कि समाजवादी व्यवस्था में इस तरह का विधेयक आना अनुचित है। मिल क्यों बन्द हो जाती हैं और इससे मिल मालिक फायदें उठाते हैं या नहीं ? यह देखना है। श्रमिकों के धन को मिल मालिक जमा कर देते हैं और उसका उपयोग श्रमिकों के लिये नहीं किया जाता है। दूसरी चीज यह है कि मिल मालिक मिल की कीमत का अंदाजा लगा लेता है और उतना धन इकट्ठा करने का प्रयास करता है और इसके बाद वह प्रयास करता है कि उसके भुग्रतान को कैसे रोका जाय और उस धन को दूसरे काम में लगाकर पैसा कमा लेता है। यह उनका एक षडयंत्र है जो सरकार को वे धोखा देते हैं और मैं समझता हूं कि मंत्री जी उनके साथ सांठगांठ करके नई रूपरेखा लाते हैं। यह मेरा इल्जाम है। पूंजीवादी देश अपनी आर्थिक व्यवस्था को बदल रहे हैं लेकिन यह सरकार समाजवादी नारा लगाने पर भी अपनी नीति में परिवर्तन नहीं करती है। मैं नहीं समझ पाता हूं कि इस जगह का कौन सा समाजवाद है ?

अभी गत वर्ष रूस, जिसके सम्बन्ध में कोसिगिन ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि गत वर्षों में जो हमारी आर्थिक हालत बिगड़ गई है, वह कृषि और वृहद् उद्योगों पर ज्यादा जोर देने के कारण है जिस में श्रमिकों का कार्य बहुत क्षीण हुआ है। इसलिये उन्होंने घोषणा की है कि फैक्टरियों में लभांश के आधार पर हमारी नीति होगी। वास्तव में यदि सरकार समाजवादी मार्ग पर अग्रसर होना चाहती है, और देश में समाजवादी व्यवस्था की स्थापना का वह संकल्प ले चुकी

(इस समय २ बजकर ३० मिनट, पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल पीठासीन हुए)

है तो इन फैक्टरीयों में जो श्रमिक काम करते है, उनके लिये लाभांश के आधार पर उनका हिस्सा घोषित कर दिया जाए, तो उनका निश्चित ही भला हो सकता है। इसके अलावा देश की बिगड़ी हालतों की सुधारने का कोई साफ रास्ता नहीं मिलता है। यदि सरकार ऐसा नहीं करती है तो समाजवादी के बजाए इस पूंजीवादी सरकार पर यह लांछन लगता है कि यह पूंजीपतियों की फैरोकार और गिरते हुए पूंजीपतियों को उठाने के लिये मार्ग बनाने वाली यह सरकार है। मैं सुझाव के दौर पर अन्तिम निवेदन माननीय मंत्री जी से यह करूंगा, कि जिन-जिन मिलों, मिलों को आप नेशनलाइजेशन तो कर नहीं सकते है, की हालत बिगड़ी हुई है, उनमें लाभांशं रखा जाए तभी इस देश की मिलों का सुधार हो सकता है और श्रमिकों का सुधार हो सकता है।

*श्री कल्पनार्थसिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सभी माननीय सदस्यों की बात सुनने की कोशिश की। एक बात माननीय कमलासिंह यादव की तरफ से, काशीनाथ जी की तरफ से और भी बहुत सदस्यों की ओर से कही गई राष्ट्रीयकरण की। एक तरफ अभी जब यह मिल पेश हुआ विचार करने के लिये तो उपाध्यक्ष महोदय, यहां संवैधानिक आपत्ति की बात की गई कि यह बिल इस सदन में पेश नहीं हो सकता, लेकिन वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीयकरण करने के लिये बिल ले आने की मांग उधर से की गई। जबकि मैं समझता हूं कि यह सदन इस बात के लिये स्वयं सक्षम नहीं होगा कि वह इस प्रकार का कोई बिल ले आए क्योंकि संविधान की परिधि के अन्दर उसको इस प्रकार का अधिकार ही नहीं है। इस सदन की भी कुछ सीमा है और राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध जो बिल ले आना है और काम करना है वह केन्द्रीय सरकार के माध्यम से ही हो सकता है। केन्द्रीय पार्लियामेंट में इस तरह का को बिल आए तो मैं समझता हूं कि ज्याद अच्छा हो। इतना ही नहीं यह कहना भी मैं समझता हूं कि माननीय श्रम मंत्री के साथ कुछ न्यायपूर्ण नहीं होगा बार-बार उन्होंने इस सदन में कहा जहां तक मुझे याद पड़ता है जहां मिसमैनेजमेंट होगा या जो इकाइयां

अपना काम नहीं चला सकती सरकारी पक्ष में हो सकता है उनका राष्ट्रीयकरण किया जाए श्रमिकों के हित में, देश के हित में और समाजवाद के हित में, लेकिन कुछ मजबूरियां हैं कानूनी जिसकी वजह से मैं समझता हूं कि इसमें सरकार को और इस सदन को दिक्कत होगी। यह बात अगर दूसरे हमारे दोस्त जो इस ख्याल के हैं कि राष्ट्रीयकरण इन इन फैक्टरियों का कर लिया जाए तो बेहतर हो, हम अपने उन दूसरे दोस्तों से इस बात की प्रार्थना करें वे वहां की केन्द्रीय सरकार का ध्यान आकर्षित करें कि वह इस सिलसिले में कोई अमेण्डमेंट लाएं संविधान में या फिर संविधान की तहत में जो उनको अधिकार प्राप्त है उसमें कोई बिल ले आएं तो उसका अच्छा फोरम वही हो सकता है किन्तु यह सदन इसके लिये सक्षम नहीं है। जहां तक मैं संविधान की बातों को समझ पाया, यदि कोई हमारी गलती होगी तो कमलासिंह जी उसे दूर करने में समर्थ होंगे। लेकिन यह बात कई बार इसलिये कह दी जाती है ताकि सारी स्थिति क्लियूज्ड हो जाय और सरकार का इरादा राष्ट्रीयकरण के पक्ष में नहीं है चाहे मिसमैनेजमेंट हो जाय चाहे कोई और बात हो जाय।

अब यह बात आती है कि कोई फैक्टरी अर्थाभाव के कारण बन्द हो जाय तो क्या ५० परसेंट पर मजदूर को रहने दिया जाय या उनके बच्चों को भूखों मरने के लिये छोड़ दिया जाय या सरकार पहलकदमी करे और उस फैक्टरी को चलावे। इस सिलसिले में विधेयक के उद्देश्य और कारणों में स्पष्ट लिखा है "विशेष परिस्थितियों में" अर्थात परिस्थिति में नहीं बल्कि विशेष परिस्थितियों में इसको लागू करने का उद्देश्य है। विशेष परिस्थितियों में उन दो तीन ऐक्टों जिनका जिक्र किया गया है कि उनको निरस्त किया जायगा तो उनको विशेष परिस्थितियों में लागू करने की बात है। काशीनाथ जी इस बात से सहमत नहीं थे कि यह बेरोजगारी रोकने के लिये प्रतिबन्ध है बल्कि उन्मूलन से सम्बन्धित है उनका कहना था। अगर उन्मूलन की बात होती तो शायद उस विधेयक का नाम उसी प्रकार का होता लेकिन यहां तो रोकने की बात है कि इस प्रदेश और देश में बेरोजगारी है, जिसमें कोई इनकार नहीं कर सकता, उस पर चेक लगे और जो मजदूर आलेरेडी एम्प्लायमेन्ट में हैं उनका एम्प्लायमेन्ट बकरार रहे इसके लिये सरकार यह चाहती है कि इस सदन से यह कानून पास हो और अगर ऐसी परिस्थिति आ जाय और सरकार किसी फैक्टरी को चलाना चाहे और उसके लिये वह आवश्यक हो जाय तो इसमें पैसा लगाना आवश्यक है। जहां तक मैं समझता हूं जो यह बात कही गयी है कि जो पैसा मजदूर का बाकी पड़ जाता है उसको पैसा नहीं मिलेगा यह बात ठीक है लेकिन अगर सरकार पैसा लगाती है अनएम्प्लायमेन्ट को दूर करने के लिये तो क्या उस पैसे को फैक्टरी चलाने में लाया जाय या ड्यूज के भुगतान में लगाया जाय? मैं समझता हूं कि उसको फैक्टरी के संचालन में लगाया जाय। इसमें सबसे पहले यह देखने की जरूरत होगी कि कम से कम स्टटस को मेनटेन किया जाय और मजदूर काम करते रहें ताकि उत्पादन का काम चलता रहे और उसके बाद फिर सवाल पैदा होता है कि उनको पेमेन्ट कैसे किया जाय? इस सिलसिले में ऐसी बात नहीं है कि जो ड्यूज हैं उनको राइट आफ कर दिया जाय और उनका प्राविडेंड फंड न मिले या जो संविधान है वह उनको न मिले। इसके लिये सेन्ट्रल ऐक्ट है। यह भी है कि अगर किसी फैक्टरी को टेक ओवर करनेकी बात किस परिस्थिति वश आ जाय तो उस सिलसिले में एक सेंन्ट्रल ऐक्ट मजबूत है। यहां तक मुझे याद पड़ेगा है रेगुलेशन एंड डेवलप्मेंट ऐक्ट है। आप यह देखें कि उसके तहत में उत्तर प्रदेश सरकार के अन्दर यह पावर कोई डेलिगेट नहीं हुई है। आप उस ऐक्ट को अन्दर इसको टेक ओवर कर लें। अगर कोई माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करेंगे और बात लायेंगे तो अच्छी है ताकि सरकार के लिये यह स्थिति साफ हो जाय।

यह बिल जो आपके सामने है यह केवल एक बात की ओर संकेत करता है कि जो बेरोजगारी बढ़ने की सम्भावना है या फैक्टरी बन्द हो जाने की सम्भावना है या जिस फैक्टरी पर लायबिलिटी अधिक होगी तो सरकार चाहती है कि उसमें पैसा लगाये और पैसा लगाकर फैक्टरी बन्द होने से रोके। अब यह कहना कि नहीं, इसका इस्तेमाल दूसरी तरह से होगी मैं ऐसा नहीं समझता हूं कि इसका दूसरी तरह से इस्तेमाल होगा लेकिन यह मैं जरूर समझता हूं कि सरकार स्वयं क्यों

[श्री कल्पनाथसिंह]

ऐसी परिस्थिति में कूदने जाय कि जहां अपना पैसा लगाये और पैसा लगाने के बाद उस पैसे की सुरक्षा न हो । वह सारी चीजों को देखकर जब यह बिल्कुल निश्चित हो जाय कि हमारी इस फैक्टरी में ऐसा लगाना उचित है, उससे मजदूरों के अन्दर बेरोजगारी दूर होगी, जब यह निश्चय हो जाय तभी सरकार दस्तन्दाजी करे और तब उसको कुछ सहायता दे । मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि किसी बात को कन्फ्यूजन करने से कोई लाभ नहीं होगा । आप पूरे ऐक्ट को पढ़ें । जहां शुबहा हो कि यह ऐक्ट ऐसा प्रभावी होगा जिससे मजदूरों का अहित हो जायगा तो यह बात आप कहें । यहां पर ऐसा हो सकता है । किसी चीज को कन्फ्यूज कर लेने से लाभ नहीं होगा । या तो आप स्वयं निश्चित हो जायं कि कहां पर कन्फ्यूजन बढ़ने की स्थिति है और नहीं तो जो सही बात हो उसको आपको कबूल करना चाहिये और सीधे सीधे आपको तारीफ करना चाहिये । मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों को इस बिल की तारीफ करनी चाहिये थी और माननीय श्रम मंत्री जी की तारीफ करनी चाहिये कि जो आज परिस्थिति है देश और प्रदेश में और जब आप यह कहते हैं कि कभी कभी मिल मालिक बहाना बनाकर तालाबन्दी कर सकते हैं या बेईमानी से इस तरह का काम करता है तो उस परिस्थिति में जब आप अधिकार दिये होंगे तो निश्चय पूर्वक अपने श्रम मंत्री को या सरकार को यह अधिकार होगा कि उस सारी परिस्थिति का विश्लेषण करें और करने के बाद फिर अगर आवश्यक हो तो उसमें अपना हाथ लगाये । अपना पैसा लगाये और पैसा लगाने के बाद यह देखें । जहां सरकार अपना पैसा लगाएगी वहां वह स्वयं इंतजाम भी करेगी और वह पैसा इस प्रकार डूबेगा नहीं । इन बातों को देखने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि सरकार का यह एक अच्छा कदम है और मैं इस बिल का समर्थन करना चाहता हूं । माननीय श्रम मंत्री जी को मुबारकबाद देना चाहता हूं और अन्य सदस्यों को बतलाना चाहता हूं कि वह इसको स्वयं देखें, समझें और तहेदिल से सरकार का शुक्रिया अदा करें ।

*श्री खेमचन्द (जिला आगरा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय कल्पनाथ सिंह जी की बात बड़े ध्यान से सुन रहा था । उन्होंने कहा कि श्रम मंत्री जी ने बड़े समय पर गरीबों के हित के लिये इस विधेयक को सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया है । वास्तव में ऐसा प्रतीत होता है कि इस विधेयक के द्वारा कुछ उपक्रमों की सहायता देकर उन आदमियों को जिन को रोजगार की आवश्यकता है, उनकी सहायता दी जा सकती है । किन्तु इसका दूसरा रुख भी देखना चाहियें । इसमें गरीबों के नाम पर उन बड़े-बड़े पूंजीपतियों को सहायता करने का प्राविधान है जिन के आधार पर हमारी सरकार सरकार बनाने के योग्य होती है । एक साल की घोषणा वह करते हैं कि जिस समय यह प्रभावी होगा और उसके बाद फिर वही उपक्रम को चलाना रहेगा जिस का वह उपक्रम था । इस प्रबंध के आधार पर एक साल में उस पूंजीपति को, जो उस कार्य क्रम चला रहा है, उसके सरकारी सहायता मिल सकती है और वह आगे बढ़ सकता है । यानी अगर धनाभाव के कारण या कुप्रबंध के कारण कोई उपक्रम डूबने की स्थिति में है उस को किस प्रकार बचाया जाय यह इसका असली मतलब है और बहाना लिया जा रहा है कि सेवा आयोजकों को सहायता कर के उनका आप भला करना चाहते है । सरकार ने बड़े जोर शोर से साथ सहकारिता आन्दोलन चलाया और उन्होंने इस बात की कोशिश की कि उपभोक्ता और श्रमिक उसका लाभ स्वयं अर्जित करके अपना हित करें । किन्तु सहकारिता में भी जगह जगह पर खामियां नजर आयीं । सरकार का पैसा लगा फिर भी बहुत सी सहकारी समितियों लुप्त हो गयीं । इसी प्रकार इन उपक्रमों को सहायता देने के साथ साथ सरकार यह चाहती है कि हम उन आदमियों को सहायता देते रहें जिनको सहायता की आवश्यकता है और जो उस की सहायता हर रूप में करते रहे है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इस में मान्यवर, दो, तीन बातें कहीं गयी हैं । जनमत के लिये इसको तीन मास के लिये घुमाया जाय यह पहला प्रस्ताव है । मैं समझता हूं कि जितना छोटा विधेयक है और जो उस की मंशा है उसके आधार पर शायद इस बात को सरकार नहीं मानेगी । किन्तु यह जो प्रस्ताव किया गया है कि इसको प्रवर समिति के समक्ष भेजा जाय, उसका मैं समर्थन करता हूं इसलिये कि इस विधेयक में भी दो, तीन धाराएं इतनी अपूर्ण हैं कि उनमें अन्य बातों का और बहुत आवश्यक था । जिस उपक्रम को हम लेना चाहते है उसके बारे में घोषणा है, उसके बाद में सरकार के कौन अधिकारी उसके लिये बैठेंगे, जिस प्रकार से सरकार वहां काम करेंगी, श्रमिकों के हित के लिये सरकार उस आदमी पर, जिसके हाथ में वह उमक्रम है, क्या प्रभाव डालेगी, आदि इस प्रकार के उपबंध इसमें आने चाहिये थे । ऐसा होने से यह अधिक प्रभावी हो सकता था और इससे अधिक लाभ हो सकता था । जैसा अन्य विधेयकों के सम्बन्ध में होता है कि हमने एक विधेयक बनाया, उसे पारित किया, उसे लागू किया और साल भर या दो साल बाद पुनः संशोधन लाने की आवश्यकता पड़ती है । तो क्या इस प्रकार से लोक मान का अपव्यय नहीं होता है ? क्या सरकार इस प्रकार से कानून में संशोधन दर संशोधन लाकर पुनरावृत्ति करके अपने मन्तव्य को पूरा कर पाती है ? जब उसका असली मन्तव्य पूरा नहीं होता है तो क्यों न हम इस कानून को इस प्रकार से बनावें जिससे उसमें अधिक खामियां न रहने पावें और आपका मन्तव्य पूरा हो सके । इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूं कि इस विधेयक का प्रवर समिति में जाना परमावश्यक है ताकि समिति इसकी परिधि को बढ़ा सके, इसको सुचारू रूप से तैयार कर सके और इसमें आगे जो खामियां हो सकती हैं उनको दूर कर सके ।

मान्यवर, इस विधेयक की जो धारा ३ है वही सबसे उत्तम है जिसमें दिया हुआ है--

सहायता उपक्रम होने की घोषणा ।

(३)(१)--यदि राज्य सरकार का किसी ऐसे औद्योगिक उपक्रम के सम्बन्ध में--

(क) जिसे किसी विधि या अनुबन्ध के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्रारम्भ किया जाय अथवा जो या जिसका प्रबन्ध अर्जित किया जाय अथवा अन्यथा ले लिया जाय, और जिसे उस सरकार द्वारा अथवा उसके प्राधिकार के अधीन चलाया जाय चलाने का प्रस्ताव हो, या

(ख) जिसे राज्य सरकार द्वारा, कोई ऋण, अग्रिम धनराशि अथवा अनुदान दिया गया हो, अथवा, जिसको ऋणों के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा कोई प्रत्याभूति दी गयी हो,

यह समाधान हो जाय कि बेरोजगारी को रोकने अथवा उसके प्रति सहायता की व्यवस्था करने के उपाय स्वरूप उस उपक्रम को चलाये रखने अथवा उसे फिर से चलाने को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, लोक हित में ऐसा करना आवश्यक अथवा इष्टकर है राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा यह घोषणा कर सकती है कि वह उपक्रम, ऐसा दिनांक से जो निर्दिष्ट किया जाय सहायता उपक्रम होगा ।

(२) उपधारा (१) के अधीन कोई घोषणा एक वर्ष से ऐसी अधिक अवधि के लिये प्रभावी होगी जो तदर्थ निर्दिष्ट की जाय ।

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा घोषणा के प्रवर्तन को और आगे की अवधि के लिये, जो एक बार में एक वर्ष और कुल चार वर्षों से अनधिक न होगी, बढ़ा सकती है ।

राज्य द्वारा जो प्रत्याभूति की बात रखी गयी है उसका कोई औचित्य नहीं प्रतीत होता है । इसके साथ ही साथ अन्त में मुझे यह कहना है कि इसके इस अनुबन्धन में उस उद्योग को चलाने के लिये कोई ऐसा प्राविधान नहीं किया गया है कि किस प्रकार से वह चलाया जायगा । जमानत

[श्री खेमचन्द]

दिया जायगा, धन दिया जायगा, ऋण दिया जायगा, या कोई अग्रिम धन दिया जायगा या इसका प्रबन्ध किस प्रकार से किया जायगा, इस सम्बन्ध में तो यह बिलकुल चुपचाप है। बोनस वगैरह के लिये नियम आदि बने हुए हैं, भिन्न भिन्न उद्योगों के लिये अलग अलग नियम हैं, उस पर कोई लम्बी चौड़ी बहस की जरूरत नहीं है, उसके ऊपर विचार हो सकता है लेकिन जहां तक इस बिल की अपूर्णता का सम्बन्ध है वह अपने आप में स्पष्ट है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वे इस प्रस्ताव को स्वीकार करें कि इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय ताकि वह अपनी परिधि को बढ़ा कर इसको समय के अनुकुल और उपयुक्त बना सके।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्यों के विचार प्रस्तुत बिल पर सुने और मैं यह समझ पाया कि जिस रूप में यह बिल उपस्थित है और जिस विचार और भावनाओं से प्रेरित होकर माननीय मंत्री जी इस बिल को लाये हैं वह विचार और भावनायें अवश्य ही सराहनीय हैं। परन्तु जब हम किसी बिल की व्याख्या करते है और उसके प्राविजन को देखते हैं कि इसका फायदा किसको पहुंचेगा, आया जो मकसम माननीय मंत्री जी का है और उनके दिमांग में जो विचार और भावनायें हैं जिन्होंने उनको प्रेरित किया इस बिल को लाने के लिये, उस विचार और भावनाओं की पूर्ति यह बिल करता है कि नहीं। देखने से यह पता चलता है कि जहां इस बिल में क्लोजर की बात है, यह अवश्य है कि इस कानून में इसकी व्यवस्था हो जाने पर मिलों का बन्द होना रूक जायगा। परन्तु वहीं पर इस बिल के अन्दर एक प्रोविजन है जिसके मुताबिक हो सकता है कि अगर मैनेजमेंट अपने कारखाने को चलाने में असमर्थ हो, करप्ट हो, नाकाबिल हो, तो सरकार उसको खुद लेगी पहले पहल एक साल तक और बाई नोटिफिकेशन इन दि गजट, एग्रीगेट वह ४ साल तक की अवधि हो सकती है। परन्तु उसके साथ-साथ यह भी पावर्स सरकार के पास आ जाती हैं कि जो लायबिलिटीज और आबलीगेशंस उस इंडस्ट्री के ऊपर हैं उसके आपरेशन को सस्पेंड कर सकती है। कहने का मतलब यह है कि जितना रुपया कर्ज का या जो रुपया मजदूरों का या दूसरों का देना है सरकार उसको सस्पेंड कर सकती है, उस पीरिएड तक के लिए जबतक कि उसका मैनेजमेंट उस इंडस्ट्री में है। होना यह चाहिए था कि कम से कम जो मजदूर उस मिल में बरसों से काम करते आये हैं और जिनके ड्यूज उस मिल पर बरसों से आउट स्टेंडिग, ह गवर्नमेंट का यह नैतिक फर्ज हो जाता था कि इस प्रकार के ड्यूज को जिसको मिलमालिक बेईमानी से अपने पास रखता है और अपने काम के लिए यूटिलाइज करता है और सरकार के कहने पर भी उस ड्यूज को वह देता नहीं है उसकी अदायगी तुरन्त हो जाना चाहिये थी। मैं समझता हूं माननीय बानरसीदास जी इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं क्योंकि उनके मेंटल कैलिबर को मैं अच्छी तरह से समझता हूं और ऐसी पैचीदा बातों का नक्शा उनके दिमांग में फौरन ही खींच जाता है। होना यह चाहिए था कि इस प्रकार के ड्यूज के पेमेंट्स के लिये कम से कम उस अवधि तक जबतक सरकार के हाथ में उस इंडस्ट्री का मैनेजमेंट है तो आउट स्टेंडिंग ड्यूज मजदूरों को फौरन दिये जाने चाहिये थे, इस तरह का प्रावीजन इसमें होना चाहिये था। जिस चीज ने आपको प्रेरित किया कि मिल वालों की दाल रोटी बरकरार रहे तो कम से कम उस दिल दिमाग में यह भी आना चाहिये था कि जो मेहनत मजदूरी मजदूर कर चुके हैं और उसके फल से मिल मालिक उनको महरूम रखता है तो उसकी कुछ व्यवस्था करनी चाहिये थी ताकि वह फल उनको समय से मिल जाय।

मंत्री जी बुरा न मानें, यह तो दिमाग से समझने की बात है, मैं उनको अक्यूज नहीं करता हूं कि उनके दिमाग में यह बात रही है, लेकिन मैं बिल के प्रावीजन की बात कहता हूं कि जब सारे बिल के प्रावीजन को एक साथ तोड़ा जाय तो आप देखें कि उसका फायदा किसको पहुंच रहे हैं? वह बिल्कुल स्पष्ट है, उसमें मंत्री जी इन्कार नहीं कर सकते कि ४ साल के मैनेजमेन्ट के बाद अबर सरकार की कृपा हुई पीरियड एक्सटेंड कर दिया गया तो फिर मिल हैंड ओवर हो गयी कैपिटलिस्ट

को यह बात मेरी समझ के दायर के बाहर है, खासकर जबकि हमारे माननीय मंत्री जी कोआपरेशन का भी पोर्टफोलियों होल्ड करते हैं और चाहते हैं कि कोआपरेशन का जाल उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि सारे भारतवर्ष की टैरेटरी में विछाया जाय । मैं समझता हूं कि यह डेफिनिट पालिसी हमारी सरकार की होनी चाहिये । अगर सरकार उसको समझने से इन्कार करे तो हमारी बदनसीबी है । हम लखनऊ में रहते हैं तो इसलिये यह नहीं कि हम अपने दिमाग के दरवाजे और खिड़ाकियां बन्द रखें । हम जानते हैं कि मिल मालिकों का रवैया बिलकुल कनडेम्नेबिल है क्योंकि इन्होंने फारेन एक्सचेंज के द्वारा जितनी मंशीनरी फारेन कंट्रीज से इम्पोर्ट की है उसको टुकड़े-टुकड़े करके चोरवाजारी में बेच कर लाखों रुपयें का फायदा उठाया । उसका फायदा न जनता को पहुंचा न मजदूर को पहुंचा, उसका फायदा मिल मालिकों को ही पहुंचा । जहां इस प्रकार की हरकतें मिल मालिक करता हो वहां उनसे यह आशा करना कि देश की प्रगति का उनको कुछ खयाल है व्यर्थ है । ऐसे लोग क्या देश के विकास में कुछ मदद कर सकते हैं ? नहीं कर सकते । मिलमालिकों का रवैइया हमारे उत्तर प्रदेश में यह रहा है कि किसी तरह से सरकार से लाखों करोड़ों रुपया लोन के रूप में वसूल कर लो और उसे हजम कर जाओ । सरकार की नीति यह है कि लोन एडवान्स उन मिल मालिकों को उतना किया जाता है जितना कि वे पहले अपने पास से फैक्टरी स्थापित करने में लगाते हैं । तब सरकार को इस बात का सार्टिफिकेट मिल जाये कि उसने इतना रुपया इन्वेस्ट कर दिया है तभी उसको लोन दिया जाना चाहिये । मगर होता क्या है ? मिल मालिक अपना स्वयं का कोई पैसा नहीं लगाते, मगर सरकार से लाखों रुपये का एडवान्स पा जाते हैं । यहां सदन में ही इस तरह के बहुत से केसेज आये हैं और हमने उन पर विचार किया है । एक मिल मालिक ने अपनी एक पाई भी न लगाकर, २ करोड़ रुपया सरकार से लोन ले लिया । और एक फैक्टरी को खड़ा किया । जब वह फेल होने लगी तो वह सरकार के पास पहुंचा और कहा कि सरकार उसको अपने हाथ में ले ले और इस प्रकार वह सरकार से ४ करोड़ की डिमान्ड करने लगा । यानी दो करोड़ सरकार से पहले लिया और और २ करोड़ और मांगने लगा । उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से यह मिल मालिक सरकार से पैसे लूटते हैं । न हींग लगे न फिटकरी, रंग चोखा आवे, यह नीति मिल मालिकों की रहती है हम कैसे इनसे यह उम्मीद करें कि इनको कुछ देश के हित का भी खयाल है । बिना किसी प्रयास के उसने दो करोड़ अपनी जेब में रखे लिये । जहां इस प्रकार की हरकतें हों वहां हमें इनकी बिलकुल सहायता नहीं करना चाहिये । अगर इस तरह की हरकतें मालिकों द्वारा न होतीं तो मैं अवश्य इस प्राविजन का स्वागत करता । मगर यह उद्योगपतियों के हित में है, इसलिये मैं इसका समर्थन नहीं करता ।

दूसरी हरकत यह मिल मालिक और करते हैं । जितना रुपया यह मिलमालिक यहां कमाते हैं उस रुपये से दूसरी स्टेट्स में कल कारखाने लगा लेते हैं और वे दूसरे नामों से खोलते हैं । फिर जितनी भी पुरानी मशीनें होती हैं वे यहां लाकर लगा देते हैं और उत्तर प्रदेश को सरकार को दिखा देते हैं कि हमने इतनी इतनी मशीने लगा रखी हैं । इस प्रकार की यहां चालें चली जाती हैं । और इसके बाद मैं यह कहना चाहता हूं कि मैंने पहिले भी माननीय मंत्री से दरख्वास्त की थी, उसमें कोई चाल या बेईमानी नहीं है । अगर कोई समझता है कि हम बेईमान हैं तो हम बेईमान हैं । अगर ईमानदारी करना बेईमानी है तो राक्षस सबसे पहले बेईमान है । जिस दिन कोई विमल का क्लाजर का थ्रोट देता है तो क्या कारण है, जब हम पब्लिक सैक्टर को बढ़ाना चाहते है, जब हम कोआपरेशन का जाल बिछाना चाहते हैं, जब हम जनता को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्या सरकार टेक ओवर नहीं कर सकती ऐसी दशा में ? इस सम्बन्ध में, जैसा कि मेरे भाई कह रहे थे, मैं भी साईकालोजी का स्टूडैन्ट रहा हूं, वे बड़ी धीमी आवाज से बोल रहे थे कि उत्तर प्रदेश का यह जुरिस्डिक्शन नहीं कि वे इस प्रकार का प्राविजन कर सकें । मैं कानून के काम्प्लीकेशन में नहीं जाना चाहता, गोया मैं भी थोड़ा बहुत कानून जानता हूं, जो सलाह उन्होंने दी कि सैन्ट्रल गवर्नमेंट को अप्रोच करें मैं समझता

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

हूं कि उन्होंने यह गवर्नमेंट को धोखा दिया है। उनको यह कहना नहीं चाहिये। हमारी सरकार के अगर पावर के अन्दर यह नहीं तो सैन्ट्रल गवर्नमेंट के पास अप्रोच करे। यह क्या बात है? आखिर इस सरकार की भी हस्ती है। यह कम से कम अप्रोच कर सकती है। खासकर विरोधी लोग प्रोपेगेन्डा करेंगे, तो इसका क्या असर हो सकता है? इसलिये मैं यह बहुत अदब के साथ मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि इस बिल का फायदा इन्डस्ट्रियलिस्ट को ही पहुंचता है क्योंकि जितनी आब्लिगेशन की बात है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन बैठेगा वह कानून के द्वारा ही कार्य करेगा। क्योंकि जब उस अवधि के बाद अगर उस इन्डस्ट्री की हालत अच्छी हो जायेगी तो फिर उसी के पास वह भेज देगा। यानी भेड़ को भेड़िये के हवाले दी कर देना हुआ। मैं समझता हूं कि यह इसी तरह है कि भेड़ को इस कदर भूना कि उसकी चमड़ी भी उधड़ जाय। वह मरने वाला था परन्तु आपने मरने वाले को जिन्दा करने की कोशिश की। उसके लिये मैं धन्यवाद करता हूं कि लेकिन तगड़ा करके फिर उसको आपने बेईमान के हवाले कर दिया। आपने अनुभव से फायदा नहीं उठाया जिसका तजुर्बा हमको है। जो मुल्क या जातियां अनुभव से अपने को सम्हालने को तैयार नहीं वे कभी तरक्की नहीं कर सकतीं। इससे मैं मुख्तलिफ राय रखता हूं। मुझे कोई यह न समझे कि मैं बनारसीदास जी के खिलाफ हूं। मुमकिन है मेरे व्यक्तिगत रिलेशन्स उनसे स्ट्रेड हों, या अच्छे हों लेकिन जब मुल्क के बारे में कोई बात आती है तो व्यक्तिगत रिलेशन्स कोई माने नहीं रखते। हर कानूनी प्रोवीजन्स को मुल्क की बहबूदी की कसौटी पर कस कर देखना चाहिये, चाहे इधर के बैठने वाले हों या उधर के बैठने वाले हों। विरोधी दल की ओर से कहा गया, कि अगर यह कदम सोशलिज्म की ओर से जाने वाला है तो उसका ले आना जारी है। उन्होंने ठीक ही कहा कि जब मिल मालिकों ने उसको बन्द ही कर दिया है तो फिर सरकार उसका राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं कर लेती है? यह एक एपोरचुनिटी है, सरकार को अपने एटीट्यूड को बदलने की आवश्यकता है। माननीय बनारसीदास जी का दिमाग भी इधर चलता है तभी तो उनको यह मिनिस्ट्री दी गयी, अगर दिमाग न चलता तो दूसरी मिनिस्ट्री दी जाती। मैंने जिन बातों को कहा है उनका कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिये। आप मुझे बुरा मानना चाहें, मान सकते है लेकिन मुल्क का अहित नहीं करना चाहते। अन्त में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप बन्द हो जाने के बाद उनको या तो पब्लिक सेक्टर को दीजिये अथवा कोआपरेटिव को दीजिये।

*श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)--

मान्यवर, यह उत्तर प्रदेश औद्योगिक उपक्रम (बेरोजगारी रोकने के लिये विशेष उपबन्ध) विधेयक, १९६६ हमारे सामने है। अभी-अभी कांग्रेस मंत्रिपरिषद के पूतपूर्व पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी जब बोल रहे थे तो मेरे मन में बड़ी शंका यह पैदा हो रही थी कि यह सरकार विचारी तौर पर, दिमागी तौर पर अपनी पार्टी के माननीय सदस्यों को भी अपने मत से संतुष्ट नहीं करा पाती है, फिर विरोधी सदस्यों की बात तो अलग है। माननीय रावत जी की बात जब कभी मैं सदन में सुनता हूं, बड़े ही ढंग की होती है। जिस तरह की वह आलोचना करते है, चाहे उस को माननीय बनारसी दास जी सुनें या न सुनें, या उनकी बात कोई बल न दें, लेकिन इतना तो मैं मानता हूं सरकारी पार्टी के लोगों का विश्वास भी उसमें नहीं है, वे लोग भी सरकार के मत के नहीं हैं।

माननीय कल्पनाथ सिंह जी जब बोल रहे थे तो ऐसा लगता था कि वे राष्ट्रीयकरण की नीति में तो विश्वास करते हैं और इसलिये करते होंगे, कि भले ही वे उधर चले गये हों लेकिन अभी समाजवादी बुद्धि उनकी कुंठित नहीं हुई है। क्योंकि बुनियादी दिमाग मुश्किल से

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बदलता है । माननीय कल्पनाथ सिंह जी ने कहा कि राष्ट्रीयकरण का सवाल यहां न उठाकर लोकसभा में उठाना चाहिये ।

श्री कल्पनाथसिंह---

मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । मैंने तो यह कहा था कि राष्ट्रीयकरण का विधेयक यहां नहीं आ सकता है । अगर आ सकता हो तो बताइये, हम जरूर ही उसके लिये अपनी पार्टी में कोशिश करेंगे ।

श्री राधेश्याम शर्मा---

आप मेरी बात सुनिये, मैं सही बात कहना चाहता हूं । प्रश्न इस बात का है कि यदि यह सरकार राष्ट्रीयकरण को प्रसन्द करती है तो इनकी सरकार और काग्रेस दल केन्द्र से अनुरोध करे क्योंकि इनकी बात वहां मानी जाती है, राष्ट्रीयकरण के सिद्धान्त को कल्पनाथ सिंह, बनारसीदास जी और यह सरकार केन्द्र में मनवायें । इसमें हम अलग नहीं हैं लेकिन अगर वह इसको नहीं मानते तो हम आपके सामने अपनी बात कहते हैं । मैं आपके समक्ष कहूंगा कि यह जो बिल आया है इससे मैं नहीं समझ पाता हूं कि जो मिल मालिक अपनी गड़बड़ियों से, अपनी खामियों से अपनी मिलों को दिवालिया बनायेंगे या यह हालत हो जायगी कि उनके पास मिल को चलाने के लिये साधन नहीं रहेंगे, वह मजदूरों का बोनस, मंहगाई भत्ता, फंड, आदि नहीं दे सकेंगे उनके लिये जो सजा मिलनी चाहिये थी उसका तो इसमें कोई लेखाजोखा नहीं है बल्कि उनको यह इनाम दिया जा रहा है कि यह सब कुछ करने पर भी राज्य सरकार उनकी मदद करेगी और मिल को चलवायेगी और कहा जाता है कि ऐसा करना बेकारी को दूर करने के लिये जरूरी होगा । प्रदेश का किसान अगर एक भी फसल का बकाया नहीं देता है तो यह सरकार उस से कभी नहीं कहती कि हम आपको रुपया देते है यह रुपया लेकर बकाया लगान में जमा कर दो और फिर कभी जब हो तो दे देना । मिल मालिकों को सरकार मजदूरों की बेरोजगारी का बहाना देकर प्रोत्साहन देना चाहती है । यदि मिलमालिकों की मिलों के राष्ट्रीयकरण की बात होती और सरकार उन को अपने कबजे में लेकर सारी बकाया मिल मालिकों से वसूल करती तो मनशा हल हो सकता था । लेकिन वह ऐसा नहीं करते, वह तो उल्टे उनको इनाम और मुआवजा देना चाहते हैं । वह बेरोजगारी का बहाना लेकर मजदूरों के हित की बात करती है और इसकी आड़ में मिलकों को लाभ पहुंचाना चाहती है । जब विरोधी दल के लोग ऐसी बात कहते हैं तो उनको हमारी बात कड़वी लगती है, उनको गुस्सा भी आता है और हमें भी ऐसा लगता है कि हमारी बात गलत न हो लेकिन फिर भी जब हम सोचते हैं तो हमारी बात गलत नहीं लगती और सरकार ही गलत तरीके से सोचती है ।

हमारे यहां महात्मा से बड़ा कोई नेता इस युग में पैदा नहीं हुआ । पंडित जवाहर लाल नेहरू, आचार्य नरेन्द्र देव और डाक्टर लोहिया आदि जो भी देश के नेता हुये हैं और जो आज भी मजदूरों और किसानों के हित की बात करते हैं लेकिन जब एक ही पुरुष के द्वारा यहां की सारी सरकार का काम चलाया जाता हो और भारतवर्ष भर में कभी किसी भी बड़े नेता को जन्मदिवस के अवसर पर ४३ लाख रूपया मिला हो और जो सरकार का पूरा संचालन करता हो, वह पार्टी का लीडर हो न हो, असेम्बली का मेम्बर हो न हो, जैसे चाहे वह संचालन इस सरकार का करता है....

श्री बनारसीदास---

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि जो कुछ वह कह रहे है उसका इस विधेयक से कोई वास्ता नहीं है, बिलकुल अनर्गल बात है । यह कोई जनरल डिबेट नहीं है जहां कि हम

[श्री बनारसीदास]

(व्यवधान) । मैं निवेदन कर रहा हूं व्यवस्था के प्रश्न पर आप जरा सुन लें । मैं कह रहा हूं कि यह असंगत बातें हैं इनका बिल से कोई वास्ता नहीं है । महात्मा गांधी, पंडित नेहरू और आचार्य नरेन्द्र देव के विषय में जाने क्या कह रहे है ? यह सदन इन तमाम बातों के लिये नहीं है ।इन पर श्रीमन्, नियंत्रण किया जाय, यहां पर अनर्गल बातों के लिये स्थान नहीं है । वह बिल से सम्बन्धित बातें कहें और आप इनको अनर्गल बातों को प्रोसीडिंग का भाग न बनने दें । यह बातें तो किसी और सभा में या अखबार के जरिये से कही जा सकती हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है, राधेश्याम जो आप बिल से संगत बातें ही कहें ।

श्री राधेश्याम शर्मा—

मैंने कोई अनर्गल बात नहीं कही है, मैंने संगत ही बोला है ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप कह रहे हैं कि चन्द्रभानु गुप्त को थैली भेंट की गई, इस बिल से उस बात का क्या वास्ता है ?

श्री राधेश्याम शर्मा—

मान्यवर, मैं उसकी पृष्ठभूमि में यह देता हूं । यह सरकार मजदूरों के लिये कोई कानून नहीं बनाती है । यह केवल पूंजीपतियों के लिये कानून बनाती है ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह आप कहें लेकिन इन बातों से यहां कोई ताल्लुक नहीं । यों तो दुनिया में आप चाहें जो बात ले लें और यदि आप चाहें तो उसका ताल्लुक लगा सकते हैं ।

श्री राधेश्याम शर्मा—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इससे आपको कोई भी समस्या हल नहीं हो सकती है इस सरकार के जो संचालन कर्ता हैं वे जब हर चीज को छूट दे देते हैं, उनको सबेत करते हैं तो उसके एवज में अपने दल को संचालन करने के लिये रुपया लेते हैं और यह हमारा इनसे खुला चैलेन्ज है ।

अगर यह सरकार मजदूरों के लिये कोई कानून बनाना चाहती है तो इसमें केवल शब्द "बेरोजगारी रोकने के लिये विशेष उपबन्ध" रख देने से बेरोजगारी दूर नहीं की जा सकती है । इस विधेयक को एक लाइन से भी यह स्पष्ट नहीं होता है कि इसमें बेरोजगारी को दूर करने के लिये कोई कदम उठाया गया है। मजदूर लोग २४–२४ घंटे काम करते हैं और जब वे बेचारे अपनी तनख्वाह, अपना बोनस और अपने भत्ते मांगते हैं तो मिल वाले दिवाला निकाल कर सरकार के सामने रख देते हैं । सरकार कब्जे में कर लेती है लेकिन कब्जे में लेकर वह कोई प्रबन्ध नहीं कर सकती है । मैं तो यह चाहता हूं कि सरकार उन मिलों को कब्जे में कर लेकिन मालिकों को सजा दे लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया जाता है । यहां दिवाला निकाल कर सरकार से मदद ली जाती है । जो बात अभी माननीय रावत जी ने कही वह बिलकुल ठीक है । यदि समाजवाद की आर्थिक व्यवस्था में इस तरह के कानून बनेंगे तो ऐसा लगता है कि समाजवाद के नाम में लचर दलील पेश की जाती है । मजदूरों को भी इस विधेयक से बेरोजगारी दूर करने की बात बता कर दिलासा संतोष कराया जा रहा है और मिल मालिकों को छूट दी जा रही है । इसके अलावा मैं इस विधेयक से और कुछ नहीं समझता हूं । अन्त में मैं माननीय बनारसीदास जी से प्रार्थना करती हूं कि अगर इस तरह का कोई कानून पास करना है तो ठोक-ठोक पास किया जाय जिससे

मजदूरों का हित हो। चाहे हमारी छोटी बात से चिढ़ कर माननीय बनारसीदास जी कोई बड़ी बात करने लग जायं लेकिन जब तक ऐसा नहीं किया जायगा हमें तो दिमागी संतोष नहीं होगा।

*श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

मान्यवर, इस छोटे से विधेयक में जो मुश्किल से ४ पैराग्राफ में है, के बारे में माननीय राधेश्याम जी को सुना। समाजवाद के जितने मौलिक सिद्धान्त है, उनका समावेश इसमें लाने की चेष्टा की है। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। उनको समाजवाद का बड़ा जोश है, पार्टी भी समाजवादी है। यह बात दूसरी है कि उनके कार्य समाजवाद के विरोध में है। इस बिल की मंशा, जहां तक मैं समझा हूं उन बातों से नहीं है जिन बातों को वे लाना चाहते हैं। राष्ट्रीयकरण हो या न हो, यह एक प्रश्न है। समाजवादी व्यवस्था में उद्योगों का क्या स्थान हैं, यह अपनी जगह एक प्रश्न है; लेकिन जो यह विधेयक है इसका दायरा बहुत सीमित है। यह मैं माननीय राधेश्याम जी से कहना चाहता हूं। जो कारखाने बन्द हो जाते हैं, राधेश्याम जी भी जानते ह, प्रदेशीय सरकार को उन्हें टेक ओवर करने का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वह कम्पनी ऐक्ट हो या डेवलपमेंट इन्डस्ट्रियल एंड रैग्युलेशन ऐक्ट हो। गवर्नमेंट आफ इंडिया को इनके अन्तर्गत अधिकार है कि वे कारखाने को टेक ओवर कर सकते हैं और उनका संचालन प्रदेशीय सरकार से करवा सकते हैं। प्रश्न यह है कि कारखाने बन्द हों और केन्द्रीय सरकार अगर चाहे कि उनको टेक ओवर करे और हमसे इंतजाम कराना चाहते हैं तो हमारे सामने दो तरीके हैं। एक तो यह कि जितने उनके आउटस्टैंडिंग कर्जे हैं उसमें बोनस भी हो सकता है, मजदूरों की तनख्वाह भी हो सकती है और भी कर्जे हो सकते है, जैसे मिसाल के तौर पर विक्टोरिया मिल पर दो करोड़ के आस पास के आउट स्टैंडिंग हैं। मान्यवर, अगर उसको हम चलायें तो दो करोड़ तो पेमेन्ट के लिये चाहिये और १ करोड़ रु० का वर्किंग कैपिटल हो, यानी ३ करोड़ रु० हमारे पास होना चाहिये। अगर हम पर इतना रुपया न हो तो हम उस कारखाने को नहीं चला सकते। तो सरकार केवल इतना अधिकार लेना चाहती है कि उसको हम चलायें तो आउट स्टैंडिंग पेमेन्ट को डेफर कर सकें। केवल यह अधिकार सरकार चाहती है और वह इसलिये कि कारखाना चलता रहे और उससे जो इनकम हो आहिस्ता-आहिस्ता इन्स्टालमेंटस में आउट स्टैंडिंग ड्यूज को पे कर दें। अगर हम यह अधिकार न लें और कारखाना बन्द पड़ा रहे तो बेरोजगारी बढ़ेगी ही। बड़ा मजाक उड़ाया गया अनएम्प्लायमेंट का क्या होगा। माननीय राधेश्याम जी जानते है कि एक मिल में कई हजार आदमी काम करते है अब अगर कारखाना बन्द हो जाय और मिल मालिक न चलाये तो उतने महीने वह मजदूर बेकार पड़ा रहेगा। इस प्रोवीजन से एक फायदा यह होगा कि कम से कम उस मजदूर को जो वहां लगा हुआ है उसको तनख्वाह महीने के महीने मिलती चली जायगी। आपका कहना यह है कि जो ऐसी गलती करे मिल मालिक उनके कारखाने को नेशनेलाइज क्यों न कर दें। मान्यवर, जैसा माननीय कल्पनाथ सिंह ने कहा, अगर मैं आपकी राय से इत्तफाक करता तो भी नेशनेलाइजेशन की बात इस बिल में आने वाली नहीं है। इसलिये कि जैसा आपने कहा आपको इस बात का अधिकार है कि आप अनुरोध कर सकते हैं गवर्नमेंट आफ इंडिया से, मान लीजिये हम अनुरोध कर सकते हैं लेकिन जहां तक इमीडियेट इश्यू है वह अनुरोध आपके लिये सहायक नहीं हो सकता है।

श्री राधेश्याम शर्मा—

यह तो मान लीजिये कि परिपूर्ण नहीं है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नवलकिशोर—]

मान्यवर, दुनिया में कोई परियूर्ज नहीं होता। वस्तु स्थिति के अनुसार कानून पास किया जाता है जो हमेशा के लिये व्यापक नहीं हो सकता।

श्री संतसिंह यूसुफ—

म्योर मिल में पोजीशन यह है कि वर्कर्स का जो प्राविडेंट फंड का पैसा काटा जाता है वह करीब २६ लाख के हैं जिसको मालिकान ने जमा नहीं किया और इसी तरह उन के इंश्योरेंस का भी पैसा है। अब जब आप विक्टोरिया मिल का टेक ओवर करते हैं तो मजदूर जब काम छोड़ते हैं तो उसकी ग्रेचुएटी और प्रोविडेंट फंड मिल जाता है। अब अगर टेक ओवर करेंगे तो उसका प्रोविडेंट फंड खटाई में पड़ जायगा, उसकी ग्रेचुटी भी खटाई में पड़ जायेगी। जो उसका कम्य: हुआ पैसा है वह सब खटाई में जायगा।

श्री नवलकिशोर—

माननीय यूसुफ साहब ने जो बताया मैं उनकी बातें समझ गया। खटाई में जाने का सवाल नहीं है। पेमेन्ट होगा लेकिन देर से होगा। एक बात पूछना चाहता हूं, आज दो स्थिति है, एक तो विक्टोरिया मिल बन्द पड़ी है और एक डैड लाक पड़ा हुआ है, मजदूरों का पिछला पैसा भी जाय और मौजूदा भी न मिले, क्या यह उचित होगा? दूसरी वह स्थिति है कि कारखाना चला दें और मजदूरों का मौजूदा पेमेन्ट होता रहे और पीछे का भी धीरे-धीरे होता रहे। तो मेरी राय में यह ज्यादा अच्छा आलटरनेटिव है।

मैं यह कह रहा था कि माननीय राधेश्याम जी के हिसाब से उस का नेशनलाइजेशन कर देना चाहिये। मैं कहना चाहता हूं कि सिद्धान्ततः मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कारखानों को नेशनेलाइज किया जाय। लेकिन एक बात आप जानते हैं और यूसुफ साहब भी जानते है कि हमने अपने विधान में यह रखा है कि हम जिस चीज का राष्ट्रीयकरण करेंगे उन को उसका मुआवजा भी देंगे। और मेरी निश्चित राय है कि आज की वर्तमान स्थिति में पब्लिक सेक्टर का डेवलपमेंट करने के लिये इतनी गुजायश है कि सरकार के पास पैसा हो तो नये-नये कारखानों को पब्लिक सेक्टर में खोला जाय और ऐसी स्थिति में पुराने कारखानों में सरकार को इंवेस्टमेंट नहीं करना चाहिये। लेकिन जैसा मैंने कहा सिद्धान्ततः मुझे इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है। (व्यवधान) संतसिंह यूसुफ जी कहते हैं कि नीलाम कर दो। इसके लिये उस फैक्टरी को लिकुइंडेशन में आना होगा और वह लम्बा प्रोसेस होगा, २४ घंटे में नीलाम नहीं हो सकता।

समाजवाद की बात बहुत कही गयी। बावजूद उनकी टीका टिप्पणी के मैं यह अर्ज करूंगा कि कांग्रेस पार्टी एक दम से नहीं, आहिस्ता-आहिस्ता समाजवादी की ओर बढ़ने की चेष्टा कर रही है। राधेश्याम जी माफ करेंगे वह इस हालत को महसूस करते होंगे कि जो हालत नेशलिस्ट सोशलिस्ट पार्टी की जर्मनी में थी, उसकी गलत नीतियों से नाजिज्म और फासिज्म पैदा हुआ। मुझे डर है कि राधेश्याम और उनकी पार्टी की गलत नीतियों से कैपिटलिज्म तो खत्म नहीं होगा लेकिन हो सकता है कि हिन्दुस्तान में नाजिज्म और फासिज्म आ जाय। हमारी एक बदकिस्मती है कि हम अपनी मोटर में बैठ कर जायं तो वह पूंजीपति की मोटर है और राधेश्याम जी अथवा डाक्टर राममनोहर लोहिया किसी पूंजीपति की मोटर में जायं तो वह सोशलिस्ट मोटर हो जाती है। इससे काम बनता नहीं है।

चन्दे की बात बहुत जोर से कही गयी। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि कोई भी पार्टी हो इस देश के अन्दर सबको चन्दा इकट्ठा करना पड़ता है अमीर से और गरीब से। राधेश्याम जी के यहां कोई पेड़ नहीं है जिससे रुपया टपकता हो। उनको भी चन्दा वसूल करना पड़ता है। बेहतर यह है कि वह और हम बैठ कर तय कर लें कि उनके यहां चन्दा कहां से आता है। कामन लोग है। वही कम्युनिस्ट, कांग्रेस तथा सोशलिस्ट सबको चन्दा देते है।

श्री राधेश्याम शर्मा—

आपकी पार्टी को रिपोर्ट छपी है कि सोशलिस्ट पार्टी को ७४६ रु० और कांग्रेस पार्टी को ३० लाख रुपये मिले ।

श्री नवलकिशोर—

एक बात मैं यह अर्ज कर दूं कि जब कोई कारखाना बन्द होता है तो यह मांग होती है कि इसका मैनेजमेंट टेक ओवर कर लिया जाय । यह बिल जो है न राष्ट्रीयकरण की बात कहता है, न इसका यह दावा है कि इससे देश व प्रदेश की रोजगारी दूर हो जायगी, एक प्रयास है कि बेरोजगारी को बढ़ने न दें। उत्तर प्रदेश औद्योगिक धंधों में बहुत पिछड़ा हुआ है । अगर कारखाने खुलते जायं और पुराने बन्द होते जायं तो उससे औद्योगीकरण की मसला हल होने का नहीं है । नीति यह होनी चाहिये कि नये कारखाने भी खुलें और पुराने मरने न दें । कदम उठाया है वह आदेश नहीं है केवल एक छोटा सा प्रयास है क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति बहुत सीमित है ।

मुझे इस बात में भी कोई परेशानी नहीं है कि अगर हमारे पास पैसा हो तो जिन मजदूरों की मजदूरी या बोनस या प्राविडेंड फंड बाकी है उनको अगर दे सकें तो दें । लेकिन कुछ भी न दें सकें उसके मुकाबले में थोड़ा-थोड़ा देते हैं और पिछला भी धीरे-धीरे निपटाते हैं तो यह एक अच्छा कदम है । इसलिये जिन जबात के अन्दर राधेश्याम जी ने स्पीच दी वह चाहे उनकी पार्टी के लिहाज से ठीक हों लेकिन इस विधेयक से उनका कोई संबंध नहीं है । सीमित इरादे से यह विधेयक पेश किया गया है और राधेश्याम जी को यह बात माननीय पड़ेगी, क्या वह कोई ऐसी बात बतायेंगे कि राजा महाराजे और जमींदारी के खात्मे के बाद, बल्कि यों कहिये कि आजादी के बाद हमने जो कदम बढ़ाये वह उनके बड़े-बड़े दोस्तों को भी पसन्द आये और राधेश्याम जी को भी दिल में पसन्द आते हैं । यह निश्चित है कि चाहे मंजिल दूर हो लेकिन हमारे कदम निश्चित है, मजबूत हैं । गरीबों को इससे इतना फायदा जरूर होगा कि सरकार थोड़े पैसे से कारखाना चला सकेगी ।

श्री राधेश्याम शर्मा—

टीप टाप कर रहे हो, इससे कोई भला नहीं होगा ।

श्री नवलकिशोर—

कभी-कभी अगर टीप टाप भी हो तो उससे आपके आंसू पूंछ जाते हैं ।

श्री राधेश्याम शर्मा—

मेरे आंसू नहीं, मजदूरों का इससे कोई भला नहीं होगा ।

श्री नवलकिशोर—

राधेश्याम जी की इस बात से मैं इतफाक नहीं करता हूं कि चाहे क्रान्तिकारी नारों से संतुष्टि होती हो या नहीं, उनसे मजदूरों की भलाई होती है ।

एक बात और मेरे एक आध दोस्तों ने कही कि चार साल के बाद उसको अच्छी बना कर मिल मालिक को हैंडओवर कर देंगे । यह बात इससे कबर हो जाती है कि कभी-कभी मिसमैनेजमेंट एक कारण होता है लेकिन कभी-कभी बावजूद अच्छा मैनेजमेंट के पैसे की कमी के कारण या स्टाक इकट्ठा हो जाने के कारण भी कारखाना बन्द करना पड़ता है । तो यही मानना कि हमेशा डिफाल्टर होने से ही यह बात होगी सही नहीं होगा । तो अगर हम इन्तजाम अच्छा करके चला दें फिर उसे कोई भी चलाये यह बिल्कुल इम्मेटोरियल है । हां, कभी अगर विधान में यह बात हुई कि बिना मुआविजा के ले लें, जिसका अभी कांग्रेस का कोई इरादा नहीं है तो स्थिति दूसरी हो जायगी। लेकिन जबतक संविधान के अनुसार मुआवजा देना होगा तब तक तमाम कठिनाइयों के होते हुये भी यह निर्णयक प्रैक्टिकल है ।

श्री संतसिंह यूसुफ---

अगर किसी ने एक करोड़ रुपया लगाया और उससे दस करोड़ रुपया कमा चुका है तो फिर मुआविजा देने का सवाल ही नहीं उठता ।

श्री नवलकिशोर---

यूसुफजी और मेरा और मेरी पार्टी का एक बुनियादी एख्तलाफ है क्योंकि हमारे संविधान में यह है कि सरकार उसका असेसमेंट करेंगी कि उसकी कीमत कितनी होगी । यह तो हो सकता है कि पांच करोड़ की कीमत हो तो हम यह हिसाब लगा लें कि इतना रुपया कमा तो चुका है दो करोड़ ही दें, लेकिन कुछ भी न दें ऐसी बात अभी हमारे संविधान में नहीं है। मौजूदा स्थिति में मंत्री जी ने जो विधेयक पेश किया है यह केवल बन्द कारखाने को चलाने के लिये है ताकि हमारे मजदूर भाइयों को तकलीफ न हो और उत्पादन कम न हो । तो समाज की दृष्टि से, मजदूर की दृष्टि से और मिल मालिक की दृष्टि से भी यह बहुत लाभदायक विधेयक है और मैं इसका समर्थन करता हूं ।

श्री ए० सी० ग्राइस (नामनिर्देशित आंग्ल भारतीय)---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री को बहुत कांग्रेचुलेट करना चाहता हूं जो वह इतना अच्छा बिल लाये । यह बिल बहुत पहले आना चाहिये था। बहुत सी मिलें बन्द हो चुकी हैं । लेकिन यह बिल प्रिवेन्टिव है, क्यूरेटिव नहीं है । जितना भी करप्शन और मिसमैनेजमेंट हो चुका है यह होता ही रहेगा । जो हमारे हिन्दुस्तानी भाई मिल चलाते हैं वे इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं हैं उनको रुपया जल्दी बनाना है, वे कैपिटलिस्ट हैं । उसके लिये थोड़ा सा मंत्री जी एड कर दें तो प्रिवेंटिव हो जायेगा, वह इसको सोच लें । क्या होता है कि मशीनरी की रिपेयर नहीं होती है । मैनेजमेंट और मजदूर दोनों का किस्सा है । मैं ३० साल मिल में रह चुका हूं और मैं जानता कि मिसमैनेजमेंट की वजह से और इन यूनियनों की वजह से मजदूरों को कितनी तकलीफ होती है । यूनियन वाले मजदूरों से कहते है कि तुम लोग मिलों और कारखानों की मशीनों को तोड़ डालो । इसलिये मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी २, ३ चीजें इसमें डाल दें । एक तो सब से बड़ी चीज यह है कि हर पांच साल में कम से कम एक बार मिलों का इंसपैक्शन होना चाहिये । यह बहुत जरूरी है ।

मंत्री जी मुझे माफ करेंगे । आप लोगों को मालूम होगा कि विक्टोरिया मिल, कानपुर में क्या हुआ था ? उसमें ३०० जैकोस्लोवाकिया के ३०० लूम्स आये थे वे लूम्स आटोमैटिक थे । उनके चलाने के लिये जरूरत थी कि फर्स्ट क्लास यार्न लगाया जाये । इसके बिना ये लूम्स नहीं चल सकते हैं । इसलिये इस मिल वाले उन औटोमेटिक लूम्स को नहीं चला पाये क्योंकि जब तक सेंट परसेंट प्योर काटन का यार्न न डालें तब तक वे चल नहीं सकते । सेंट परसेंट प्योर काटन यार्न वे लोग इस लिये लगाते हैं कि उससे प्राफिट कम होता है । आपने श्रीवास्तव साहब से जो फैक्ट्री ली है उनसे अच्छी तरह से आप नहीं चला सकते हैं । वह बहुत होशियार हैं । उनसे गलती हो सकती है, भूल हो सकती है तो आपके आफिसर्स से भी भूल हो सकती है । इसलिये मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी कुछ ऐसी व्यवस्था जरूर कर दें कि फैक्टरीज का हर पांचवें साल इंसपैक्शन हुआ करे । दूसरी तरफ यह भी है कि मिसमैनेजमेंट और गलत लीडर-शिप भी न हो ।

जैसे पहले लेबर कमेटीज थी उसी तरह की लेबर कमेटी बनाई जायें और वे मैनेजमेंट के साथ मिलकर सब चीजों को तय कर दिया करें । छोटी-छोटी बातें मजदूर और मालिकों के बीच की वे तय कर दिया करें । वरना यह होता है कि एक छोटी सी बात पर ही मिल बन्द हो जाती है । जैसा कि एलगिन मिल नम्बर २ में हुआ है । हमारे ख्याल से वह कभी भी बन्द नहीं होनी चाहिये थी । जब तक आपने कदम नहीं उठाया तब तक वह बन्द रही । क्यूरेटिव मेजर्स से काम नहीं चलेगा । प्रिवेंटिव मेजर्स होने चाहिये । जब तक मिल मालिक सोचेंगे कि उनकी सरकार आ जायगी एक दो करोड़ रुपया लगाकर वह चलायेगी और १-२ साल चल कर वह फिर हमारे पास वापस आ जायगी । आप इसे सोचिये और रोकिये ।

*श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक के लिये अपने श्रममंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने श्रमिकों के लिये, गरीबों के लिये यह विधेयक इस आदरणीय सदन में प्रस्तुत किया है और इस विधेयक पर विचार के समय, क्योंकि यह मजदूरों का विधेयक है अफसोस, आज मजदूरों के ठेकेदार केवल ७ व्यक्ति इस समय सदन में मौजूद हैं। इससे पता लगता है कि इस बिल में उनकी कितनी श्रद्धा है और मजदूरों के प्रति उनका कितना स्नेह है और प्रेम है। उन मजदूरों की बेकारी गरीबी दूर करने के लिये यह विधेयक आदरणीय सदन में प्रस्तुत किया गया है इसलिये यह हालत है, लेकिन यदि फर्मादारों के हित का कोई ऐसा विधेयक होता जिससे उनकी कोई प्रतिष्ठा बढ़ती होती तो विरोध पक्ष के सारे लोग, सारे राजा, महाराजा यहां मौजूद रहते, जो अपने को समाजवादी कहते हैं। लेकिन आज इस बिल पर उधर से कोई बोलने वाला नहीं है और आज भी इस पर बहुमत दल के महारथी बोल रहे हैं और वही उसकी खामियां बता रहे हैं।

मैं श्री राधेश्याम जी से पूछना चाहता हूं कि क्या यही समाजवाद है? आप अभी उनसे बात कर रहे थे, जिसका सारा जीवन देश में समाजवाद लाने में गया है। आपने राम मनोहर लोहिया और नेहरू और जाने किसका किसका नाम ले डाला, हालांकि इस बिल से उनका कोई संबंध नहीं, फिर भी असम्बद्ध रूप से अपनी पार्टी का नाम बीच में डालने के लिये आपने यह कह डाला क्योंकि चुनाव भी नजदीक हैं। आज मैं कहता हूं कि किसी का विश्वास कर लो, कम्युनिस्ट और जनसंघ का विश्वास कर लो, लेकिन समाजवादियों का विश्वास न करो उनकी बेकार की बातों में न आओ, वह सब सरमायेदारों के ठेकेदार हैं। आज इनके कुल ३ सदस्य नजर आ रहे हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत कम सदस्य हैं, तिस पर भी उनके दो हैं। जनसंघ के भी ३ सदस्य हैं। यह सारे समाजवाद के ठेकेदार किसान मजदूरों के शुभचिन्तक अपने को कहते हैं। किसान-मजदूर के हित में यह सरकार जितनी उदारता से और प्रेम से काम कर रही है उतना ही आप लोग अपने मन में इनके प्रति घृणा रखते हैं। आपके दिखाने के दांत दूसरे हैं और खाने के दूसरे हैं। जहां तक मैं समझ पाया हूं इस बिल का अभिप्राय यह है कि जो मिलें बन्द हो जायं, उन्हें अपने अधिकार में लेकर सरकार चलाये, जिससे मजदूर बेकार न हों, उन्हें रोजी मिले और उत्पादन की कोई क्षति न हो।

मंत्री जी कितने सहनशील हैं कि उन्हीं के सदस्य उनकी आलोचना करते हैं और वे सुनते हैं और उनको बताते हैं कि यह कमी है। तो मैं माननीय मंत्री जी से पहले निवेदन यह करता हूं कि मिल मालिकों को जो सहायता दी जाती है वह कैश में न हो। यही सबसे बड़ी भूल की गयी है। उनको सहायता मिल और मशीन के रूप में दी जाती जिससे वे रुपया लेकर दूसरे प्रदेश में न लगाते। सरकार को इस संबंध में जरूर कुछ करना चाहिये। दूसरी बात यह है कि अगर हम पैसा लगावें और कारखाना चलावें और जब चलने लगे तब फिर उसी मिलमालिक को न दें दें कि वह चलायें और अगर दें तो फिर उसे बाध्य करें कि उसे फिर चलाना ही पड़ेगा।

श्री राधेश्याम शर्मा---

अब हरीसिंह जी खूब समझ गये हो, मंत्री जी को समझा दो।

श्री हरीसिंह---

मंत्री जी तुम जैसे समाजवादियों को दसों वर्ष तक समाजवाद पढ़ा सकते हैं। तुम अब न मजदूरों के हिमायती हो न किसानों के। आप सरमायेदारों के एजेन्ट हैं। जनता आपको समझ गयी है। अब आप आनेवाले हैं नहीं, दो तीन महीने रह गये हैं अपने घर का काम काज देखो; यहां अब आप आनेवाले नहीं हो और न आपकी पार्टी ही आ रही है। खैर, मैं जानता हूं कि मंत्री

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हरीसिंह]

जो इस विधेयक में पूर्ण दिलचस्पी रखते हैं और मजदूरों के प्रति श्रद्धा रखते हैं इसलिये मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि वे मेरे सुझावों के प्रति विचार करेंगे। मैं विरोधी दल के नेताओं से कहता हूं कि तुममें हिम्मत नहीं है, तुमने कोई सुझाव नहीं दिया सिवाय विरोध करने के; हम कांग्रेसी ही इस तरह के सुझाव सरकार को दे सकते हैं। ये विरोधी दल के जो लोग, श्रीमन्, न समाजवादी हैं और न किसान मजदूरों के हिमायती हो और उन लीडरों का बेकार नाम लेते हो जो हवाई जहाज में चलते हैं। इसलिये मैं कहता हूं कि अगर आप समाजवादी होते तो यहां इस पर बोलने के लिये रहते। अन्त में मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि सदन इसे पारित करेगा।

*श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमन्, यह जो बिल मंत्री जी ने बेरोजगारों का भक्त बनकर रखा है उसको मैं देख रहा था और मैं विशेष ध्यान से हरीसिंह जी की बात सुन रहा था। उनकी खासियत यह है कि वे न तो जनसंघियों को कुछ कहते हैं और न कम्युनिस्टों को, अगर उनका हमला होता है तो वह समाजवादियों पर ही होता है। वास्तव में कांग्रेसियों को अगर कुछ डर है तो इन समाजवादियों से ही है। यह उनको खटकते हैं। अगर उनको खटकते नहीं तो जब प्रजा समाजवादी हम में मिल रहे थे, हमारा मुख्य विरोधी दल असेम्बली में बन रहा था और हम ६२ हो रहे थे उस समय उन्होंने अड़ंगा क्यों डाला। उन्होंने समझा कि आचार संहिता जहन्नुम में जाय, किसी न किसी तरीके से इन २५ विधायकों को तोड़ लो तभी हमारी जान बचेगी और तभी समाजवादी दल मुख्य विरोधी दल नहीं बन पायेगा। इसके लिये उन्होंने क्या क्या प्रलोभन दिये इसको आप देखें।

अभी मैंने सुना है कि एक माननीय सदस्य को कार दी जा रही है और दो अंगरक्षक दिये जा रहे हैं। न तो वे मंत्री हैं और न उपमंत्री, लेकिन उनको अंगरक्षक और कार दी जा रही है। आप दो रखें अथवा चार, आपके अंग की रक्षा नहीं हो सकेगी। आप मजदूरों के नाम में यह बिल ला रहे हैं और इससे करोड़पति को अरबपति बनाने वाले हैं। बनारसी जी महाराज, मैं आप से पूछना चाहता हूं कि अगर आपने बेरोजगारी को मिटाने के लिये कोई प्रयत्न किया होता, आप में अगर उनके लिये दया होती तो हापुड़, आगरा और लखनऊ की मिलें जो कई कई साल से बन्द पड़ी हैं, वह आज तक बन्द न रहतीं। वहां मजदूर भूखा मर रहा है और आप कुंभकरण की नींद सो रहे हैं। अब तो चुनाव का समय आ गया है उस समय आप इस बिल को लेकर आये हैं। थोड़े तो हम हैं ही। कहां ३४ और कहां २७० अब हमको कहना पड़ेगा कि ये २७० कांग्रेसी सदस्य काले अंग्रेज हैं। माननीय मंत्री जी आप ही बतलावें कि क्या यही कांग्रेस है?

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप विधेयक की बात करें।

श्री लखीसिंह—

अगर बेरोजगारी हटानी है तो आप हर जिले में रोजगार वाले दफ्तर में चलें। रोजगार दफ्तर में तीन तीन साल तक नाम लिखा रहता है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। वहां डबल भ्रष्टाचार चलता है और उस रोजगार दफ्तर में जब अच्छी तरह से सजा हो जाती है तब कहीं जाकर किसी गरीब का नाम रोजगार के लिये या किसी नौकरी के लिये सूची में चढ़ाया जाता है। इस संबंध में माननीय चन्द्रबली सिंह ने एक सुझाव दिया है, आप उस सुझाव के ऊपर चलें। समाजवादी पार्टी पहले से कहती है और उसका नारा है कि "या तो काम दो या बेकारी का दाम दो", "जो कमायेगा वह खायेगा, और लूटा जायगा"। यह सोशलिस्ट पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो इस सरकार से और दिल्ली की सरकार से टक्कर लेती है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय लखीसिंह जी, आप विधेयक के बारे में बात कीजिये।

श्री लखीसिंह—

जब श्री हरीसिंह माननीय राधेश्याम जी का नाम लेकर बार-बार कहते रहे तो आपने उनको एक बार भी नहीं टोका, अब जरा मुझे भी तो थोड़ी सी बात कह लेने दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

विधेयक के बारे में आप बोलें।

श्री लखीसिंह—

बिल के बारे में ही कह रहा हूं। ओमन् आप तो कांग्रेस से आये हैं, अगर आप कांग्रेस से न आये होते तो मैं साफ कहता हूं कि चौबीसों घंटे जो झूठ बोले वह डबल कांग्रेसी है।

श्री उपाध्यक्ष—

इसका इस विधेयक से क्या ताल्लुक है? गाली-गलौज से क्या फायदा है?

श्री लखीसिंह—

अगर आप इसे गाली गलौज समझते हैं तो इससे पहले सैकड़ों गालियां श्री हरी सिंह ने हमें, हमारी पार्टी को तथा डाक्टर लोहिया तक को दी है। उस समय तो उनको आपने जरा भी नहीं रोका। अध्यक्ष की कुर्सी पर जब आप बैठें हैं तो उनको फौरन ही आपको टोकना चाहिये था। पहले आप श्री हरीसिंह को रोकते, फिर मुझे रोकते। लेकिन, आपने ऐसा नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—

जो कुछ उन्होंने कहा था वह इस विधेयक पर बोलते हुये कहा था, लेकिन आप तो उस पर कुछ कहते ही नहीं।

श्री लखीसिंह—

मैं कोई गाली तो नहीं दे रहा हूं, मैं तो कहता हूं कि सच्ची बात यह है कि अगर आपको बेरोजगारी का दर्द होता तो क्यों बेचारे छोटे सरकारी कर्मचारियों को अपनी कलम बन्द करनी पड़ती? आप ३० हजार उन छोटे चपरासियों और छोटे कर्मचारियों की छंटनी करने का विचार कर रहे हैं, क्या यह बेरोजगारी को मिटाने की बात है? आज हापुड़ के जो मिल मालिक हैं वे कांग्रेस के नजदीक हैं, आगरा के जो मिल मालिक है वे इस कांग्रेस के नजदीक हैं,उन्हीं के खजाने को सबसे अधिक फायदा आप देने जा रहे हैं। उनको जो कर्जा दिया जाता है उसको वे हड़प जाते हैं, गरीबों को मजदूरों को आप कर्जा देते ही नहीं हैं, फिर बेरोजगारी कैसे मिट जायगी? अगर बेरोजगारी मिटानी होती तो सब के लिये, छोटे-छोटे उद्योग धंधे के लिये आप कर्जा देते। उनके पास कोई जमीन तो है नहीं। श्री हरी सिंह जैसे उनके कुछ एजेन्ट यहां आ गये हैं। एक एजेंट हरीसिंह, है, एक उधर से बोलते हैं कृष्णानन्द राय। बैजनाथसिंह जो तो खैर नहीं हैं, हरीसिंह जरूर हैं, चूंकि हरीसिंह ठेका लेते हैं मजदूरों का। मजदूरों की बात क्यों करते हो। खेतिहर मजदूरों का भी बिल लाओ, उनकी भी कभी बेरोजगारी देखी?

श्री हरीसिंह—

यह कौन से किसान मजदूरों की बात करते हैं? यह कुछ नहीं जानते.....

श्री लखीसिंह—

मैं अंग्रेज से नहीं डरा, इस तरह से नहीं डरने वाला हूं। आस्तीन चढ़ाकर मुझे डराना चाहते हैं। मैं गरीबों और मजदूरों को दुश्मन कांग्रेस से डरने वाला नहीं हूं। हां, तब डरता था जब वह गरीब मजदूरों पर ऐसे जलते थे जैसे पतंगा दीपक पर जलता है। आज ये बन्दर घुड़की देकर उधर खड़े होकर हमें डराना चाहते हैं। यह जो समाजवादी पार्टी है वह किसानों के मजदूरों के लिये लड़ती है और १२ जुलाई को उत्तर प्रदेश बन्द करके दिखला दिया कि मजदूर और किसान पार्टी के साथ हैं। कहीं सभा करके देखो। आज तो कलेक्टर को लेकर, तहसीलदार को साथ लेकर चलोगे।

श्री हरीसिंह—

आप तो रईस हैं, सरमायेदार हैं।

श्री लखीसिंह—

आप बोलते रहे और मैं चुप बैठा रहा। अगर मंत्री जी वाकई में चाहते हैं कि बेरोजगारी दूर हो तो उसे बेरोजगारी का भत्ता दो और लोगों को वक्त पर काम दो। यह आपने प्रतिज्ञा की है कि प्रदेश में कोई बेरोजगार नहीं रहेगा।

श्री हरीसिंह—

इस बिल के पन्ने गिने हैं कि कितने हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठिये।

श्री लखीसिंह—

यह नंगा नाच रहा है। इसे किसने एम० एल० ए० चुन दिया ? मैं उसके क्षेत्र में जाकर कहूंगा कि ऐसे नंगे नचकैयों को जो कि मजदूरों को गड्ढे में गिराने वाला है उसको एक वोट न दो। यह मानता नहीं तो क्या करूं ?

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठ जाइये।

श्री लखीसिंह—

यह पुराना पोप है, मैं इसे भी खूब जानता हूं। यह ऐसे ही विघ्न मचाया करता है।

श्री उपाध्यक्ष—

यहां की सभ्यता के अनुसार बोलिये।

श्री लखीसिंह—

मैं इस बिल का घोर विरोध करता हूं जिसको मंत्री जी लाये हैं और जो त्रिपाठी जी ने संशोधन रखा है कि इसको ३ महीने के लिये जनता में घुमाया जाय, राय ली जाय उस संशोधन का समर्थन करता हूं।

३ महीने के लिये इसे मंत्री जी वापस करें। रोजगार अगर देना है तो रोजगार दफ्तर से माननीय मंत्री जी लिस्ट मंगायें और लोगों को रोजगार दें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

अब आपका समय समाप्त ।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं । यह जो बिल सदन के सामने लाया गया है यह अपने किस्म का एक नया बिल है । अंग्रेजों के आने के बाद यहां काफी तरह तरह के कानून बने, और उनके जाने के बाद भी हमारी सरकार ने कई तरह के विधेयक पास किये, मगर वह जो बिल सदन के सामने आया है यह अपने किस्म का एक नया बिल है । हमें इस बात पर विचार करना होगा कि आखिर इस बिल को लाने की क्यों जरूरत हुई ? मान्यवर, हमने देखा कि मिल मालिक तरह तरह के हथकन्डों को अपनाते हैं और फायदा उठाते हैं जब कि मजदूरों को बड़ा नुकसान पहुंचता है । इनके कारण हमारे यहां के पुराने उद्योग धंधे भी खत्म होते जा रहे हैं । कानपुर में अक्सर सुनते हैं कि कई हजार मजदूर बेकार हो गये हैं । यह सारी समस्या सरकार के सामने थी । सरकार ने उन बातों को अच्छी तरह से विचार किया और विचार करने के बाद मजदूरों के हित में यह विधेयक यहां लायी है । इस सरकार का एक ही उद्देश्य है और वह है समाज कल्याण यानी जनता का उत्थान । जनता के हित के लिये ही यह सरकार इस विधेयक को लायी है । हमारी सरकार ने जो सोशलिज्म का नारा लगाया है उसी को ध्यान में रख कर सरकार यह बिल लायी है जिससे पूंजीपतियों के चंगुल से मजदूर वर्ग बचाया जा सके । वे लोग जो समाज की दुहाई देते हैं और सोशलिज्म की दुहाई देते हैं वे इसका विरोध कर रहे हैं, परन्तु उन्होंने भी परोक्ष रूप से इसका समर्थन किया है । यह जो संशोधन रखा गया है कि यह प्रवर समिति के सामने रक्खा जाय और इसमें लोगों की राय ली जाय, मैं पूछता हूं कि राय किसकी लेंगे ? जो जनता की राय का संचालन या प्रतिनिधित्व करते हैं वे तो यहां मौजूद हैं फिर सारी जनता में क्या घुमाया जायेगा ? अगर यह बिल इसी तरह सारी जनता में घुमाया जायेगा तो मैं समझता हूं कि इस संसद् के जीवन में यह पास नहीं हो सकता । जिन्होंने यह कहा है कि इससे प्रवर समिति में भेजा जाय मैं समझता हूं कि वे इस पर विचार करेंगे और इस बिल को सर्वसम्मति से पास करेंगे । मैं तो यह कहूंगा कि अगर विरोधी दल की इसमें आजमाइश है, जो यह कहते हैं कि हम मजदूरों की मदद करने वाले हैं, मगर सोशलिस्ट भाईयों ने ही इस बिल का विरोध कर इसके खिलाफ आवाज उठाई तो हम कह सकेंगे. . . .

(व्यवधान)

इस बिल में कोई भी ऐसी बात नहीं है जो कामगारों के हित में न हो । सब उनके फायदे की हैं । इस बिल में यह भी प्राविधान किया गया है कि जो कारखाने जिस किसी भी अभिप्राय से बन्द हो जाया करते हैं वे बन्द न हो सकें । मैं बनारसीदास जी को इसके लिये बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने पूंजीपतियों और वर्कर्स दोनों के हितों को सन्तुलित रूप से कायम रक्खा है । इसीलिये मैं सोचता हूं कि यह बिल जो विचाराधीन है यह विचार होकर जल्दी पास हो जाय तो अच्छा होगा ।

*श्री बसन्तसिंह (जिला बिजनौर)---

उपाध्यक्ष महोदय, जो वर्तमान बिल लाया गया है यह ठीक है कि किसी हद तक उससे मजदूरों को रोजगार मिलेगा । जो मिल बन्द हो जाती हैं आर्थिक दुरव्यवस्था के कारण सरकार उन्हें अगर सहायता देकर या अपने नियन्त्रण में लेकर चालू रखेगी तो उन मजदूरों को रोजगार मिलेगा जो उन मिलों के बन्द हो जाने से बेरोजगार हो जाते हैं । लेकिन इस बिल से खतरनाक हालत पैदा हो जायगी और मिल वालों को आर्थिक दुरव्यवस्था दिखाने के लिये एक गुंजाइश पैदा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री संतसिंह]

हो जायेगी और उससे एक तरह का करप्शन बढ़ेगा। अगर इस बिल में एक परिवर्तन किया जाय कि सरकार इस मिल को अपने नियन्त्रण में ले लेगी उसको फिर वापिस नहीं करेगी, सरकार ही चलायेगी तो मिल वालों पर कुछ प्रतिबन्ध होगा और वास्तविक कारणों से जब मिल की आर्थिक अवस्था गिरेगी, तभी इस प्रकार की बात सरकार सोचेगी। और मिल वालों को इस करप्शन को बढ़ाने का मौका न मिले लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते तो, जैसा कि आम तौर से देखा जाता है कि कुछ लोग तरह तरह के कर्जे अनेक विभागों से लेते हैं, फिर अपने को दिवालिया घोषित कराते हैं, उसके बाद अपनी संपत्ति को वापस लेने की दरख्वास्त देते हैं। इस प्रकार का करप्शन इस बिल के लाने से फैल जायगा। इसलिये मैं मंत्री जी से कहूंगा कि वह इस पर विचार करें।

मेरी दूसरी आपत्ति यह है कि इस बिल में लिखा गया है कि यह बिल मजदूरों को जो मिल बन्द हो जाने से बेकार हैं, उनको रोजगार दिलाने के लिये है। लेकिन मुख्यतः यह बात नहीं है। इस बिल को लाने का दूसरा कारण है, जो कि बताया जा चुका है। अगर माननीय मंत्री जी उसका नाम औद्योगिक सहायता का बिल रख देते, तो अच्छा होता क्योंकि इससे मजदूरों का इतना हित नहीं होगा जितना कि उद्योगपतियों का होगा। मजदूरों का हित इसमें गौण है, प्रधान नहीं है अगर माननीय मंत्री जी बेरोजगारी दूर करना चाहते थे तो सब बेरोजगारों की दूर करने की बात सोचते। मिलों में काम करने वाले मजदूरों का प्रतिशत तो बहुत ही कम है। गांवों में ८० प्रतिशत मजदूर है जो बेकार रहता है। कभी-कभी मुश्किल से उन लोगों को काम मिलता है वह भी २–३ महीने को मिलता है, उसमें भी पूरे समय के लिये नहीं मिल पाता। मिल के मजदूरों को ही मजदूर मानने का कारण तो पोलीटिकल है। पोलीटिकल स्थिति को मजबूत बनाने के लिये ही ऐसा किया जाता है। वास्तव में वह मजदूर जिसको रोटी भी नसीब नहीं होती है, वह तो कारखाने से दूर रहता है। अगर आप उन सबों की बेरोजगारी को खत्म करना चाहते थे तो एक व्यापक बिल लाना चाहिये था। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे एक ऐसा व्यापक बिल लायें जो समस्त प्रकार के मजदूरों का हित करने वाला हो। यह बिल बहुत सीमित है, इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक इस समय सदन के सामने है, यह मजदूरों की जीत को हार में बदलने वाला एक षड़यंत्र है और उस षड़यंत्र के कर्ता माननीय बनारसीदास यहां बैठे हुए हैं। हमारा समाज वर्गों में बटा हुआ है और पूरे मानव समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। हमारे देश में भी विदेशी सत्ता के समाप्त होने के बाद सत्ता का हस्तान्तरण भारत के पूंजीवादी वर्ग के हाथों में हुआ। हमारे देश कीमौजूदा कांग्रेसी सरकार ने स्वतन्त्र पूंजीवादी विकास का रास्ता पकड़ा। स्वतन्त्र पूंजीवादी विकास की सफल समाप्ति और उसके संचालन के लिये ही उसने तटस्थ और गुटनिरपेक्ष नीति का अनुसरण किया। पूंजीवादी विकास के २ अनिवार्य परिणाम होते हैं। एक परिणाम यह होता है कि कुछ थोड़े से मुट्ठी भर लोगों के हाथ में धन का संचय होते जाना, उनकी सम्पत्ति का दिनों दिन बढ़ते जाना और दूसरा परिणाम होता है अधिकांश संख्या में से जनता को दिनों दिन गरीबी की ओर ढकलते जाना। यही अनिवार्य परिणाम दुनिया में पूंजीवादी विकास के अन्य देशों में हुये हैं। इसी पथ को यहां की सरकार ने अपनाया है और उसके जो यह अनिवार्य परिणाम हैं वे प्रत्यक्ष अब दिखाई देने लगे हैं। एक करोड़ रुपया लगाकर एक पूंजीपति चलता है, काले बाजार द्वारा धन कमाकर, तमाम जायज और नाजायज तरीके इस्तेमाल कर के वह ३–४ साल के भीतर ३–४ करोड़ का मालिक बन जाता है। देश का सब से बड़ा आदमखोर है टाटा। आजादी के बाद सन् ४८ में उसकी पूंजी ४० करोड़ की थी। वह बढ़कर अब ३६० करोड़ रुपए हो गई है। मैं दूसरे अन्य पूंजीपतियों का नाम लेकर और उन के आंकड़े देकर आप का समय बरबाद करना नहीं चाहता, लेकिन आज असलियत यह है कि जो लाख रुपये का मालिक था वह करोड़ का बन गया और करोड़पति

गरीबों का खून चूस कर अरबपति बन गया और जो अरबी थे वह खरबपति बनने क स्वप्न देखते हैं। जिसको पूंजीवादी सुपर-मोनोपली कहते हैं वह पूंजीवाद यहां विकसित हो रहा है।....

श्री उपाध्यक्ष—

कुछ बिल के बारे में अब कहिये।

श्री झारखण्डेराय—

आप श्रीमन्, इस प्रस्तावित विधेयक को देखेंगे तो इस में एक षड़यंत्र है। इस सब का परिणाम यह है कि देश के २० पूंजीपति परिवार देश की सरकार के ऊपर पूरी तरह से हावी हैं और सूबे की यह सरकार केवल २१० पूंजीपति सामन्ती परिवारों के हाथों में नाच रही है। इस का परिणाम यह हुआ कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के बाद जितनी बेकारी इस सूबे में थी, वह दूसरी योजना के अन्त में दुगुनी हो गई है और अब तीसरी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति के बाद आज १ करोड़ २० लाख तो रजिस्टर्ड बेकार हैं और अनरजिस्टर्ड को कोई शुमार इस सरकार या केन्द्रीय सरकार के पास आज तक है ही नहीं। दूसरा पूंजीवादी नीति का अनिवार्य परिणाम जो सूबे में दिखाई देता है कि सूबे में बेकारी और गरीबी व्याप्त है। यह विधेयक कहा जाता है कि बेकारी दूर करने के लिये पेश किया गया है। जब कि यह कानपुर और अन्य स्थानों के पूंजीपतियों को अप्रत्यक्ष रूप से मदद करने का विधेयक है। अब तक के जितने ऐसे कानून हैं चाहे औद्योगिक झगड़ों का विधेयक हो, या यू० पी० शाप्स ऐक्ट हो या और औद्योगिक कानून हों जिनको मजदूरों और निम्नवर्ग के काम करने वालों ने बड़े संघर्ष के बाद बनवाया था उन सबको मिट्टी में मिलाने का प्रयत्न किया जा रहा है। लेकिन ऊपरी खोल में दिखाया गया है कि गरीबों और मजदूरों की बेरोजगारी दूर करने के लिये यह उपाय किया गया है।

कानपुर और दूसरे स्थानों के जो बड़े-बड़े पूंजीपति हैं वे अपने हिसाब की तीन प्रकार की बहियां रखते हैं। एक सरकार को दिखाने की, दूसरी शेयर होल्डर्स की और तीसरी होती है असली जिसे वे अपनी सेफ में बन्द रखते हैं और जिसमें काले धन और सफेद धन का सारा ब्योरा होता है। पहले प्रकार की बही को ही दिखाया जाता है जिससे टैक्स की चोरी छिपायी जा सके। ऐसे ही पूंजीपति रुपया कमा करके जब दिवालिया पीट देते हैं तो वे सरकार के जिम्मे पड़ते हैं। अगर हमारी सरकार को समाजवाद का नाम भी कायम रखना है तो यह चाहिए था कि उनकी मिलों को अपने हाथ में ले लेती और उनको संचालित करके मजदूरों का जो प्राविडैन्ट फंड और तनख्वाहों का जो रुपया है, जो उन्होंने जमा किया है उसको दिलाती। उस अदायगी के पश्चात् सरकार उन मिलों को अच्छी तरह से चलाती और तब उसका कुछ असर पड़ता और मजदूरों का गल घोटने की जो मिलमालिक कोशिश करते हैं, वे न कर पाते। इस बिल से जो बकाया होगा वह सरकार भी नहीं देगी, उनसे भी नहीं दिलायेगी। उसको डैफर यानी टालती जायगी, अनिश्चित काल के लिये। ऐसी स्थिति में मैं इस बिल का विरोध कर रहा हूं और चाहता हूं कि सरकार अगर इस बिल को जनमत के लिये घुमादे तो कुछ तो सरकार पर जनमत का दबाव पड़ेगा और झुक कर उसे पास न करेगी जिसको वह करने जा रही है। इसलिये यह एक षड़यंत्र है जिससे मजदूरों का पेट काटा जा रहा है और हमारे सूबे के पूंजीपतियों का और खासकर शुगर और सूती मिल मालिकों को इस बिल द्वारा लाभ पहुंचाया जा रहा है। इस समय इस बिल को लाने का एक और भी उद्देश्य है और वह यह है कि आने वाले चुनाव में १९६७ में रुपये की बहुत जरूरत है। रुपया वह चीज है जो संसार में सभी चीजें खरीद सकता है और कुछ भी खरीद सकता है। तो वे भी खरीदे जा रहे हैं। उसके लिये अभी कुछ दिन हुए माननीय चन्द्रभानु गुप्त जी को ४५ लाख की थैली भेंट हुयी है जिसमें १३ लाख केवल कानपुर के पूंजीपतियों द्वारा पेश किया गया है। यही वजह है कि उन पर १ करोड़

[श्री झारखण्डेराय]

५९ लाख रुपये का टैक्स माफ किया गया है। जिसमें अकेले रामरतन गुप्ता को ३२ लाख माफ किया गया था।

श्री उपाध्यक्ष—

इन बातों से इस बिल का कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री झारखण्डेराय—

श्रीमन्, है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बिल की जो धाराएं हैं, उनके बारे में ही अपनी बात कहिये ?

श्री झारखण्डेराय—

एक तरफ तो जनता का जो टैक्स है वह बाकी पड़ा हुआ है, वह वापस नहीं किया जाता है और दूसरी ओर. . . .

श्री उपाध्यक्ष—

यहां पर पूंजीपतियों से टैक्स लेने की बात का तो प्रश्न नहीं है। इस बिल में तो मजदूरों को मजदूरी दिलाने का प्रश्न है।

श्री झारखण्डेराय—

श्रीमन्, ऐसी बात नहीं है। सरकार की जो भावना है वह यह है कि बहुत दिनों तक वह छोड़ दिया जाता है और उसके बाद माफ कर दिया जाता है और उनसे चन्दा लेकर उनको खुश करने के लिये यह बिल आज पेश किया गया है ताकि उनको जो मजदूरों की मजदूरी है वह न देनी पड़े और सरकार भी सेवा देने की जिम्मेदार न हो। अतः मैं प्रार्थना करता हूं कि इस बिल को जनमत के लिये भेजा जाय और इससे पूंजीपतियों को खुश करने की कोशिश न की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

आप इधर उधर की बातों को छोड़ कर जो बिल के सम्बन्ध में कहना है, उसे ही कहिये।

श्री झारखण्डेराय—

म्योर मिल की व्यवस्था सरकार ने अपने हाथ में ली है। म्योर मिल पर जो मजदूरों का पैसा बाकी था क्या उसको सरकार ने दिया ? मंत्री जी जवाब दें इस का। क्या मिल मालिकों से दिलवाया ? या वह भी इसके अनुसार डेफर हो जायगा ? इसी प्रकार से विक्टोरिया मिल पर जो मजदूरों का प्रौवीडेन्ट फंड का पैसा जमा है उसको खा जाने के लिये तैयार हैं। क्या सरकार उसको भी देने के लिये तैयार है ? सीधी बात है इन आदमखोरों से हमें कोई सहानुभूति नहीं है। इस सरकार की नीति, इस का वर्ग चरित्र कुछ मुट्ठी भर लोगों को बढ़ावा देने का है, तरजीह देने का है, उन को हरप्रकार से सुविधा देने का है जिसका हम विरोध कर रहे हैं। इस बिल से बेकारी दूर नहीं होगी, न बेकारी एकेगी। बेकारी हमारे सूबे में ३१ लाख लोगों में हो गई है। इसलिये बेकारी के नाम पर यह एक षड्यंत्र है, पूंजीपतियों को मदद है और खास कर उन से और ज्यादा पैसा लेकर १९६७ के आम चुनाव में पैसे के बल पर हिन्दुस्तान से प्रजातंत्र को कत्ल करने की स्कीम है।

(श्री रामकिशोर त्रिपाठी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री धनारसीदास—

मुझे कहने दें तभी तो वह मेरी बात को सुन कर जवाब देंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

कायदा यह है कि आप ने इंट्रोड्यूस किया और उसके बाद में यह जवाब देंगे तब आप बोलियेगा। पूरी डिबेट का आप जवाब देंगे।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

श्रीमन्, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने मेरे संशोधन पर अपने विचार प्रकट किये और जो कमियां इस में रह गई हैं उन की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। इस संबंध में अगर यह कहा जाय कि यह विधेयक उस हाथी की तरह है जिसके खाने के दांत और हैं लेकिन दिखाने के दूसरे हैं तो गलत न होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि ऊपर अगर हेडिंग इसका देखा जाय तो पता चलेगा कि इससे एक बहुत बड़ा क्रान्तिकारी परिवर्तन लाने के लिये यह विधेयक लाया गया है जिस से बेरोजगारी दूर की जा सकेगी। इस के मूल में जो बात है उससे यह पता चलता है कि इस के बिलकुल विपरीत बात है। इस बिल को लाने का केवल एक उद्देश्य है। उन बड़े मिल मालिकों को पैसा देकर उन को संरक्षण प्रदान किया जाय और मजदूरों का जो पैसा है उस का शोषण हो। इस संबंध में माननीय मंत्री जी को एक मिसाल देना चाहता हूं कि आज जो भी इंडस्ट्रीज हमारे प्रदेश में चल रही हैं और बन्द होने की हालत में हैं उन की वह हालत है कि जिस प्रकार से एक अच्छे भले नीबू को काट कर उसका रस निकाल लिया हो और फिर फेंक दिया हो। आज उन मिलों की हालत यह है कि जिस प्रकार एक अच्छे भले गन्ने को काट कर चूस लिया हो और उसकी खोई को फेंक दिया हो। वही हालत आज हमारी इंडस्ट्रीज की है जो बन्द होने की हालत में हैं और इन पूंजीपतियों द्वारा जितना भी लाभ उठाया जा सकता था वह उठाने के बाद लाखों रुपया मजदूरों पर बकाया छोड़ कर दिवालिया हो बैठे हैं। उन्हीं को सहायता देने के लिये सरकार ने यह कदम उठाया। यदि करोड़ों रुपया सरकार खर्च करे और थोड़े दिन के लिये मजदूरों को भले ही रोजी मिल जाय लेकिन इस से कोई बड़ा क्रान्तिकारी परिवर्तन होने वाला है ऐसी बात मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं। इस संबंध में मैं सरकार से कहूंगा कि माननीय मंत्री जी को इस संबंध में उन मजदूरों को भी भागीदार बनाना होगा जो कि रात दिन परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, जिन के परिश्रम से ये मिलें इतने दिनों तक खड़ी रहीं, तो यह स्थिति आ सकती है कि जब आदमी किसी चीज को अपनी समझता है तो उसमें वह परिश्रम करता है और उसका जीवन बढ़ जाता है। उससे उत्पादन भी बढ़ सकता है। लिहाजा यह रूपरेखा बनायी जाय कि इसमें कुछ शेयर्स सरकार के, कुछ मजदूरों के तथा कुछ मिल मालिकों के हों।

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

प्रवर समिति को पेश करने का प्रस्ताव पेश किया गया है और प्रस्तावक महोदय उत्तर दे रहे हैं लेकिन अगर मिनिस्टर उसे मान लें तो फिर प्रस्तावक महोदय को कहने को क्या रह जायगा।

श्री उपाध्यक्ष—

सरकार को अन्तिम जवाब देने का मौका है।

श्री बनारसीदास—

यह प्रक्रिया नियमावली के विरुद्ध है। पहले सरकार की ओर से जवाब होता है। उसके बाद में प्रस्तावक को बोलना चाहिये।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

मैं यह कह रहा था कि मेरा यह निश्चित मत है कि श्रमिकों का शेयर इंडस्ट्रीज में होना चाहिये।

श्री कल्पनाथसिंह—

मेरा व्यवस्था का सवाल है। माननीय सदस्य वही बातें कह रहे हैं जो पहले कह चुके हैं। जो बहस में बातें कही जा चुकी हैं उन्हीं के जवाब में वह अपने को सीमित रखें।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य कोई नई बात नहीं कहेंगे। उन्हीं बातों का उत्तर देंगे जो कार्यवाही के दौरान कही जा चुकी हैं।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

इसके लिये आप कार्यवाही उठा कर देख लें। मैं इस बात पर जोर दे रहा था कि मजदूरों पर जब तक जिम्मेदारी नहीं डाली जायगी तब तक कोई क्रान्तिकारी परिवर्तन होने वाला नहीं है। इसलिये जो भी इंडस्ट्रीज सरकार की हैं उनमें शायद ही ऐसी कोई हो जिनमें लाभ होता हो। विगत १६, १७ वर्षों में कुछ औद्योगीकरण हुआ है, नये-नये कारखाने खुले हैं और श्रमिकों के बीच में बहुत सी गुत्थियां पैदा हुई हैं। उस सब को देखते हुए सरकार को एक नई नीति अपनानी होगी और इस पर विचार करने के लिये श्रमिकों में, जनता में इसे प्रसारित किया जाय और इस पर विचार करके एक नया विधेयक इस सदन में लाया जाय जिस पर यह सदन विचार करे ताकि सरकार और मजदूरों को लाभ हो सके और इंडस्ट्रियल डेवलमेंट हो सके।

श्री कमलासिंह यादव—

उपाध्यक्ष महोदय, सदन में हुई बातों को सुन कर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि सदन को बिलकुल अन्धकार में रखा गया है और इस प्रदेश के उत्पादन का सत्यनाश किया जा रहा है। माननीय बनारसीदास जी का शुरू के सेन्टेन्स में यह कहना था कि वह यह चाहते हैं कि मिलों को चला कर लोगों को रोटी व रोजगार दें। अगर उनका यही अभिप्राय है तब तो मुझे कोई भी संदेह नहीं होता और मैं अक्षरशः उनका समर्थन करता, लेकिन इसकी आड़ में शिकार करने की बात जब मैं देखता हूं तो उनकी बातों में विश्वास रह नहीं जाता। श्रीमन्, जितनी मिलें चलती हैं उनमें दो तरह का रिबेट लोगों को दिया जाता है। एक डेवलपमेंट रिबेट और दूसरा मेन्टेनेन्स रिबेट।

श्री बनारसीदास—

उपाध्यक्ष महोदय, रिबेट का इससे क्या वास्ता है? माननीय कमलासिंह का काम तो यह है कि डिबेट में जो बातें उनके विरुद्ध कही गयी हों उनका जवाब दें न कि एक दूसरी तकरीर यहां पर करें।

श्री कमलासिंह यादव—

यह ठीक है, लेकिन आपके कानपुर के जो मेम्बर हैं उन्होंने कुछ ऐसी बात कही है जिस पर मुझे विचार प्रकट करना जरूरी है। हां, तो मैं डेवलपमेंट और मेन्टेनेन्स के रिबेट की बात कह रहा था ....

श्री उपाध्यक्ष—

इसका इस बिल से तो कोई ताल्लुक है नहीं। यहां तो जो मिल बन्द हो जायगी उस को गवर्नमेन्ट अपने हाथ में ले या न ले इस बात से ताल्लुक है।

श्री कमलासिंह यादव—

मैं तो यह बता रहा हूं कि ये मिलें बन्द होती क्यों हैं? जो रिबेट मिलती है उसका सही उपयोग हो तो ये कभी न बन्द हों।

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो कोई बात नहीं है। कोई काम किया जाय उसमें सफलता भी मिल सकती है और असफलता भी ..

श्री बनारसीदास—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि कमलासिंह जी को उत्तर देने का अधिकार है उन बातों का जो उसके सेलेक्ट कमेटी में भेजने के तर्क के विरुद्ध कहा गया हों, मगर ये तो एक नयी तकरीर शुरू कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

आप जवाब दे रहे हैं, विरोध तो कर चुके। जवाब में उन्हीं बातों का उत्तर दीजिये जो कही गयी हैं।

श्री कमलासिंह यादव—

आप माननीय बनारसीदास के डिक्टेट पर तो चलेंगे नहीं। अभी आर्थर ग्राइस साहब ने कहा कि कोई मिल बन्द नहीं हो सकती यदि उसका मेन्टेनेन्स ठीक तरीके से हो और जो डेवलपमेंट का रिबेट मिलता है उसका ठीक तरह से उपयोग हो। साथ ही साथ उन्होंने विक्टोरिया मिल के बारे में यह कहा कि उसकी फिनिशिंग मशीन बहुत अच्छी है लेकिन फिनिशिंग के पहले जो काम होता है उससे संबंधित जो मशीनें हैं वह बहुत ही रद्दी हैं। नतीजा यह है कि जो उसके चलाने वाले हैं थापर साहब वह एक बहुत योग्य उद्योगपति होते हुये भी इस मिल को अच्छी तरह चला नहीं पाते हैं और रिबेट वगैरह का ठीक तरह से उपयोग नहीं कर पाते। इसलिये सरकार अगर ऐसी मिल को लेती है तो करोड़ों रुपया लगायेगी और ठीक से चला नहीं पायेगी। तो जो उनका कहना है वह ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर्स एक्सपर्ट्स ही नियुक्त होने चाहिये। वह आप के आई० ए० एस० आफिसर्स से ज्यादा अच्छी तरह से चला सकते हैं। अगर आई० ए० एस० को इसलिए रखना चाहते हैं कि जो रुपया मिल को सरकार ने दिया है या जो किसी मिल की इन्कम होती है, उस का उपयोग ठीक होता है या नहीं, इसकी वह देख भाल करे तब तो ठीक है, लेकिन जैसा कि माननीय ग्राइस साहब ने कहा यदि ऐसा किया जायेगा तो ज्यादा उचित नहीं होगा।

मान्यवर, मुझे दो चीजें कहनी हैं। एक तो जैसा कि माननीय ग्राइस साहब ने इम्प्लाइज के इंश्योरेंस के बारे में बताया है और दूसरी चीज मुझे प्रावीडेंट फंड के बारे में कहनी है। अगर कोई मिल बंद हो जायेगी तो आप उस को डेफर करेंगे तो नतीजा यह होगा कि यह फर्स्ट चार्ज होंगे लेकिन फिर भी इनका पेमेंट नहीं होगा। जब यह विधेयक लागू हो जायेगा और जो ऐक्ट में है, जिनका जिक्र किया गया है उनकी धारायें सस्पेंड हो जायेंगी। इसका नतीजा होगा कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट में या इंडस्ट्रियल ऐमप्लायमेंट ऐक्ट में या दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान के जो नियम हैं, उनके होतेहुये भी जिनका पैसा है उनकी अदायगी बंद हो जायेगी। वैसे फर्स्ट चार्ज हैं यह चीजें, लेकिन अदायगी नहीं हो पायेगी। मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं होगा। मैं चाहूंगा कि फर्स्ट चार्ज की जो चीजें हैं उनकी अदायगी के लिये कोई न कोई प्राविधान जरूर किया जाय, कोई न कोई क्लाज जरूर लाया जाये जिससे जिनका रुपया बाकी है उनकी अदायगी हो सके।

दूसरी चीज यह है कि बहुत सी मिलों को सरकार की ओर से ऋण दिया गया है लेकिन उनके ऊपर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। तो ऐसा कोई प्राविधान होना चाहिये कि सरकार का कंट्रोल हर मिल में हो और सरकार का कोई इंस्पेक्टर वहां रहे जो देखे कि सरकार का जो ऋण है उसका दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है। अगर किसीने दुरुपयोग किया है तो उसके खिलाफ अदालती कार्यवाही होनी चाहिये और उसका प्रासीक्यूशन होना चाहिये। अभी माननीय संतसिंह जी यूसुफ कह रहे थे और उनकी जानकारी है और सरकार को भी

[श्री कमलासिंह यादव]

मालूम है कि उसके रुपये का दुरुपयोग किया गया है फिर भी सरकार ने उस मिल मालिक का प्रासीक्यूशन नहीं कराया है। यदि किसी मिलमालिक ने जानबूझ कर कोई गलत काम किया है तो उसके लिए उसका प्रासीक्यूशन होना चाहिये। और यदि सरकार इसमें कुछ ढील दे और इसे किसी तरह मोड़े तो यह उचित नहीं होगा और मैं समझता हूं कि यह अन्यायपूर्ण कार्य होगा। इस बिल के पास हो जाने के बाद यह होगा कि सब मिल मालिक सरकार के आगे घुटने टेक देंगे और कहेंगे कि हमारी मिल आर्थिक कारणों से चलने वाली नहीं है, बन्द होने वाली है,आप हमारी सहायता कीजिए। नतीजा यह होगा कि बैंकरप्सी की ओर हम उनको ले जाएंगे। दिवालियापन के लिये उन को प्रेरणा मिलेगी। इससे जितने मजदूर हैं वह भी बेकार होंगे, इसलिए इस ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सरकार की ओर से इस तरह का इसमें कोई प्राविधान लाया जाए और जो मेन्डेलिटी हम पैदा करने जा रहे हैं वह खत्म हो जाए। एक चीज जैसा हरीसिंह जी ने कहा कोई भी मिल जो बन्द होगी उसको अपने हाथ में लेकर सरकार चलाएगी, तो सवाल यह होता है कि जब चलना शुरू कर दे तो उस वक्त मजदूरों का जिस कदर रुपया मिलों के ऊपर बाकी है उस रुपये की अदायगी होनी चाहिये या नहीं। तो इसके अन्दर ऐसी धारा अवश्य होनी चाहिए कि मजदूरों का जो मिल के ऊपर रुपया बाकी है वह उसके प्रारम्भ होने पर मजदूरों को दिया जाए। मैं यह नहीं कहता कि जब मिल चले तो एक दम से ही उनका सारा रुपया दे दिया जाए, इन्स्टालमेंट पर ही उनका पेमेन्ट कर दिया जाना चाहिये। यदि यह हो जाए तो मजदूरों की सही माने में भलाई हो सकती है।

जहां तक मिलों का सम्बन्ध है, हम रुपया लगाते हैं उनको चलाने के लिये तो उन पर जो हमारे ड्यूज बाकी हैं, उनके लिये यह जरूरी होगा कि जब तक राज्य सरकार का सारा कर्जा उससे अदा न हो जाए तब तक राज्य सरकार का कोई ऐसा प्रतिनिधि रहे जो यह देखे कि मिलों में जितनी आमदनी है उससे राज्य सरकार का सारा कर्जा अदा हो जाता है और जितना रुपया डेकर किया गया है उसकी अदायगी हो जाती है या नहीं। उस पर हमारा कन्ट्रोल रहना चाहिये जब तक राज्य सरकार का समाधान न हो जाए।

श्री बनारसीदास—

यह तो एक नई तकरीर कर रहे हैं किसी बात का समाधान नहीं कर रहे हैं। मुझे बड़ा अफसोस है कि जिन बातों को एक बार कहा जा चुका है उन्हीं को बार बार दोहराया जा रहा है, कोई नई बात सदन के सामने नहीं कही जा रही है। इससे सदन का समय व्यर्थ में नष्ट होता है। इन्होंने जो रीजन सेलेक्ट कमेटी में भेजने के बाबत दिये उन्हीं को दोहरा रहे हैं। जो बात किसी सदस्य ने कही है उनका जवाब इस समय इन्हें देना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

अच्छा, अब आप दो मिनट में समाप्त कर दें।

श्री कमलासिंह यादव—

अब मैं कल ही जवाब दे दूंगा। माननीय बनारसी दास जी जैसा आदेश देंगे उसके मुताबिक ही जवाब दे दूंगा। मैं समय कभी नहीं बर्बाद करता।

श्री उपाध्यक्ष—

तो ठीक है। आप कल ही जवाब दीजियेगा। अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
२ अगस्त, १९६६।

नस्थी 'क'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४१६ पर।]

१९६४–६५ तथा १९६५–६६ में घाघरा नदी पर रामपुर–घनौली, गांगेपुर और हाहा नाला पर अलग-अलग निर्मित बंडालों पर व्यय हुई धनराशि का ब्यौरा

स्थान	१९६४–६५	१९६५–६६	योग
	रु०	रु०	रु०
१—गांगेपुर ..	१,२३,९३०	१,९८,०२५	३,२१,९५५
२—रामपुर घनौली ..	५०,१५२	५३,४००	९३,५५२
३—हाहा नाला ..	८०,९१५	६,५९,३८२	७,४०,२९७

नत्थी 'ख'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४१९ पर।]

माह फरवरी व मार्च, १९६५ में वाराणसी ट्यूबवेल डिवीजन में विभिन्न अफसरों द्वारा बोर किये गये नलकूपों की संख्या व प्रत्येक नलकूप में लगे समय का विवरण निम्न प्रकार है :—

क्र० सं०	अधिकारी	नाम नलकूप	बोरिंग प्रारंभ होने की तिथि	लोअरिंग की तिथि	टिप्पणी
१—	अधिशासी अभियन्ता, नलकूप प्रखन्ड, वाराणसी	यू० पी० कालेज	१९-१-१९६५	२-२-१९६५	पुनः निर्माण
२—	,, ,, ,,	भंडेरा ..	३-२-६५	७-२-६५	,, ,,
३—	,, ,, ,,	पूरे ..	८-२-६५	१३-२-६५	नव निर्माण
४—	,, ,, ,,	वीरमपुर	१४-२-६५	१९-२-६५	,, ,,
५—	,, ,, ,,	सिरहरो नेवादा	२०-२-६५	२५-२-६५	,, ,,
६—	,, ,, ,,	जन्सा ..	२६-२-६५	३-३-६५	,, ,,
७—	,, ,, ,,	दामोदरपुर	४-३-६५	८-३-६५	,, ,,
८—	,, ,, ,,	आही ..	९-३-६५	१४-३-६५	,, ,,
९—	,, ,, ,,	नरायनपुर	१५-३-६५	२२-३-६५	,, ,,
१०—	,, ,, ,,	टिनकरवा	२३-३-६५	२७-३-६५	,, ,,

नत्थी 'ग'

[देखिये नियम ३६ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न १७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४२५ पर।]

चोलापुर ब्लाक, जिला वाराणसी

सन् १९६५-६६ में नहरों के चलने का विवरण खरीफ १३७३ फसली

महीने	रा० केरा-कत की टेल	चोलापुर माइनर	शिवपुर माइनर	रसड़ा माइनर	दान गंज माइनर
अप्रैल, ६५ ..	८	७	६	८	८
मई, ६५	८	९	९	८	८
जून, ६५ ..	१	१५	६	१	१
जुलाई, ६५	..	१३	६	..	..
अगस्त, ६५ ..	..	११	१०	..	..
सितम्बर, ६५	..	११	१०	..	..
अक्तूबर, ६५	..	..	..	..	..
योग ..	१७	६६	४७	१७	१७
रबी १३७३ फसली					
नवम्बर, ६५ ..	..	१३	१२	..	..
दिसम्बर, ६५ ..	१	६	६	१	१
जनवरी, ६६ ..	८	..	..	७	८
फरवरी, ६६ ..	..	३	३	..	..
मार्च, ६६ ..	..	..	..	..	..
योग ..	९	२२	२१	८	९

सादात ब्लाक, जिला गाजीपुर

नाम नहर	१३७३ फसली में कितने दिन चली	
	खरीफ	रबी
लालगंज रजबहे की टेल (मील ३७ से मील ४४ तक)	पानी नहीं पहुंचा	८ दिन पानी पहुंचा।

(ख) सिंचाई कर की वसूली का ब्योरा प्राप्य नहीं है। विभाग द्वारा लगाये गये महसूल के आंकड़े नीचे दिये हुये हैं :—

फसल			चोलापुर ब्लाक, जिला वाराणसी	सादात ब्लाक, जिला गाजीपुर
			रु०	रु०
खरीफ	१३७३	.. ..	५,१३३.७८	..
रबी	१३७३	.. ..	१,०२१.६२	१०५.९२
	योग	..	६,१५५.४०	१०५.९२

नत्थी 'घ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ४४० पर)

उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, १९६६

उत्तर प्रदेश अधि-नियम संख्या १६ १९६०

उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम, १९६० का आगे दिए हुए प्रयोजनों के निमित्त संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के सत्रहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) अधिनियम, १९६६ कहलायेगा।

उ० प्र० अधिनियम संख्या १६ १९६० की धारा १३ का प्रति-स्थापन

२—उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम, १९६० जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा १३ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्

"१३—(१) यदि धारा ११ के खण्ड (१) या धारा १२ के खण्ड (१) के अनुसार अपेक्षित संख्या में बोर्ड के सदस्य राज्य विधान मण्डल के सदस्यों द्वारा, ऐसे समय के भीतर जो नियत किया जाय, निर्वाचित न किये जायें तो इस कमी की पूर्ति, सुन्नी सेन्ट्रल बोर्ड की दशा में प्राविन्शियल मुस्लिम एजूकेशनल कांफ्रेन्स द्वारा, और शिया सेन्ट्रल बोर्ड की दशा में यू० पी० शिया कांफ्रेन्स (रजिस्टर्ड) की कार्यकारिणी समिति द्वारा, निर्वाचन कर के की जायगी।

कतिपय आकस्मिकताओं में राज्य सरकार का नाम-निर्देशन करने का अधिकार

(२) यदि इस धारा की उपधारा (१) में या धारा ११ के खण्ड (२) या खण्ड (३) में अथवा धारा १२ के खण्ड (२) या खण्ड (३) में उल्लिखित कोई निकाय—

(क) ऐसे समय के भीतर जो नियत किया जाय, अपेक्षित संख्या में बोर्ड के सदस्य निर्वाचित न कर पाये, या

(ख) उस समय जब उसके द्वारा निर्वाचन किया जाना हो राज्य सरकार की राय में—

(१) उचित रूप में संघटित न हो; या

(२) विद्यमान न हो,

तो इस कमी की पूर्ति राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्देशन करके की जायगी।

(३) यदि उपधारा (२) में अभिदिष्ट किसी निकाय के विद्यमान होने अथवा उचित रूप में संघटित होने के विषय में कोई प्रश्न उठे तो, केवल इस धारा के प्रयोजनों के लिए और उक्त निकायों या उनके सदस्यों अथवा पदाधिकारियों के किन्हीं अन्य अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसके सम्बन्ध में राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।"

धारा १५ का संशोधन

३—मूल अधिनियम की धारा १५ की उपधारा (१) में शब्द "बोर्ड के समस्त सदस्यों के निर्वाचन या आमेलन, जैसी भी दशा हो," के स्थान पर शब्द "अध्यक्ष से भिन्न समस्त सदस्यों के निर्वाचन, आमेलन या नाम निर्देशन, जैसी भी दशा हो", रख दिये जायें।

धारा २३ का संशोधन

४—मूल अधिनियम की धारा २३ में शब्द "निर्वाचित या आमेलित" के स्थान पर शब्द "निर्वाचित, आमेलित या नाम-निर्दिष्ट" रख दिये जायें।

धारा ३५ का संशोधन

५—मूल अधिनियम की धारा ३५ की उपधारा (१) के स्थान पर निम्न लिखित उपधारा रख दी जाय:—

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १, १९५१

"(१) यदि कोई वक्फ, १९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा ९९ के अधीन पुनर्वासन अनुदान के मद्धे कोई वार्षिक-वृद्धि पाने का हकदार हो, तो ऐसे वक्फ द्वारा धारा ३४ के अधीन देय अंशदान का भुगतान, उक्त वार्षिक-वृद्धि और उक्त अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अन्तर्गत जारी किये गये जमींदारी विनाश प्रतिकर बन्ध ऋण प्रमाण-पत्रों पर वक्फ को देय ब्याज के कुल योग के छः प्रतिशत तक, राज्य सरकार, बोर्ड के सचिव द्वारा नियत प्रपत्र में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये जाने पर, ऐसी वार्षिक-वृद्धि से कर सकती है"

धारा ४८ का प्रतिस्थापन

६—मूल अधिनियम की धारा ४८ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

वक्फ के मुतवल्ली का पद रिक्त होने पर बोर्ड के आपातिक अधिकार

"४८—धारा १९ की उपधारा (२) के खण्ड (ण) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड, यदि किसी वक्फ के मुतवल्ली का पद रिक्त हो—

(क) किसी व्यक्ति को ऐसी अवधि के लिए और ऐसी शर्तों पर जो वह उचित समझे, मुतवल्ली के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकता है; या

(ख) सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा वक्फ का प्रत्यक्ष प्रबन्ध तीन वर्ष से अनधिक किसी निर्दिष्ट अवधि के लिए अपने हाथ में ले सकता है:

प्रतिबन्ध यह है कि किसी विलेख द्वारा सृजित किसी वक्फ की दशा में, बोर्ड इस धारा के अधीन केवल तभी कार्य कर सकता है जब ऐसे विलेख की शर्तों के अधीन मुतवल्ली के रूप में नियुक्ति के लिए कोई व्यक्ति सक्षम न हो।"

धारा ६४ का संशोधन

७—मूल अधिनियम की धारा ६४ की उपधारा (२) में शब्द "संस्थित नहीं किया जायगा" और तत्पश्चात् आये हुए पूर्ण विराम के बीच शब्द "और यदि बोर्ड ने ऐसी सम्मति दे दी हो तो उसके बाद उक्त ऐक्टों में अभिदिष्ट अनुमति या सम्मति लेना आवश्यक न होगा" रख दिये जायें।

समझा जाना और वैधीकरण

८—इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व मूल अधिनियम की धारा १३ के अधीन राज्य सरकार द्वारा किसी बोर्ड के किसी सदस्य का नाम-निर्देशन उक्त धारा के अधीन किया गया नाम निर्देशन समझा जायगा और वैध तथा सदैव से वैध रहा समझा जायगा मानो इस अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित उक्त धारा सदैव प्रवृत्त थी।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम, १९६० की धारा ३५ के अनुसार यदि कोई वक्फ १९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा ९९ के अधीन पुनर्वासन अनुदान के मद्धे कोई वार्षिक वृद्धि पाने का हकदार है तो ऐसे वक्फ द्वारा धारा ३४ के अधीन देय किसी अंशदान का भुगतान उसे वार्षिक वृत्ति के ६ प्रतिशत तक, राज्य सरकार द्वारा बोर्ड को, ऐसी वार्षिक वृत्ति से किया जा सकता है। यह निर्णय किया गया है कि राज्य सरकार को ऐसी वार्षिक वृत्ति में से कोई भी अंशदान, जो वक्फ द्वारा बोर्ड को देय हो, कुल मिला कर उस वार्षिक वृत्ति के उस ब्याज के जो वक्फ को जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली के अधीन जारी किये गये जमींदारी विनाश प्रतिकर बन्ध ऋण प्रमाणपत्रों पर देय हो योग के ६ प्रतिशत तक, भुगतान करने का अधिकार दे दिया जाय। इस प्रयोजन के लिए धारा ३५ का संशोधन करना आवश्यक है। धारा ६४ क संशोधन भी आवश्यक प्रतीत होता है। इस बात को स्पष्ट करने का प्रस्ताव है कि बोर्ड से भिन्न कोई भी व्यक्ति या प्राधिकारी, वक्फ के सम्बन्ध में, केवल बोर्ड की लिखित सम्मति पर रेलीजस एन्डाऊमेन्ट्स ऐक्ट की १८६३ (ऐक्ट संख्या २०, १८६३) की धारा १४ तथा कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ (ऐक्ट संख्या ५, १९०८) की धारा ९२ में उल्लिखित किसी भी अनुतोष को पाने के लिए, उपर्युक्त ऐक्टों में अभिदिष्ट सम्मति अथवा अनुमति प्राप्त किये बिना, वाद संस्थित करने का हकदार होगा। वक्फ ऐक्ट, १९५४ (ऐक्ट संख्या २९, १९५४) की धारा ५५ में संसद द्वारा इसी प्रकार का संशोधन पहले ही किया जा चुका है।

इन संशोधनों को प्रभावी करने तथा उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम, १९६० में कतिपय अन्य कमियों और अल्प त्रुटियों को दूर करने के उद्देश्य से यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

सैयद अली जहीर,
न्याय मन्त्री।

पी० एस० यू० पी०-ए० पी०—८७ एल० ए०—१९६६—८४६।